खण्ड-248, अंक-4
मंगलवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1886
(24 मार्च, 1964 ई0)

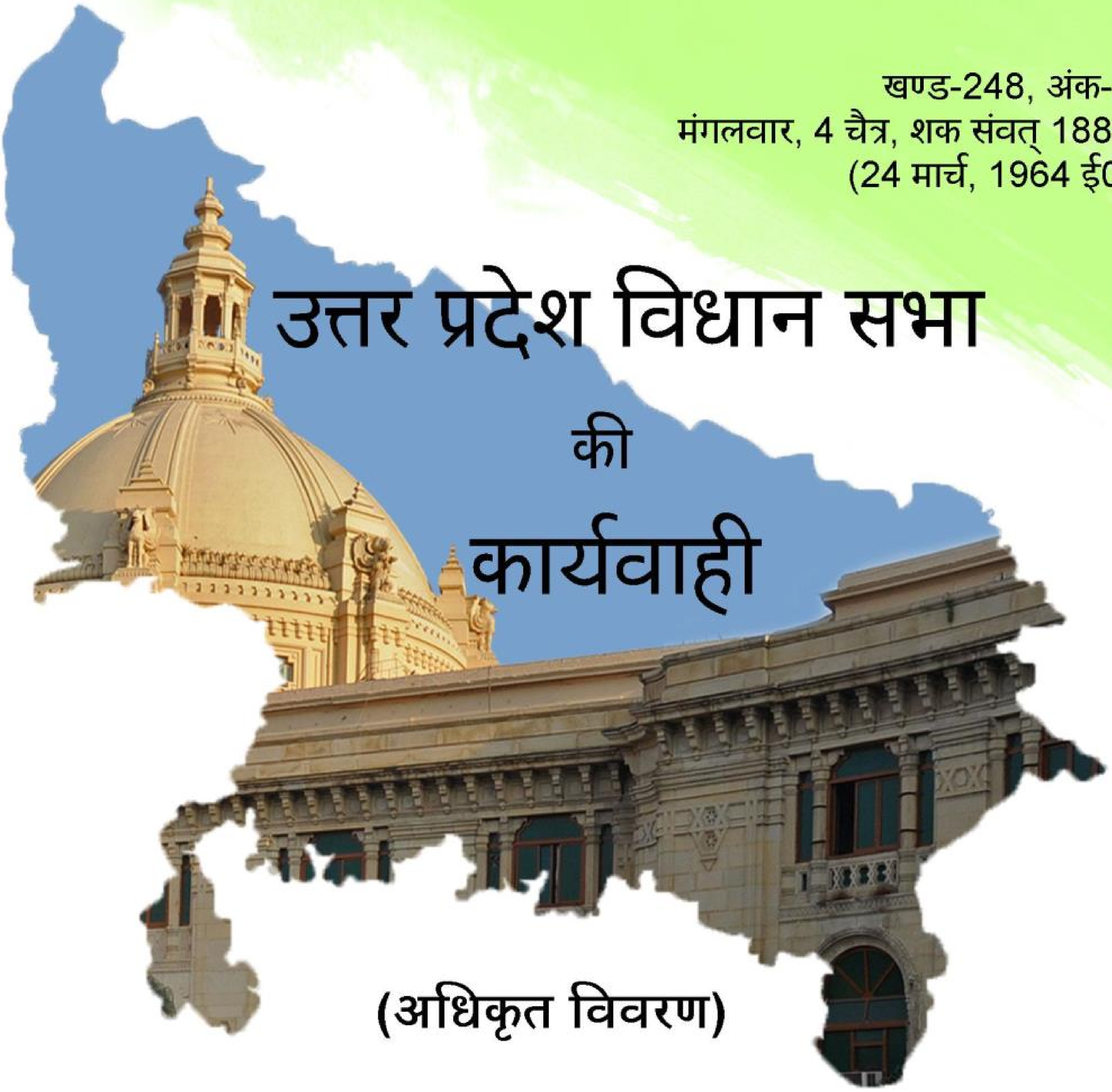

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण संस्थान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणमिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

उत्तर प्रदेश सभा

राजेंद्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्री श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

सदन द्वारा दंडित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश श्री एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश श्री जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)†

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि सदन ने जिन अभियुक्तों को सदन के अवमान के लिये दोषी ठहराया था उनके लिये आपने वारंट जारी कर दिया। मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं यद्यपि उसको आपने देरी से जारी किया। मुझे सूचना मिली है कि सरकार स्वयं अपनी अथारिटीज के जरिये..... ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कल ही व्यवस्था दी थी कि प्रश्नों के घंटे में किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जायगी। आज आप उसी व्यवस्था को तोड़ रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मेरी सूचना है कि एक्जीक्यूटिव अथारिटी सिविल फोर्स नहीं दे रही है इसलिये वह वारंट अभी तक एक्जीक्यूट नहीं हुआ है। मेरा खयाल है कि सरकार भी इस कांसिपिरेसी में हिस्सा ले रही है और जानबूझ कर सदन के निर्णय को कार्यान्वित नहीं करना चाहती है। इसका मुझे गहरा अफसोस है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि आप स्वयं ही अपनी व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। आपने कल ही व्यवस्था दी थी कि प्रश्नों के घंटे में कोई बात नहीं सुनी जायगी और आज आप उनको एलाउ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, पहले प्रश्न होंगे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी सूचना यह है.... ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, आप फिर सुन रहे हैं।

---

†२१ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। आप बार-बार एक ही बात कह रहे हैं। पहले उनकी बात तो सुन लीजिये कि वे क्या कह रहे हैं। फिर आप कह दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

तो पहले आप प्रोपोजीशन ही क्यों न पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नेकराम शर्मा से) आप यह बताइये कि आपको कहना क्या है ?

श्री नेकराम शर्मा—

हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि आपने वारंट पर हस्ताक्षर कर दिये हैं लेकिन कदाचित् हाईकोर्ट के २८ जजों ने जो आर्डर दे दिया है उसके कारण उसको कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं तथा सरकारी मशीनरी आपको सहयोग नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि इस संबंध में आप सदन को बतायें कि वारंट अभी तक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाये ?

श्री अध्यक्ष—

मैं बता दूंगा। कोई बात छिपाऊंगा नहीं। पहले आप प्रश्नों को हो जाने दीजिये।

* * * *

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ मार्च, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कल्याणपुर अग्निकाण्ड

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

**—क्या सरकार को पता है कि लखनऊ जिले के थाना मलिहाबाद के कल्याणपुर ग्राम में १३ मार्च, को भीषण आग लग जाने से २९ घर जल गये और २ आदमियों की भी मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो आग लगने का कारण क्या था ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

इस जिले के ग्राम कल्याणपुर मजरा गहदो थाना मलिहाबाद में दिनांक १२-३-६४ को सायंकाल साढ़े चार बजे भीषण अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें उक्त ग्राम के ३० घर नष्ट हो गये, इस दुर्घटना में १ पुरुष और १ बच्चा जल कर मर गये।

श्री सैयद हसन खां, पुत्र श्री मंगल खां के छप्पर वाले मकान में एक लड़का मछली तल रहा था तथा चने का होला भून रहा था उसी से उक्त आग लगने की दुर्घटना हुई।

**२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षतिग्रस्त लोगों को क्या तात्कालिक सहायता देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

क्षति ग्रस्त लोगों को तात्कालिक सहायता के रूप में निम्नलिखित विवरण के अनुसार नकद धन तथा वस्तुयें वितरित की गईं ।

(१) अग्नि पीड़ितों को दिनांक १३-३-६४ को २०५ रुपया अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया ।

(२) क्षेत्र विकास अधिकारी, माल द्वारा २ बोरी आटा भी वितरित किया गया ।

(३) इसके अतिरिक्त १७० गज मारकीन भी पीड़ित लोगों को दी गई ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

इस बात को देखते हुए कि भीषण आग दुर्घटना में ३० मकान जल गये और उनमें रहने वालों के लिये कहीं रहने की समस्या उत्पन्न हो गयी है, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन लोगों के मकान जल गये हैं उनके पास दोबारा मकान बनाने व छप्पर डालने के भी कोई साधन नहीं हैं, उनको मकान बनाने के लिये अनुदान या ऋण के रूप में सहायता दी जाय ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

जिलाधीशों को अधिकार है कि जहां जरूरत समझें माकूल सहायता कर दें ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है कि इन लोगों को सहायता दी जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह तो जनरल आर्डर है, इनके लिये कोई खास आदेश नहीं है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास फंड भी रहता है, उससे वे सहायता करते हैं ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्या अपने तहसीलदारों को इस प्रकार का कोई आदेश दिया है कि क्षतिग्रस्त लोगों को कुछ शर्तों के साथ सहायता दी जाय ? यदि हां, तो वह आज्ञा क्या है जिसके आधार पर वे सहायता देते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जो गरीब होते हैं उनकी मदद की जाती है ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस दुखद दुर्घटना को देखते हुये जिसमें ३० मकान जल गये हैं तथा एक महिला व एक बच्चे की मृत्यु हो गयी है, इन किसानों की पूरा लगान माफ करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वह मसला तो बाद को आयेगा, इस वक्त तो वह तय होगा नहीं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

इस आग लगने से जितने लोगों को हानि हुई है उनको सरकार की ओर से जो सहायता दी गयी है, उस सहायता की रकम के लिये कोई सिद्धान्त निश्चित है कि कितनी ग्रेचुटस रिलीफ के रूप में उनको सहायता दी जायगी ? अगर कोई सिद्धान्त है तो आप देखेंगे कि उनको दो सौ कुछ रुपया, दो बोरी आटा और कुछ गज मारकीन दिया गया है, तो इसको देखते हुये क्या सरकार इस नियम में कुछ परिवर्तन करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है, जो गरीब होते हैं उनकी सहायता हालत को देख कर फौरी उनकी तकलीफ को दूर करने का इन्तजाम किया जाता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि यह जेनरल आदेश है जिलाधीशों को कि जहां जरूरी हो वे सहायता करें, तो क्या माननीय मंत्री जी इस गांव के लोगों के लिये जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिलाधीश को कोई विशेष आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि उनकी विशेष सहायता कर दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई जरूरत नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है जब कि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आग लगने से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि अब तक जो तात्कालिक सहायता दी गयी है वह बहुत ही नामिनल है, जिलाधीश को इस बात की सलाह देंगे कि उस गांव के लोगों को मकान बनाने के लिये और सुविधायें दी जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने तो पहले ही कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर इसका इन्तजाम किया जायेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो क्षति हुई है उसको देखते हुये जिस आदमी को सबसे ज्यादा अहेतुक सहायता नकद दी गयी है वह कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

किसी को १० रु० किसी को १५ रु० किसी को ५ रु०, जो अकिंचन और गरीब हैं, उनको फौरी सहायता इस वक्त कर दी है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर में कलक्टरगंज बस स्टेशन

*१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष, १९६३–६४ में यह निर्णय लिया था कि कानपुर शहर में कलक्टरगंज स्थित रोडवेज बस स्टेशन को नहर पार पाट कर विस्तृत बनाया जाय ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसका क्या कारण है ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

जी हां ।

जमीन का मूल्य व किराया जिलाधीश द्वारा निश्चित कर दिया गया है ।

परिवहन आयुक्त ने चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग से निवेदन किया है कि वह उक्त भूमि को स्थायी रूप से परिवहन विभाग को हस्तान्तरित कर दें ।

भवन का नक्शा व डिजाइन टाउन व विलेज प्लानिंग विभाग द्वारा स्वीकार हो चुका है ।

भवन निर्माण का एस्टीमेट पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बन चुका है और अब रिवाइज किया जा रहा है ।

श्री रक्षपालसिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल जब बजट के अवसर पर मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था जब कि यहां सदस्यों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया था और तब से अब तक एक साल पूरा हो गया लेकिन एक विभाग से दूसरे विभाग की कारस्पांडेंस के फलस्वरूप अभी तक हस्तांतरण का काम भी पूरा नहीं हुआ तो इस तरह से यह उपेक्षा क्यों की जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

उपेक्षा तो नहीं की जा रही है, कार्यवाही बराबर जारी है, कागजी काम में कुछ देर लग रही है लेकिन आशा है कि जल्द ही यह काम पूरा हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो भवन का नक्शा व डिजाइन तैयार हुआ था उसके लिये कितना रुपया व्यय होने का एस्टीमेट है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

प्रारम्भ में जो नक्शा बना था उसको पी० डब्ल्यू० डी० के पास एस्टीमेट के लिये भेजा गया था, वह २१ लाख का आया था जिसको ज्यादा समझा गया फिर दोबारा मांगा तो वह १५ लाख का आया लेकिन परिवहन विभाग के पास इतना भी पैसा नहीं था और फिर उस एस्टीमेट को भी रिवाइज करने को कहा गया और उसके मुताबिक डिजाइन भी अब बदल रहा है ।

श्री राजनारायण (जिला कानपुर)---

जो नहर को पाटने की योजना सरकार के विचाराधीन है और जो नक्शा आया है उसके अनुसार नहर को पाटने में भी क्या कानपुर नगर महापालिका ने कोई आपत्ति की है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---

क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग ने भूमि का हस्तांतरण पत्र या ट्रांसफर डीड साइन करने से इंकार कर दिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

ऐसी बात नहीं है, यह तो गवर्नमेंट लेविल की बात है, सब सरकारी विभाग हैं, इंकार का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

उस स्थान पर रोज एक्सीडेंट होते हैं तो क्या मंत्री जी उस स्थान को देखकर जल्दी ही बस स्टेशन को चौड़ा करने की कोशिश करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

विभाग की यह ख्वाहिश है कि यह काम जल्द से जल्द हो जाय। दिक्कत इस में यह है कि चूंकि इसमें कई विभाग आते हैं इसलिये हमें अफसोस है कि देर हो रही है, लेकिन अब जितनी जल्दी मुमकिन होगा उस को पूरा किया जायगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नानक सागर योजना

*१---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नानक सागर योजना के अन्तर्गत कितने गांवों के कितने-कितने परिवारों के कितने लोग प्रभावित हुये हैं और उस सागर से हुये विस्थापितों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गयी है ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

नानक सागर योजना के अन्तर्गत १८ गांव प्रभावित हुये, जिनमें से दो ग्रामों में केवल बंजर भूमि ली गई थी जो किसी कृषक की भूमि नहीं थी । वर्तमान सूचना के आधार पर शेष १६ ग्रामों में कुल ८०७ काश्तकारान प्रभावित हुये ।

परिवारों के सदस्यों की संख्या देना सम्भव नहीं है ।

इन विस्थापितों में से कुछ को जमीन के बदले केवल जमीन, कुछ को केवल नकद मुआवजा अथवा औरों को दोनों ही दिया गया है ।

उक्त १६ ग्रामों में से दो ग्रामों में भूमि तथा नकदी मुआवजा के वितरण की कार्यवाही जारी है ।

*२---श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)---

क्या नानक सागर योजना के अन्तर्गत विस्थापित हुये लोगों को जमीन के बदले जमीन दी गयी है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो जिन्हें मुआवजा दिया गया उसकी फी एकड़ दर क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कुछ लोगों को जमीन के बदले जमीन दी गई, कुछ को नकदी मुआवजा तथा कुछ को दोनों । जमीन मुख्यतः नैनीताल जिले में जोगीठेर, फागपुर भड़ भुड़िया, विरिया, बन कटिया, सुनखरा, भीखमपुर, आदि ग्रामों तथा पीलीभीत जिले में बमनपुर भगीरथ ग्राम (ट्रान्स सारदा ट्रैक्ट) में दी गई ।

प्रभावित लोगों की कुल जमीन तराई भावर इस्टेट्स में पड़ती थी। चूंकि यह सरकारी भूमि के काश्तकारान थे अतः इन्हें नियमानुसार केवल लगान का ४ गुना मुआवजा दिया गया ।

नोट---तारांकित प्रश्न १-२ श्री काशीनाथ मिश्र ने पूछे ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

जो लोग बाकी रह गये हैं उनको कितने दिनों में बसाया जायगा तथा प्रति एकड़ आपने क्या रकम मुआवजे में दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

असल में सवाल यह था कि कुछ लोगों को जमीन के बदले जमीन दी । जमीन मिलना साधारण बात नहीं है । हम कोशिश कर रहे हैं । चारों ओर जमीन ढूंढ़ी जा रही है । १२२ ऐसे लोग रह गये थे जिनके लिये हमें जमीन का इन्तजाम करना था, उनमें से ३५ का इंतजाम कर दिया है । उनको कुछ भूमि दे दी गयी है । बाकी का इंतजाम नहीं हुआ है ।

जहां तक मुआवजे की बात है, वह जमीन गवर्नमेंट की इस्टेट थी और जैसे नियम हैं उनके अनुसार १० रुपया प्रति एकड़ का मुआविजा उनको दिया गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश भर में कोई भी भूमि १० रुपया प्रति एकड़, बहुत कम दाम है तो क्या इस मुआविजे की दर को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जो नियम हमारे अभी तक हैं उसके अनुसार यह दिया जा रहा है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

पूर्व प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि कुछ लोगों को जमीन दी गयी और बहुत से लोगों का पुनर्वास नहीं हो सका । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनका पुनर्वास हो चुका है वह उपजाऊ जमीन वाले थे और जो बाकी रह गये हैं वह ऊसर भूमि वाले हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

पहले तो आप यह दुरुस्त कर लें कि अधिक लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो गयी है । कुछ लोग ही रह गये हैं, और जहां तक जमीन की बात है, वह गांव समाज की जमीन है और गांव समाज की जमीन को जमीन के बदले देने का सवाल नहीं उठता ।

श्री रामायणराय---

मान्यवर, सार्वजनिक कामों के लिये जो भूमि ली जाती है उसके लिये जो मुआविजा दिया जाता है उसकी दर और प्रदेशों के मुआविजे की दरों को देखते हुये बहुत कम है । तो क्या मंत्री जी मुआविजे की दरों में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कमेटी बैठायी गयी, है वह विचार कर रही है ।

मार्शल की कथित गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

इस समय मार्शल यहां उपस्थित नहीं हैं । मेरी यह जानकारी है कि संभवतः वे आपके हुकम की तामील करने गये थे और गिरफ्तार कर लिये गये हैं, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष---

मुझे कोई सूचना नहीं है । वह गये थे, यह मुझे मालूम है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या इसकी सूचना पाकर आप सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह मैं पता लगा लूंगा ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

गण्डक नहर पीड़ितों का पडरौना तहसीलदार को मांग-पत्र

*३--श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री, दिनांक ४ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के सन्दर्भ में बतायेंगे कि देवरिया के पडरौना तहसील के तहसीलदार पडरौना के सम्मुख गण्डक नहर से पीड़ित किसानों का जो प्रदर्शन दिनांक १९ अक्तूबर, १९६३ को हुआ और उस प्रदर्शन द्वारा जो पत्रक दिया गया वह पत्रक तहसीलदार पडरौना के यहां से किस डिस्पैच नम्बर से चल कर कब और किस प्राप्ति नम्बर से जिलाधीश व मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री को मिला ? उस पत्रक की प्रमुख मांगें क्या हैं और अलग-अलग उन मांगों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८८--३८९ पर ।)

*४--श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

[हटा दिया गया ।]

बड़हलगंज--डेरवा सड़क की भूमि

*५--श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में कोई सड़क बड़हलगंज से डेरवा तक जाती है ? यदि हां, तो जिन किसानों की भूमि ली गयी है उन्हें उनका मुआविजा दिया गया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि इस सड़क में ली गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां, डेरवा से बरहलगंज तक सड़क है और सिंचाई विभाग द्वारा केवल डेरवा से कपरवार तक रास्ते को ऊंचा किया गया । इस को ऊंचा करने के लिये जिन गांवों की जितनी भूमि ली गई उसका विवरण संलग्न है, परन्तु किन-किन किसानों से कितनी कितनी भूमि ली गई और उन्हें कितना-कितना मुआविजा दिया गया, उस का विवरण अब उपलब्ध नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९० पर)

श्री कैलाश--

मंत्री जी बतायेंगे कि डेरवा से बरहलगंज सड़क कच्ची है या पक्की और किस विभाग के अन्तर्गत है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३ श्री काशीनाथ मिश्र ने पूछा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

सड़क कच्ची है और क्योंकि गांव ऊंचा किया गया था तो सड़क को ऊंचा करना था। उतना हिस्सा हमने ऊंचा कर दिया, बाकी गांव की सड़क जैसी थी वैसी ही है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

सरकारी कायदे से कितने दिनों में मुआवजा दे देना चाहिये ? क्या सरकार को मालूम है कि जमीन लिये अर्सा हो गया लेकिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सड़क वहां पहले से थी और सड़क को ऊंचा कर दिया गया क्योंकि गांव ऊंचा कर दिया गया। मुआवजे की सूचना मेरे पास नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जमीन दूसरों की ली गयी होगी तो लोगों ने दे दी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

१९५२ में जो फ्लड डिवीजन रहा, क्या वह खत्म कर दिया गया ? यदि हां, तो उसके सारे कागजात दूसरे सिंचाई विभाग में सुपुर्द किये गये कि नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह फ्लड डिवीजन तोड़ दिया गाया। १० साल बाद तमाम डिटेल्स आपने मांगे तो मुश्किल है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार बतायेगी कि आये दिन इस प्रकार की शिकायतें होती हैं कि भूमि ले ली जाती है और किसानों को मुआवजा नहीं मिलता ? यदि हां, तो सरकार स्पष्ट आदेश देगी कि जब तक किसान को मुआवजा न मिल जाय तब तक भूमि सरकार न ले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसी शिकायतें इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। यह सड़क थी और चूंकि गांव को ऊंचा किया गया, उसके साथ वह सड़क भी ऊंची न करते तो कैसे काम चलता ? इसमें लैंड का प्रश्न कहां है ?

श्री कल्पनाथसिंह--

मंत्री जी इस बात को जिम्मेदारी से कहें कि क्या डेरवा से कपरवार तक एक खांची भी मिट्टी इनके विभाग की तरफ से फेंकी गई ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो कह रहे हैं, ऊंची की गई।

श्री कल्पनाथसिंह--

मंत्री जी बतायेंगे कि कितना रुपया लगा, कौन से गांव इसमें हैं और जो ८ गांवों को १३ एकड़ के करीब जमीन बतायी गई है यह डेरवा से कपरवार के बीच में है या डेरवा से बड़हलगंज के बीच में है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

डेरवा से कपरवार तक ही सड़क हमने बनायी है, आगे का सवाल ही नहीं उठता।

[२४ मार्च, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--३--श्री कल्पनाथसिंह--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

माताटीला खम्भा में दरार

*४--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि माताटीला बांध पर बना एक विशाल खम्भा सन् १९६३ में क्रेक हो गया था ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था व उसको पुनः ठीक कराने में सरकार को कितना रुपया दुबारा खर्च करना पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--एक एलैक्ट्रीशियन ने फाटक को लेटाने वाले स्विच को गलती से दबा दिया जब कि यह फाटक सिल (Sill) पर पहिले ही से लेटा हुआ था और न बिजली के कनेक्शन ही पूरे हुये थे । इस कारण फाटक के खम्भे में क्रेक आ गया ।

तृतीय भाग--रु० ४९५०.५९ न० पै० दुबारा खर्च करना पड़ा ।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस एलेक्ट्रीशियन ने स्विच दबाया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह एलेक्ट्रीशियन एक कैजुअल लेबर था । उसको सर्विस से निकाल दिया गया है ।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उसने किस के आदेश पर स्विच दबाया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उसने बिना किसी के आदेश के गलती से स्विच को दबाया । गलती हो गयी ।

*५--श्री लखपतराम शर्मा--

[हटा दिया गया ।]

नेहरू क्रास, लखनऊ में बस दुर्घटना

*६--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ईद के दिन लखनऊ में नेहरू क्रास पर राजकीय परिवहन की बस द्वारा कुचल दिये जाने से एक आदमी की मत्यु हो गयी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा मृतक के परिवार वालों को कितनी क्षतिपूर्ति दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

कथित स्थान पर एक आदमी की मत्यु अवश्य हुई । पुलिस द्वारा जांच हो रही है । अभी यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है कि दुर्घटना राजकीय परिवहन बस द्वारा हुई अथवा नहीं । अतः अभी क्षति पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है और उसकी मत्यु किस प्रकार और कब हुई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह घटना १५-२-६४ की है जो नेहरू क्रास, लखनऊ में हुई । उस व्यक्ति का नाम है श्री अब्दुल्ला, पुत्र श्री मुनीर, निवासी बेगिया, नाला बेगम गंज, अहियागंज, लखनऊ ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये क्या इसकी जांच मंत्री जी जल्द करवा कर क्षति-पूर्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जांच पुलिस कर रही है, लेकिन रोडवेज विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि उसकी बस से यह दुर्घटना हुई ।

*७-८--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--

[हटा दिये गये ।]

*९--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[हटा दिया गया ।]

*११--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़) तथा श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)--

[७ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२--श्री इन्द्रासनसिंह तथा श्री उमाशंकर--

[हटा दिया गया]

*१३-१४--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

[हटा दिया गया ।]

रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऐडवाइजरी कमेटी, गोरखपुर के प्रस्ताव

*१५--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २१ दिसम्बर, १९६३ को रीजनल ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी, गोरखपुर की बैठक जो हुई थी उसमें जो निश्चय किया गया वह क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पष्ठ ३९१-३९२ पर)

*१६--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---

संलग्न विवरण में प्रस्ताव संख्या ३ के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि सायंकाल गोंडा से परसपुर जाने वाली बस अब रात को तरबगंज रुकेगी और वहां से अगले दिन प्रातः गोंडा से लौटते समय बिलसर की भी सवारियां लेगी। प्रस्ताव संख्या ४ के सम्बन्ध में गोंडा बस स्टेशन के बिस्तार के लिये भूमि प्राप्त करने के आवश्यक कागज ए० जी० एम० द्वारा प्रधान प्रबन्धक के पास भेज दिये गये हैं, जिन पर वे अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं। प्रस्ताव संख्या २,५ तथा ६ पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती बस स्टेशनों की इमारतें

*१७---श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)---

क्या मंत्री जी को पता है कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती रोडवेज स्टेशनों पर जो इमारतें बनाई गई हैं वह फट गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन इमारतों की जांच कराकर ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

सारदा निर्माण क्षेत्र, बरेली, के क्लर्क श्री हरीशंकर के विरुद्ध शिकायत

*१८---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)---

क्या शारदा कांस्ट्रक्शन सर्किल बरेली के एकाउन्ट सेक्शन के क्लर्क श्री हरी शंकर कक्कड़ पुत्र श्री उमाशंकर के चरित्र के विरुद्ध बरेली के नागरिकों की ओर से कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई और उसके साथ कुछ फैसलों की नकलें भी जिनमें उक्त क्लर्क को दोषी ठहराया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। परन्तु शिकायत के साथ केवल एक ही फैसले की नकल प्राप्त हुई है।

*१९---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन शिकायतों पर कोई जांच हुई और उनके परिणाम-स्वरूप उक्त क्लर्क के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी हां, जांच से यह मालूम हुआ कि श्री हरीशंकर का कुछ लोगों से निजी झगड़ा है और दोनों ओर से परस्पर मुकदमे चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस या न्यायालय ने अधीक्षक अभियंता, सारदा निर्माण सर्किल, बरेली, से कोई कार्यवाही करने के लिये अब तक नहीं कहा है। अगर न्यायालय से कोई आदेश मिलेंगे तो उनके अनुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

*२०---श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त क्लर्क बरेली में कितने वर्ष से कार्य कर रहा है और साधारणतया कितने समय में ऐसी जगहों पर स्थानान्तरण किया जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह लिपिक बरेली में २८ दिसम्बर, १९५९ से कार्य कर रहा है। लिपिकों के विषय में स्थानान्तरण के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है।

बलिया जिले में नलकूप

*२१—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में अब तक कुल कितने-कितने ट्यूबवैल लग चुके हैं ?

*२२—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में अलग-अलग भविष्य में कितने-कितने ट्यूबवेल तथा कहां-कहां लगने वाले हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९३–३९४ पर ।)

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, बलिया जिले में १८ ब्लाक हैं जिनमें १७ ब्लाकों में ट्यूबवैल हैं और भविष्य में भी लगने वाले हैं । पर नवानगर में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा है । क्या माननीय मंत्री नवानगर ब्लाक में भी कठरूंडा और लिलकर में भी जांच करवा कर ट्यूबवैल लगवाने की योजना कार्यान्वित करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां पर ट्यूबवैल नहीं हैं अगर वहां पर लग सकते हैं तो उसकी भी मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बलिया जिले में बहुत से ट्यूबवैल ऐसे हैं जो बेकार पड़े हुये हैं और जिनसे एक भी एकड़ सिंचाई नहीं हो सकती है । तो क्या माननीय मंत्री जी इन ट्यूबवेल्स से वाटर सप्लाई की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वाटर सप्लाई का काम तो नहर विभाग करता है । यह तो शहर वाले काम करते हैं । अगर खरीदने वाले होंगे तो बेचने वाले भी हो जायेंगे ।

डूहा-बिहरा बांध में घाघरा से कटाव

*२३—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम डूहा-बिहरा घाघरा नदी के कटाव से संकट की स्थिति में गुजर रहा है तथा डूहा-बिहरा का पुराना बांध घाघरा नदी के कटाव से कटकर समाप्त हो गया है ? क्या सरकार उक्त गांव तथा उससे दक्षिण के कई गांवों को क्षति से बचाने के लिये पुराने बांध से कुछ दूर दक्षिण में एक नया बांध बंधवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बलिया जिले के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे स्थित ग्राम डूहा-बिहरा के रिंग बांध का दो फर्लांग लम्बा भाग घाघरा नदी की कटान से आधी चौड़ाई में कट गया है । कथित ग्रामों को बचाने के उपायों पर विचार हो रहा है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--

क्या यह सही है कि पुराने बांध के टूट जाने से उसके सामने के १०, १२ गांव धराशायी हो जायेंगे ? और जब यह बात सही है, तो क्या माननीय मंत्री जी कटे हुये बांध पर उसकी बगल में एक सरकारी बांध बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

डूहा-बिहरा बांध जो है वह श्रमदान से गांव वालों ने बनवाया था और गांव वालों का काम श्रमदान से उसे बनाने का है । उसकी बगल में श्रीनगर बांध हमारे विभाग का है जिसकी देखरेख करने का काम हमारे विभाग का है लेकिन जो बांध गांव वालों ने श्रमदान से बनाया है उसकी मरम्मत का काम भी गांव वालों का ही है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--

कठोरा बांध जो घाघरा के किनारे है वह इसी बांध से मिला हुआ है, वह भी घाघरा के कटान से कट गया था और उसकी मरम्मत सरकार के द्वारा हुई, तो क्या इस बांध को भी सरकार द्वारा बनवाने की कृपा की जायगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

मैंने कहा कि यह बांध श्रमदान से बनवाया गया था और यह उन्हीं का काम है कि गांव वाले इसे करें । हमसे पूछा जायगा तो हम उसका सर्वेक्षण करा लेंगे और देखेंगे कि क्या सम्भव मदद हो सकती है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

गंगा नदी और घाघरा दोनों बलिया जिले को १०० साल से काट रही हैं जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन दूसरे प्रान्त में चली गयी है, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनायेगी कि गंगा और घाघरा का कटाव रोका जा सके और बलिया जिले को उस कटाव से बचाया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बहुत बड़ा प्राब्लम है । इसको रोकना मुश्किल है । लेकिन तमाम प्रदेश के लिये बाढ़ के लिये एक योजना बना रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

बरसात प्रारम्भ होने के पहले क्या गांवों को बचाने के लिये कोई योजना है ? यदि नहीं है, तो क्या बाढ़ शुरू होने से पहले कोई योजना कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने पहले ही कह दिया कि जो बांध गांव वालों ने अपने श्रम से बनवाया है उसकी मरम्मत के लिये गांव वाले खुद ही मदद करेंगे । हमसे टैक्निकल सहायता मांगेंगे तो उस बारे में हम सोच सकते हैं और देखेंगे कि क्या हो सकता है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--

यह ढूहा-बिहरा बांध श्रमदान से नहीं बना है, ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में सरकारी सहायता से बना है । तो इस बात को मद्देनजर रख कर क्या सरकार इसे सरकारी अनुदान से मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मेरे पास जो सूचना है वह यही है कि यह श्रमदान के द्वारा बनाया गया है। आपके पास दूसरी सूचना हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

उनकी सूचना है कि यह श्रमदान के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो उनका कहना यह है कि इस सम्बन्ध में जांच करके पुनः आप सोचेंगे कि यह सरकारी अनुदान से बनवा दिया जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी जांच करा लेंगे और चीफ इंजीनियर को लिख रहे हैं कि कोई योजना बना कर भेजे और फिर विचार कर लेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

जो बांध गांव वाले बनाते हैं उसकी रक्षा आप विभाग द्वारा कराने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसे बांध टूट जाते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह जुम्मेदारी बहुत बड़ी है। बड़ा रुपया उस पर खर्च होता है। जो प्राइवेट बांध बंधते हैं उनकी रक्षा करने का काम भी उन्हीं का है।

*२४---श्री नाथूराम शिक्षक---

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

बरहन, जिला आगरा, को बिजली

*२५---श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरहन, जिला आगरा, में बिजली लगाना मंजूर हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई और अभी तक इतने दिन बीतने पर भी उक्त स्थान पर बिजली क्यों नहीं लगाई गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आगरा जिले के बरहन नगर को विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस नगर का विद्युतीकरण हो जाने की सम्भावना है।

श्री शिवचरण---

क्या सरकार बतलायेगी कि बरहन, जिला आगरा, में बिजली लगाने का निर्णय किस तारीख को हुआ था और उसको लगने में देरी का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

देरी का कारण साफ है। साढ़े ५ मील लम्बी एक लाइन बनानी होगी जिसमें ५० हजार रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन जब निर्णय ले लिया था तो बिजली लगा देनी थी।

श्री शिवचरण---

श्रीमन्, बरहन में बिजली लगाने का किस तारीख को तय किया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

श्रीमन्, तारीख का तो पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि विभाग से देरी हो रही है ।

श्री शिवचरण—

क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों ने लापरवाही बरती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लापरवाही का कोई कारण नहीं है । असल में दिक्कत यह है कि गांवों में बड़ी भारी जगहों में बिजली लगा रहे हैं, इसलिये काफी सामान की जरूरत पड़ती है और सामान मिलता नहीं है । इसलिये जब तक सामान जुटा न लें तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है । जब सामान इकट्ठा हो जायगा तब काम हो सकेगा । तब भी आदेश दे दिये हैं कि साल भर में लगा दें ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस सन् में बरहन में बिजली लगाना स्वीकार किया गया और अब तक क्या वहां ऐस्टीमेट बन चुका है और नक्शा तैयार हो चुका है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मेरे पास यह सूचना नहीं है कि पहले कब तय हुआ, यह जरूर है कि अब वहां बिजली लगाने का हमने इरादा कर लिया है ।

बस्ती रोडवेज कर्मचारियों को दण्ड

*२६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, फरवरी सन् १९६४ में ए० जी० एम० रोडवेज, बस्ती, ने कितने ड्राइवरों एवं कन्डक्टरों को मुअत्तल किया है और किस आधार पर ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२ ड्राइवरों एवं २ कन्डक्टरों को । इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार तथा विभागीय आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप थे ।

*२७—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन कर्मचारियों पर चोरी के आरोप हैं उनमें कितनों को दंडत किया गया और निकाला गया और कितने अब भी काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न संख्या २६ में कथित अवधि में दो चोरी के मामले पकड़े गये जिनकी अभी जांच हो रही है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*२८—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार के आरोप नहीं हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मजफ्फर हसन—

जी, नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

उरई-शेरगढ़ बस सर्विस

*२९—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उरई-शेरगढ़घाट तक कितनी बसें चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उरई-शेरगढ़ मार्ग पर ९ बसें चलती हैं।

*३०—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उरई-शेरगढ़घाट तक चलने वाली बसों का किराया रोड 'सी' क्लास का चार्ज करती है जबकि रोड तारकोल की बहुत ही अच्छी हालत में 'ए' क्लास की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उरई-शेरगढ़ मार्ग कभी भी "सी" क्लास में वर्गीकृत नहीं था। यह मार्ग पहले पहल दिनांक ४ जुलाई, १९५० को आर० टी० ए०, कानपुर, द्वारा "बी" क्लास में वर्गीकृत हुआ तथा दिनांक २० मार्च, १९६३ से यह मार्ग "ए" क्लास का वर्गीकृत हो गया है।

*३१—श्री शिवसम्पति शर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इनका रेट "ए" क्लास का रेट प्रति मील तय करने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और रेट कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त मार्ग पर यात्रियों से "ए" क्लास मार्ग का किराया लिया जाता है।

कायमगंज तहसील का बाढ़ क्षेत्र

*३२—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिला की तहसील कायमगंज की तराई क्षेत्र के ग्राम सिवारा तथा आस-पास के अन्य कई ग्रामों में नरदोली, जिला एटा, बुढ़िया के कुछ स्थानों तथा नहर के खारजा से हर साल पानी भर जाता है और सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा आने-जाने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में बुढ़िया तथा खारजा पर पुल तथा गंगा के दक्षिणी किनारे पर बांध बना कर इस क्षेत्र की जनता को राहत देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नहर के खारजा, जो गंगा नदी में गिरती है से नहीं बल्कि गंगा तथा बूढ़ी गंगा के स्पिल (spill) से इस क्षेत्र में पानी भर जाता है। यहां पुल तथा बांध बनाने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है। यह क्षेत्र गंगा तथा बूढ़ी गंगा के बाढ़ क्षेत्र में पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नदी अपनी धारा को अधिक चौड़ाई में बदल सकती है, इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिये काफी लागत वाले Training कार्य तथा तटवर्ती बांध इत्यादि आवश्यक होंगे, जिसके लिये कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार को पता है कि फतेहगढ़ नहर शाखा में एटा में जो बिलसड़ से खारजा निकलता है और गंगा में गिरता है वह टूट गया है, जिससे पानी भर जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरी सूचना तो यह है कि यह तमाम इलाका और बूढ़ी गंगा जो गंगा का एक स्पिल है उसका एक क्षेत्र है और बरसात में पानी चारों तरफ फैल जाता है। खारजा से पानी नहीं आता है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी खारजा के टूट जाने की जांच कराके पुलिया बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

खारजा टूट गया है तो उसकी जरूर जांच करा लेंगे।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस खारजा से कितने एकड़ जमीन प्रभावित होती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बूढ़ी गंगा जो गंगा का एक स्पिल है उसका यह एरिया है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जो क्षेत्र बाढ़ग्रस्त ह प्लानिंग ने एक प्रकार की व्यवस्था की है कि जहां सड़कें नहीं हैं, उनके लिये विशेष व्यवस्था करेंगे, यह बूढ़ी गंगा और गंगा के बीच में जिला एटा और फर्रुखाबाद का जो भाग पड़ता है उसमें एक मील भी सड़क नहीं बनी है तो क्या सिंचाई विभाग से, विशेष योजना के अन्तर्गत, किसी सड़क का निर्माण करवाने की व्यवस्था करवायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सड़क बनाने का काम सिंचाई विभाग का तो है नहीं।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि बदायूं के क्षेत्र में गंगा के उत्तर तरफ एक बांध बांधने का कार्यक्रम है उस बांध के बंध जाने के बाद पानी का बहाव दक्षिण की तरफ फर्रुखाबाद, इटावा जिलों में अधिक बढ़ जायगा, उसके कारण और भी अधिक बाढ़ आने की सम्भावना है, इसलिये इधर भी बांध बनाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दोनों तरफ बांध बनाना टैक्निकल दृष्टि से बहुत अच्छा है नहीं। जहां तक इस क्षेत्र का ताल्लुक है, यह बिलकुल बाढ़ के अन्दर ही है। इसमें बांध बनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गंगा और बूढ़ी गंगा के बीच में परगना निधपुर में जनता ने स्वयं ५० हजार की लागत का बांध बनाया था जो कि टूट गया है, उसकी मरम्मत इस बरसात से पूर्व करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस बांध की मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री ऊंवल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से कटाव को रोकने के लिए, जमीन को बचाने के लिये, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तृतीय योजना में करीब ८ करोड़ रुपया दिया है, उसमें घाघरा का कटाव, सारदा का कटाव और गंगा की बाढ़ से बचाने के लिए है, उन योजनाओं को सरकार ने अब तक क्यों नहीं चालू किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जितना बाढ़ का काम हमारे हाथ में हैं वह कर रहे हैं। इसमें बचाव का सवाल ही नहीं। यह क्षेत्र ही बाढ़ के अन्दर है।

*३३—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया।]

*३४-३५—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३७—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[हटा दिये गये।]

सिंचाई विभाग में खजाने पर ड्यूटी

*३८—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग के बरकन्दाजों की ड्यूटी खजाने पर रखी गई है किन्तु अधिशासी अभियन्ता के यहां खजाना तो बड़े दफ्तर में रहता है और बरकन्दाज बराबर अभियन्ता साहब के साथ यात्रा करते हैं ? ऐसी दशा में खजाने की रखवाली कौन करता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सिंचाई विभाग के बरकन्दाजों की ड्यूटी खजाने के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता के शिविर (camp) में भी रहती है। खजाना अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में रहता है, और उसकी रखवाली दफेदार या बरकन्दाज और एक चौकीदार करता है।

उन्नाव डिवीजन में सिंचाई

*३९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव डिवीजन के ऊंचागांव रजबहा में वर्ष १९६३-६४ में कितनी बार पानी टेल तक गया और विकास खंड सरेनी के ग्राम पाठक खेड़ा में कुल वर्ष में कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहर द्वारा हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उक्त रजबहा वर्ष १९६३-६४ में १०७ दिन चलाया गया जिसमें से ७२ दिन पानी टेल तक गया।

कथित ग्राम में कुल सिंचित भूमि की ९० प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहर द्वारा हुई।

*४०—श्री गुप्तारसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव डिवीजन, ऊंचागांव रजबहा के विकास खण्ड सरेनी के ग्रामों में वर्ष १९६२-६३ में कितने एकड़ में गन्ना पैदा किया गया तथा

१९६३–६४ में कितने एकड़ में गन्ना पैदा किया गया ? यदि कम हुआ, तो क्या इसका कारण पानी न मिलना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सन् १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में क्रमशः ६१ तथा ५४ एकड़ में गन्ना पैदा किया गया। कमी का कारण फसलों का हेरफेर से बोने का है, न कि पानी की कमी।

श्री गुप्तारसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फसल के हेरफेर से तो ईख की फसल बढ़ती है, फिर वह कुछ प्लाऊ भी रखते हैं, कुछ जरी भी बढ़ा दिया, तो यह घटी कैसे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह आपका कभी-कभी कम हो जाता है। अगर किसी साल किसी ने ज्यादा लगा दिया, खेत कम है तो अगले साल कम ही होगा।

श्री गुप्तारसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री इसकी जांच तहसीलदार द्वारा कराने की कृपा करेंगे कि यह इसलिए नहीं हुआ कि १५–२० या २५ बीघे ईख किसानों ने यों ही जोत डाली बिना पानी मिले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो, जैसा आपसे कहा, मेरे पास तो यह है कि १०७ दिन तक पानी चलता रहा और टेल जिसमें नहीं जाती थी उसमें भी ७२ दिन तक पानी चला, और यह भी सूचना है कि ९० प्रतिशत जमीन को पानी दिया गया, तो अब और जांच किसकी होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता।

बिधूना तहसील में बिजली

*४१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल तथा श्री विजयशंकर (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव में बिजली पहुंचाने की बृहत् योजना के अन्तर्गत तहसील विधूना (इटावा) के किन-किन गांव में बिजली पहुंचाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जिला इटावा के विधूना तहसील में अभी तक कोई विभागीय लाइन नहीं है। यह जानने के लिये कि विधूना तहसील के किन ग्रामों का विद्युतीकरण प्राविधिक दृष्टि से संभव है सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं और उन स्थानों के विद्युतीकरण का कार्य जो कि प्राविधिक दृष्टि से संभव पाये जायेंगे उचित समय पर हस्तगत किया जायेगा।

*४२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल तथा श्री विजयशंकर (अनुपस्थित)—

क्या इस तहसील के सदर मुकाम, बिधूना और बड़े कस्बों, जैसे कुदरकोट व अछल्दा आदि, में बिजली पहुंचाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए यह बतलाना संभव नहीं है कि कब तक इन नगरों का विद्युतीकरण हो सकेगा।

वाराणसी जिले में गंगा में गन्दा पानी गिरना

*४३—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि वाराणसी जिले में मुगलसराय रेलवे तथा कस्बे का गन्दा पानी पक्की नाली द्वारा गंगा जी में गिराया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन गांवों में होकर पानी जाता है, और वहां अब तक कोई सिंचाई का साधन नहीं है उक्त पानी रोक कर उससे उन ग्रामों की जमीन सींचने का प्रबंध करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय तथा तृतीय भाग—जी नहीं । इस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था संभव नहीं है ।

श्री बृजबिहारी—

जो गंदा पानी गंगा जी में गिराया जाता है उससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, इसलिये क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ऐसा गंदा पानी गंगा जी में न गिराया जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन में शोर बहुत हो रहा है । अगर मन न लगता हो तो थोड़ी देर के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय ?

श्री झारखण्डेराय—

अभी जो सवाल पांडेय जी ने उठाया है उससे लोगों में बड़ी उत्सुकता पैदा हो गयी है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरी सूचना अभी तक यह है कि यह नाला रेलवे कालोनी से कुछ दूर तक बना हुआ है, पक्का बना हुआ है और उसके बाद कच्चा जाता है । सिंचाई उससे संभव नहीं है क्योंकि एक तो पानी रेगुलर उसमें नहीं होता दूसरे नीचे में चला गया है । जहां तक गंगा जी में न डालने का सवाल है, वह प्रश्न हमारे सामने अभी तक नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह देखते हुये कि मुगलसराय, बनारस, कानपुर बहुत से ऐसे शहर हैं जिनका गंदा पानी गंगा में गिराया जाता है और करोड़ों आदमी गंगा में नहाते हैं, तो मंत्री जी कोई ऐसी व्यापक योजना बनायेंगे कि ऐसे नालों को रोक करके उससे सिंचाई का कार्य लिया जाय और गंगा में उनको न गिराया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो मैंने कह दिया कि इस नाले का पानी सिंचाई के लिये लिया जाना संभव नहीं है । और कोई योजना नहीं है ।

श्री बृजबिहारी—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मैंने कहा था कि क्या यह सरकार को ज्ञात है कि ऐसा गंदा पानी गंगा में गिराने से जनता के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है तो क्या इस योजना पर विचार करेंगे कि उसके पानी को गंगा में न गिराया जाय ?

नोट : —तारांकित प्रश्न ४३ श्री काशीनाथ मिश्र ने पूछा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गंगा जी में गिर जाय तो हर चीज शुद्ध हो जाती है ।

श्री दयाराम शाक्य—

मंत्री जी ने कहा था कि यह नीचे से जाता है इसलिये सिंचाई नहीं हो सकती । तो इस बात को ध्यान में रखते हुये बीच-बीच में बांध देकर पानी के लेविल को ऊंचा करके सिंचाई के लिए सुविधा उत्पन्न करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पानी रेगुलर तो वहां आता नहीं है, इसलिये यह फीजिबिल नहीं होगा ।

वाराणसी के एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कथित जांच

*४४—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २३ जनवरी, १९५८ को गृह मंत्री जी द्वारा वाराणसी के श्री देवनन्दन आदि के प्रार्थना-पत्र पर श्री रामचरण लाल श्रीवास्तव, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, वाराणसी, के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किये गये थे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था ।

*४५—श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो उस संबंध में जांच से क्या तथ्य सामने आये तथा उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में एण्टी-टी० बी० ऐसोसिएशन की जमीन

*४६—श्री संतसिंह यूसुफ—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर एन्टी-टी० बी० एसोसिएशन की करीब १२ एकड़ भूमि जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर, ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत किस आधार पर और किस काम के लिये एक्वायर कर ली ?

*४७—एण्टी-टी० बी० एसोसिएशन के काम में बाधा डालने का औचित्य क्या है ? क्या कानपुर में एण्टी टी० बी० एसोसिएशन की जमीन के अलावा ऐसी जमीन खाली नहीं थी जिसे एक्वायर किया जाता ?

*४८—कानपुर में उद्योगपतियों ने बहुत पहले मजदूरों के क्वार्टर आदि बनवाने के लिये चार आने बीघे पर जमीन खरीदी थी जिसका उपयोग नहीं किया गया है ? उस जमीन को एक्वायर करने में क्या रुकावट है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही

श्री संतसिंह यूसुफ—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ८ महीने से सवाल चल रहा है और दो-तीन बार यह पोस्टपोन हो चुका है । हर बार यह झगड़ा उठता है । बहुत ही अहम यह सवाल है । टी० बी० सेनेटोरियम की जमीन को डिफेंस आफ इंडिया में एक्वायर करके और परिवहन विभाग को दे दिया जबकि लाखों बीघा जमीन पड़ी है । पार्टीबाजी की वजह से टी० बी० सेनेटोरियम नहीं बनता.....

श्री अध्यक्ष—

यह संत सिंह जी ठीक कह रहे हैं । नोट के बमूजिब वह सवाल ७ मार्च को उनके पास भेजा गया था....

श्री संतसिंह यूसुफ—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुबारा नहीं बल्कि तिबारा भेजा गया है । पहले भेजा वह चला गया । अगले सेशन में फिर दोबारा भेजा और फिर तिबारा भेजा । तिबारा भेजने पर पिछली बार आया था तो पोस्टपोन हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय परिवहन मंत्री, अबकी बार यह पोस्टपोन न हो । शायद सत्रावसान होने की वजह से यह गड़बड़ हो गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह सवाल तो बहुत जरा सा सवाल है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर एण्टी टी० बी० एसोसिएशन की करीब १२ एकड़ भूमि जिला मैजिस्ट्रेट, कानपुर, ने भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत किस आधार पर और किस काम के लिये एक्वायर कर ली ? इसमें तो, श्रीमन्, अभी टेलीफोन से सब सूचना मंगा सकते हैं । कितनी देर लगेगी उसमें ?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि वह तीनों सवाल उसी से संबंधित हैं, शायद । अच्छा, तो अब आप कब जवाब देंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह अगली बार दे देंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह अगली बार कब आयेगा ? इसी सेशन में या विधान सभा भंग हो जायगी, उसके बाद होशियार बैठेगी, तब आयेगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

१४ अप्रैल को तो आ ही जायगा ।

विधान सभा

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले में रोडवेज कर्मचारियों का भत्ता

१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के रोडवेज कर्मचारी, ड्राइवर आदि को क्या नवम्बर सन् १९६३ ई० से नाइट भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि यह सत्य है तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

नवम्बर व दिसम्बर, १९६३ के क्रमशः ४ व १६ कर्मचारियों का और जनवरी व फरवरी १९६४ के सभी कर्मचारियों का नाइट भत्ता बाकी है, जिसे शीघ्र देने की व्यवस्था की जा रही है। विलम्ब के लिये जांच की जा रही है।

२—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार वेतन, भत्ता आदि ४ तारीख तक प्रति मास दे देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं है परन्तु भुगतान जल्दी से जल्दी करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

३—५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा जिले में चावली नहर बढ़ाने की योजना

६—श्री शिवचरण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आगरा के अन्तर्गत रजबहा सेपऊ के मील २२ से जो माइनर निकली है वह चावली होते हुये एत्मादपुर तक बढ़ाई जा रही थी और उसका सर्वे भी हो चुका था ? यदि हां, तो अभी तक न बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला आगरा के अन्तर्गत रजबहा सेपऊ के मील २२ से कोई माइनर नहीं निकली है। हाथरस ब्रांच के रजबहा सेपऊ के मील १९–२ पटरी बाई से चावली माइनर निकली है उसका एक्सटेंशन जिला आगरा के एतमादपुर ब्लाक में रामगंगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है और उसका सर्वे भी हो चुका है तथा लांग सेक्शन (Long Section) भी स्वीकृत हो गया है लेकिन चूंकि रामगंगा बांध का पानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगा इस कारण इसको बनाना स्थगित कर दिया गया है। पानी उपलब्ध होने पर कार्य को हाथ में लिया जायगा।

गोरखपुर जिले में बस सर्विस

७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेंदा–बृजमनगंज–नौगढ़, बृजमनगंज–नौतनवां सड़कों पर कब से सरकारी बसें चलनी शुरू हो जायेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जिला परिषद्, गोरखपुर, ने सूचित किया है कि फरेन्दा–बृजमनगंज के बीच की सड़क इस वर्ष के अन्त तक ठीक हो जावेगी; उसके पश्चात् फरेन्दा–बृजमनगंज–नौगढ़ मार्ग पर सरकारी बसें चल सकेंगी।

नौगढ़—बृजमनगंज—नौतनवां मार्ग पर इस माह के अन्त तक सरकारी बसें चालू हो जाने की आशा है ।

८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों पर कभी बसें सरकारी चलती थीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री मुजफ्फर हसन—

फरेन्दा—बृजमनगंज—नौगढ़ मार्ग पर सरकारी बसें नहीं चली थीं । परन्तु नौगढ़, बृजमनगंज, नौतनवां मार्ग के नौगढ़ , उस्का बाजार भाग पर सरकारी बसें दिनांक १५ अप्रैल, १९६० से चल रही हैं ।

गोरखपुर, फरेन्दा, बृजमनगंज, नौतनवां मार्ग का बृजमनगंज, नौतनवां एक भाग है । उक्त मार्ग पर दिनांक २५ जून, १९६० को रोडवेज सेवाएं प्रारंभ की गयी थीं परन्तु वर्षा के कारण मार्ग की दशा खराब हो जाने से दिनांक २६ जून, १९६० को ही स्थगित कर देनी पड़ी । पुनः दिनांक १६ नवम्बर, १९६० से सेवाएं चलाई गईं परन्तु लालपुर पुलिया के टूट जाने के कारण दिनांक ५ जनवरी, १९६१ से स्थगित कर देनी पड़ी ।

ताल ग्राम टाउन एरिया को बिजली देने के लिए सर्वेक्षण

९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के ताल ग्राम टाउन एरिया में बिजली कब तक पहुंच जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

यह जानने के लिये कि ताल ग्राम टाउन एरिया का विद्युतीकरण प्राविधिक दृष्टि से संभव है अथवा नहीं सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है । प्राविधिक दृष्टि से संभव पाये जाने पर इसके विद्युतीकरण का कार्य उचित समय पर हस्तगत किया जायेगा ।

गोरखपुर सिंचाई क्षेत्र में चपरासियों को वर्दी

१०—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, देवरिया, से जिलेदारी आफिस में काम करने वाले चपरासियों को वर्ष में कितनी वर्दियां मिलती हैं और गोरखपुर डिवीजन के जिलेदारी आफिस में काम करने वाले चपरासियों को उपरोक्त वर्दियां क्यों नहीं दी जातीं ?

श्री गिरधारीलाल—

सिंचाई विभाग में नलकूप डिवीजन देवरिया के नाम से कोई डिवीजन नहीं है । लेकिन इर्रीगेशन डिवीजन, देवरिया, के नाम से एक डिवीजन है । इस डिवीजन में एक जिलेदार के साथ लगे हुये चपरासी को जो स्थायी है, गर्म वर्दी तीन वर्ष में एक बार दी जाती है । शेष दो चपरासी अस्थायी हैं और उन्हें वर्दी नहीं मिलती । ट्यूबवेल डिवीजन, गोरखपुर, में किसी भी जिलेदार के साथ लगे हुये चपरासी स्थायी नहीं है, अतः उन्हें कोई वर्दी नहीं दी जाती ।

सदन द्वारा दण्डित व्यक्ति, श्री केशवसिंह, की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश श्री एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश श्री जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, इस वैधानिक गुत्थी के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में आपने सुना होगा, इस प्रश्न को लेकर सारे देश में एक गम्भीर वातावरण बनता चला जा रहा है। जहां इस सम्बन्ध में हमने कुछ कदम उठाया है, वहां दूसरी ओर २८ जजों ने बैठकर इस सम्बन्ध में आपके आदेशों को रोकने के लिये आर्डर पास किये हैं और कुछ के विरुद्ध क टेम्प्ट की नोटिसें भी जारी हुई हैं। इस प्रकार स्थिति और गम्भीर होती चली जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस केस को किसी प्रेस्टीज का प्वाइंट न बनाया जाय और इस सम्बन्ध में कोई हल ढूंढने की आवश्यकता है। मेरा इस सम्बन्ध में आपसे यह निवेदन है कि १४३ के अन्दर इस मामले को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में भेज कर हमेशा के लिये इसे सुलझा सकते हैं। यही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम इस वैधानिक गुत्थी को सुलझा सकते हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि वह इस प्रश्न को, प्रेस्टीज का प्वाइन्ट न बनाकर, जजों और इस सदन की, दोनों की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख कर, राष्ट्रपति महोदय के पास भेज कर सुप्रीम कोर्ट में इसे भेजने की प्रार्थना करें ताकि हमेशा के लिये कोई हल निकल सके।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकारी पक्ष को भी सुनना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

अभी जैसा कि माननीय केशरीप्रसाद जी ने इस सदन को यह सूचना दी कि मार्शल कहीं आपकी आज्ञा पालन के लिये गये हुये थे और वे गिरफ्तार हो गये हैं, आपने स्वयं अभी यह कहा था कि वे आपकी आज्ञा पालन के लिये गये हुये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मार्शल इस वक्त यहां नहीं है, अगर उनकी आवश्यकता हुई तो उनका कार्य कौन सम्पादित करेगा।

श्री अध्यक्ष--

मार्शल काम कर रहे हैं। आज, आपको मालूम होगा, मार्शल ने ही यहां मेरे आने की घोषणा की थी।

अब यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके सम्बन्ध में हमारी भावनाओं पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। फिर भी, जो विचार यहां माननीय नेता, विरोधी दल, ने आपके सामने रखा है, उस पर मैं सरकारी पक्ष के विचार जानना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

जो सुझाव माननीय नेता, विरोधी दल, ने रखा है, उस सम्बन्ध में आप सरकारी पक्ष को भी सुन लें। (व्यवधान)

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

अध्यक्ष महोदय, जिस समय अभी मैं सदन में आ रहा था तो हमारे माननीय विरोधी दल के माननीय नेता शायद यह शब्द कह रहे थे कि सरकारी पक्ष को भी इसमें आग्रह नहीं करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये। शायद उनकी राय यह है कि प्रेसीडेंट के सुपुर्द कर दिया जाय और सरकारी पक्ष को इसमें आग्रह नहीं करना चाहिये। पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो प्रश्न उपस्थित है उसमें सरकारी पक्ष और गैर-सरकारी पक्ष का सवाल नहीं है। (शोर) मैं अपने दोस्तों की यह जिम्मेदारी समझता हूं कि वे शान्तिपूर्वक मेरी बात सुनें। जितना मैं समझा हूं, अभी तक इस प्रश्न को सरकारी या गैर-सरकारी दृष्टि से नहीं देखा गया है। यह सारे सदन के मान, अवमान और विशेषाधिकार का प्रश्न है। लेकिन जितने मेरे मित्र उधर बैठे हुये हैं और मैं मानता हूं कि जितने मेरे मित्र इधर बैठे हुए हैं, सबकी राय का मैं इजहार करता हूंगा जबकि मैं अर्ज करूं कि राष्ट्रपति के सुपुर्द यह प्रश्न किया जाय। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। २१ तारीख को जो प्रस्ताव था उसमें चूंकि हमारे दोस्त बी० बी० शरण जी ने कुछ भाग लिया था····

श्री अध्यक्ष—

भाग ही क्या, वह तो प्रस्तावक थे।

श्री चरणसिंह—

अच्छा। मैं उस रोज मौजूद नहीं था। मुझे अखबारों से मालूम हुआ। जो कुछ भी कार्यवाही हुई उसमें उनका नाम भी शामिल है। माननीय बी० बी० शरण जी कोई प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि वही राय हमारे उधर के बैठे सब दोस्तों की है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसके पहले कि शरण साहब अपना प्रस्ताव पेश करें या कोई सुझाव रखें, कल आपने सदन में कहा था कि हमारे फैसले के अनुसार कार्यवाही हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय तक क्या कार्यवाही हुई। कब आपने वारन्ट जारी किया, कब दस्तखत किया? उसके बाद फिर नये सुझाव और नयी बात।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया और माननीय चौधरी चरण सिंह ने उसका समर्थन किया जहां तक मैं समझा हूं। इसके बजाय कि अब माननीय शरण कोई प्रस्ताव लावें या उधर से कोई प्रस्ताव आवे, जो प्रस्ताव नेता विरोधी दल का है और जिसका समर्थन हो गया है . . . . .

श्री अध्यक्ष—

एक बात सुन लीजिये। माननीय नेता विरोधी दल ने एक पक्ष रखा। मैं यह जानना चाहता था कि सरकारी पक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। उसके सम्बन्ध में माननीय चरण सिंह ने यह संकेत किया कि हमारा यह दृष्टिकोण लेखबद्ध कर दिया गया है और बी० बी० शरण जी उसे रखना चाहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

जब माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा और उसका समर्थन हो गया.....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया है, केवल सुझाव दिया है।

श्री शारदाभक्तसिंह--

मैंने तो प्रस्ताव के ही रूप में अपनी बात कही थी। मैंने प्रारम्भ में ही यह प्रस्ताव रखा कि सारी परिस्थिति को देखते हुये, संविधान की धारा १४३ के अन्तर्गत यह मामला प्रेसीडेंट को भेज दिया जाय, वह सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला ले लें। मेरा यह प्रस्ताव है कि इस वैधानिक गुत्थी को देखते हुये और जो दूसरी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं उनको सुलझाने के लिये प्रेसीडेंट महोदय से यह प्रार्थना की जाय कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की राय लेकर के गुत्थी को सुलझा दें।

श्री नेकराम शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, आप कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव का रूप यह है कि वर्तमान गुत्थियों को देखते हुये इस विषय को अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत प्रेसीडेंट के सुपुर्द किया जाय।

श्री शारदाभक्तसिंह--

रेफर कर दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

हम प्रेसीडेंट पर यह पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट को दें। माननीय चरण सिंह ने उसका समर्थन कर दिया। अब प्रश्न यह है कि शरण साहब कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं। मान लीजिये कि उसमें कोई संशोधन हुआ। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव को सबको दिखा लिया जाय और सवसम्मति से यहां निर्णय हो जाय और उसको अध्ययन करने के लिये सदन स्थगित हो जाय एक घंटे को। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्रस्ताव आवे कि यह सारा प्रश्न राष्ट्रपति के सुपुर्द कर दिया जाय, यह सदन निर्णय करता है।

श्री रामायण राय--

मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। १४३ धारा का जहां तक सम्बन्ध है, विधान सभा को या किसी अन्य को यह अधिकार नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--

आप तो उस पर बहस कर रहे हैं। जब वह प्रस्ताव सदन के सामने आ जाय तो उसकी मैरिट्स पर बहस हो सकती है। अब तो सिर्फ यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव रखा। उसके लिये माननीय नेकराम जी ने कहा कि माननीय चरण सिंह जी ने उसका समर्थन किया है। अब माननीय कृषि मंत्री अपना स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, सुन लिया जाय।

श्री रामायण राय--

लेकिन १४३ में यह प्रस्ताव नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह बाद में देख लिया जायगा।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से यह अर्ज करना चाहता था कि यह जो हमारे यहां इस समय बुलन्द आवाज से काम लिया गया, वह चीज बिलकुल ही अनावश्यक थी। अभी मैं कोई भेद नहीं खोल रहा हूं जबकि मैं सदन के सामने यह अर्ज करूं कि इधर के पक्ष के कुछ लोग

और उधर के पक्ष के कुछ लोगों ने मिल कर कोई बातचीत की थी और उसमें से जो माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं, उसका भी जिक्र आया। बहुत से दोस्त उसमें मौजूद थे, जिनका नाम लेना जरूरी नहीं, विचार के बाद मुन्तशिर हो गये। उसके बाद फिर कुछ चर्चा चली और यह तय हुआ कि राष्ट्रपति से यह दरख्वास्त की जाय कि इस सारे मामले को वे सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दें। बी० बी० शरण जी का नाम इसलिये लिया गया कि वह रिट की प्रोसीडिंग्स की एक पार्टी हैं और वह प्रस्ताव भी उन्होंने पेश किया और आपस में विचार करके हम लोगों ने यह समझा कि क्योंकि इसमें सरकारी और गैर-सरकारी का कोई मामला नहीं है, सदन का प्रश्न पहले है, और चूंकि पहला प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था लिहाजा वही इस प्रस्ताव को पेश करें तो यह मनासिब होगा। अब सवाल यह है कि अखबारों में प्रोसीडिंग्स की निगाह में यह बात हो सकती है कि यह किसने पेश किया, तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि इसका क्रेडिट माननीय नेता, विरोधी दल को दे दिया जाय कि यह प्रस्ताव उन्होंने ही पेश किया और हम उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इस प्रस्ताव में वही है जो वे चाहते हैं और जिसको बी० बी० शरण साहब पेश करने जा रहे थे। अगर माननीय सदस्यों को यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो वे इसको मंजूर कर लें। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और खुद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बताना चाहता हूं कि आपने जो किया ठीक किया। लेकिन यहां से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके लिये माननीय हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, २८ जजों ने। यह इस सदन को बड़ी भारी धमकी दी गयी है कि तुम अपील करो। आप मेरी बात सुन लें, यह आपकी और सदन की गरिमा का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं कई बार खड़ा हुआ माननीय चरण सिंह के प्रस्ताव पर बोलने के लिये, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---

प्रस्ताव माननीय चरण सिंह का नहीं है, माननीय शारदा भक्त सिंह का है।

श्री शारदाभक्तसिंह---

चूंकि आपने मेरा नाम लिया इसलिये केवल दो मिनट में अपना स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। जो माननीय चरण सिंह ने कहा.....

श्री काशीनाथ मिश्र---

कोई प्रस्ताव तो आ ही नहीं सकता।

श्री दीपनारायणसिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या यहां कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो सदन की गरिमा के अनुकूल न हो ?

श्री अध्यक्ष---

आप कहते हैं कि यह प्रस्ताव नहीं आ सकता, यह दूसरी बात है लेकिन प्रस्ताव का रूप तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाय, फिर सवाल होगा कि वह आ सकता है या नहीं। जो प्रस्ताव

[श्री अध्यक्ष]

का स्वरूप हमारे सामने माननीय शारदाभक्तसिंह जी ने रखा--इस पर उनमें और माननीय चरण सिंह में मतभेद है, इसलिये मैं चाहता हूं कि उसे सुन लिया जाय ।

श्री दीपनारायणसिंह--

मेरा भी प्रस्ताव है, पहले आप उसे सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आपको बाद में सुन लिया जायगा ।

श्री दीपनारायणसिंह--

मेरे कहने के बाद शायद उस प्रस्ताव का रूप कुछ बदला जा सकता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अगर माननीय शारदा भक्त सिंह कोई प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो उसे लिख कर पेश करें । उनके द्वारा लिखित प्रस्ताव ही आपके सामने पेश होना चाहिये ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम लोगों की आपस में कुछ बातचीत हुई ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

इनकी बात तो आप सुन लें, आखिर अपना स्पष्टीकरण तो ये करेंगे ही ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ये पहले समाप्त कर लें, फिर आप व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे । (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव--

जहां तक माननीय नेता, विरोधी दल के स्पष्टीकरण का प्रश्न है, प्रस्ताव के सम्बन्ध में और जिस तरह से आप सदन का कार्य संचालन कर रहे हैं उसी के बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

इस सम्बन्ध में मैं भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय नेता विरोधी दल ने जिस तरह का प्रस्ताव रखा है और जिस तरह से आप सदन का कार्य संचालन कर रहे हैं उस सम्बन्ध में मैंने भी व्यवस्था का प्रश्न पहले उठाया था तो आपने मुझे नहीं बोलने दिया और माननीय चन्द्रजीत यादव को हुक्म दे दिया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पहले सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप नियमावली पढ़ कर हमें बतलावें कि.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा उसी के सम्बन्ध में आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं न ?

श्री चन्द्रजीत यादव—

जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आप स्पष्टीकरण मांगने के पहले मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक बात आप सुन लीजिये। माननीय नेता, विरोधी दल, ने एक बात कही। उसके पश्चात् मैंने कहा कि जो बात कही गयी थी उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया को माननीय कृषि मंत्री जी ने आपके सामने बतलाया और उस पर माननीय नेकराम शर्मा ने कहा कि यह प्रस्ताव आया और उसका समर्थन हो गया। लेकिन प्रस्ताव के रूप में नहीं आया था, इसलिये मैंने कहा था कि प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव को रखा जाय, जिसे उन्होंने रखा। मैं समझता हूं कि अब तक की यही सूरत है और कुछ नहीं है। अब उसके सम्बन्ध में वह कह रहे थे कि माननीय चरण सिंह ने एक बात कही, उसको मैं स्पष्ट कर दूं। इस स्पष्टीकरण के बाद आप बोलें।

श्री चन्द्रजीत यादव—

उसी के सम्बन्ध में मैं कह रहा था।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने यह बात कही कि इस सम्बन्ध में हमारी आपस में कुछ बातचीत हुई। उस बातचीत में उधर से प्रस्ताव या सुझाव की बात तो रखी गयी लेकिन उधर से यह नहीं कहा गया कि हम यह करने वाले हैं। इसलिये उनकी सारी बात सुनने के बाद और जो कुछ भी उन्होंने मार्ग बतलाया है अपने अपनाने का, उस सारी बात को सुनने के बाद हमने कहा कि इससे हमारी सहमति नहीं है और तमाम बातों को सोच कर हमने एक रास्ता अपनाया और आज यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा। माननीय चरण सिंह ने कहा कि प्रश्न यह हो गया है कि पहल कौन करे, लेकिन ऐसी बात पहले से कोई नहीं थी और यह अगर पहले से कहा जाता तो मेरे लिये यह आवश्यक नहीं था कि मैं ही पहल करता लेकिन उनकी ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला, इसलिये सारी परिस्थिति को देखकर हमने यह चीज आपके सम्मुख रखी है। इसमें पहल का कोई सवाल नहीं है, प्रश्न यही है कि किसी तरह से कोई रास्ता निकले। वह उस प्रस्ताव को मेरे पास भेज दें तो कोई आपत्ति न होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब श्री काशीनाथ को क्या कहना है ?

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठें । श्री काशीनाथ मिश्र ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

४ आदमी एक साथ खड़े हैं, बारी-बारी से हो तो मैं सुन सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

७ सदस्य खड़े हैं, सब से पहले काशीनाथ मिश्र जी से आरम्भ होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय नेता, विरोधी दल ने जो प्रस्ताव आपके सम्मुख पेश किया है कि धारा १४३ के अधीन इस मामले को राष्ट्रपति के सुपुर्द किया जाय और उसका समर्थन माननीय चरण सिंह ने किया है, इस तरह का यह प्रस्ताव सदन में नहीं आ सकता जब तक कि हमारी नियमावली का रूल १०३ विद्यमान है । जो प्रस्ताव परसों इस सदन से पास हो चुका है उसकी मन्शा के विरुद्ध ६ मास के अन्दर कोई प्रस्ताव और नहीं आ सकता, यह रूल १०३ में दिया हुआ है । आप ३१५ में यदि उसको निलम्बित कर दें, केवल उस दशा में ही वह आ सकता है ।

दूसरे यदि कभी सदन गलत कदम उठा ले तो उसका परिमार्जन करने का भी उसे अधिकार है और यह हो सकता है कि आप, श्री बी० बी० शरण व श्री जेड० ए० अहमद यहां खेद प्रकट करें और कहें कि हमसे और सदन से भूल हुई और जो प्रस्ताव २१ मार्च को हुआ है उसको वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, संविधान की धारा १४३ राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वह ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट को कन्सल्ट कर सकें । इस धारा में लिखा है कि :

"If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of Supreme Court upon it, he may refer the question."

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, "यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि तथा तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उसके उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इस प्रकार

का और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

श्री रामायणराय—

मैं कह रहा था यह डिस्क्रीशन है राष्ट्रपति का। जो डिस्क्रीशन आपको मिला है सदन से उसमें दूसरा कोई आये तो मैं समझता हूं यह असंवैधानिक कार्य हो रहा है और विरोधी दल के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है वह संविधान की जिस धारा का हवाला दे रहे हैं उसके मुताबिक नहीं है। इसलिये विधान सभा को और खास कर प्रत्येक मेम्बर को उस प्रस्ताव पर विचार कदापि नहीं करना चाहिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं आप सब को पहले सुन लें, तब अन्त में जवाब दे दें।

*श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, विरोधी दल के नेता द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है मेरी राय है कि यह प्रस्ताव इस सदन में न आ सकता है, न पेश हो सकता है। मैं उद्धरण में कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद १४३ में राष्ट्रपति को स्वयं इसके बारे में सलाह लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से। अगर हम एक रिजोल्यूशन पास करके राष्ट्रपति को अधिकार सौंपते हैं तो मेरी राय में इस हाउस को जो सारे अधिकार संविधान में मिले हुए हैं वह राष्ट्रपति में निहित हो जायंगे अपने आप और फिर इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इस हाउस की सारी पावर्स राष्ट्रपति में निहित हो जायंगी और उस समय यह सदन डिजाल्व समझा जायगा। इसलिये मेरी राय है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा प्रस्ताव होता है तो यह सदन उस प्रस्ताव के अन्तर्गत आटोमेटिकली डिजाल्व हो जायगा। इसलिये यह प्रस्ताव नहीं आ सकता।

*श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, सदन के सामने एक प्रस्ताव आया—उसी के मुताबिक यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और सदन की जानकारी है इस पर वारन्ट हो चुके हैं और मार्शल को कार्यवाही करने के लिये भेज चुके हैं। हमारे मार्शल जा चुके हैं जजेज पर वारन्ट सर्व करने के लिये। उस दशा में पूरे हाउस से प्रस्ताव पास हुआ है कि इस मामले में मार्शल के जरिये जजेज को बुलाया जाय .....

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब क्या है ?

आप जितने संक्षेप में हो सके अपने प्रश्न को रखिये। आप तो किस्सा बयान कर रहे हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

एक फैसला हुआ माननीय अध्यक्ष का। उसके बाद निर्णय हुआ हाईकोर्ट का कि इस निर्देश को लागू न किया जाय। आप इसे राष्ट्रपति के सामने पेश कराने जा रहे हैं। राष्ट्र-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखपतराम शर्मा]

पति सुप्रीम कोर्ट के जजेज की राय ले सकता है। यदि यह अधिकार हम राष्ट्रपति को सौंप देते हैं तो इसका कानूनी मतलब होगा हाउस के अधिकारों की हत्या करना। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो वही बात रिपीट हो रही है।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रजभूषण शरण, जेड० ए० अहमद और श्रीपालसिंह जी मुल्जिम हो चुके हैं। उनको आप मत बोलने दीजिये। और जो दूसरे सदस्य हैं, उनको बोलने दीजिये। जो मुल्जिम हो चुके हैं हम उनके भाषण नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जब तक माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं उनकी बात को सुनना पड़ेगा।

(श्री काशीनाथ और श्री राधेश्याम के खड़े होने पर)

मैं आपसे कहे देता हूं कि अगर आपने बीच में टोका तो मैं समझूंगा कि आप दुर्व्यवस्था पैदा करने के लिए बीच बीच में उठते हैं और इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि आप सदन में न बैठें।

*श्री जेड० ए० अहमद—

श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह है कि इस वातावरण में किसी ठोस प्रस्ताव पर बहस करना मुश्किल होगा। जिस तरीके से यह प्रस्ताव आया है कि इसको जुबानी तरीके से कह दिया गया है कि इसको रेफर किया जाय, प्रस्ताव की भी शक्ल में नहीं बल्कि सुझाव के रूप में आया है, उस हालत में उस पर बहस हो गयी। कोई किताबें खोलता है और कोई नियमों को बताता है। ऐसी हालत में इस तरीके से इतने गम्भीर सवाल को टैकिल नहीं किया जा सकता है। इस समय परिस्थिति क्या है? कल हमने आपसे गुजारिश की थी कि आप बतायें कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा हम कार्यवाही कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने कार्यवाही की थी लेकिन आपसे यह बात मालूम नहीं हुई कि आपने क्या कार्यवाही की। चूंकि अभी तक हम उस पुराने प्रस्ताव पर कमिटेड हैं तो हम तय करें कि हम उस पुराने प्रस्ताव को तोड़ दें, क्यों तोड़ दें? उस जमीन को तोड़ें तो किस नयी जमीन को लें? क्या मालूम वह ठीक है या नहीं, वह दल-दल है, कीचड़ है? ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पहले तो इस सवाल को तय कर लेना चाहिये कि उस पुराने प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, वह स्थगित होगा या खत्म होगा। हम तो अपना सवाल राष्ट्रपति के पास ले जायें, लेकिन हाई कोर्ट के सामने बहुत से सवालात हैं। वे तो अपनी बातों की शिकायत नहीं करने वाले हैं। वे कार्यवाही चलायेंगे। हम फंस गये ऊपर और वह अपनी कार्यवाही करते चले जायें। इस पहलू को भी देख लिया जाय। उस पर भी सफाई हो कि राष्ट्रपति को देने का कितना हमको अधिकार है। कौन-सा प्रोसीजर होगा? वे सारी चीजें जो रामायण राय जी ने उठाई हैं, नरसिंहनारायण जी ने उठाई हैं, ये सारे सवाल उठेंगे। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि कुछ वक्त दिया जाय और जल्दीबाजी में इसको न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाय। हाउस को कुछ देर के लिये स्थगित किया जाय और हमें सोचने दिया जाय। विरोधी पक्ष के लोगों को आपस में मिलने दिया जाय। सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के लोगों को मिलने दिया जाय। सारे हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स को गौर से विचार करने दिया जाय। तब जाकर शान्तिपूर्वक तरीके से इस गंभीर सवाल पर शानदार कदम उठा सकते हैं वर्ना बहस में हम छिन्न-भिन्न हो जायंगे। इतना बड़ा यह सवाल है कि एक इधर से, एक उधर से बहस कर रहा है। मालूम नहीं किस पर बहस हो रही है। जो लोग चिल्ला रहे हैं उन्हें चिल्लाने दिया जाय, यह उचित नहीं है। हम लोग इस सवाल को यूनिफाइड तरीके से ले कर चलें। हमें अपने विचारों को जोड़ने का मौका दिया जाय हर पहलू से और हमें उम्मीद है कि एक रास्ता ऐसा निकालेंगे एक राय से अपनी शान को बचाते हुए, जिससे यह गुत्थी सुलझ सकेगी।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अभी जो डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने फरमाया है, जो उनकी मंशा है वह बिलकुल सही है। लेकिन मुझको शिकायत यह है कि मैं जो प्रस्ताव पेश करने जा रहा था चाहे उसे मेरी तरफ से समझ लिया जाय और अगर उनका प्रस्ताव है तो उनकी तरफ से मान लिया जाय, मैं उनकी तरफ से पढ़ कर सुना रहा हूं, इसे जब पढ़ कर सुना दूंगा तो मुझे उम्मीद यह है कि चन्द दोस्तों को छोड़ कर शायद सारे सदन को वह प्रस्ताव मंजूर होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अगर यह प्रस्ताव आ गया तो फिर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा मतलब यह है कि जिस चीज को वह सदन के सामने लाना चाहते हैं उसे आप देख लीजिये। फिर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं यह समझूं कि कृषि मंत्री प्रस्ताव पेश नहीं कर रहे हैं, केवल उसकी रूपरेखा हमारे सामने रख रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

तो फिर आप पहले व्यवस्था के प्रश्नों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न तब उठेगा जब कोई प्रस्ताव पहले हमारे सामने हो।

श्री जेड० ए० अहमद—

माननीय मुख्य मंत्री से मेरी अपील है कि २ घंटे के लिये सदन स्थगित किया जाय। क्या जल्दी है पास करने की ? समझ बूझ कर इसे पास किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

वातावरण इतना गड़बड़ है कि कोई भी बात शान्तिपूर्वक और संयम से सोची और समझी नहीं जा सकती। श्रीमन्, स्थिति यह है और मुझे दुख है कि नेता, विरोधी दल में ऐसा

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

प्रस्ताव पेश कर दिया, इससे पहले कि सदन का वातावरण सुन्दर और शान्ति बनाते । हमारा मार्शल अभी तक नहीं आया है और जानकारी है कि गिरफ्तार है और सदन के माननीय सदस्यों के और आपके भी खिलाफ वारंट हैं । ऐसी हालत में जब कि हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, हम हाथ जोड़ कर राष्ट्रपति के पास जायं कि हमारी पोजीशन खिचड़ी में पड़ गई है और हम परेशान हो गये हैं, इसलिये प्रस्ताव पेश किया जा रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से सदन का वातावरण ठीक किया जाय, मार्शल हाजिर किया जाय और सुचारु रूप से सदन का कार्य चले ।

श्री दीपनारायणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप जरा बैठ जाइये ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मैं सदन का वातावरण देखकर यह समझ रही हूं कि इस समय यह प्रस्ताव न लीजिये और सदन की इस समय नार्मल कार्यवाही चले । ४ बजे यह प्रस्ताव लें, इस बीच में मिलकर बातचीत करने का भी मौका मिल जायगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मेरा प्रस्ताव सुन लीजिये, श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष--

एक बात सुन लीजिये । एक प्रस्ताव माननीय दीपनारायण जी का आया है और एक आपका आया है । यह सब प्रस्ताव ४ बजे पेश होंगे ।

कार्य-क्रम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में आपत्ति

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का कार्यक्रम ५ बजे तक समाप्त किया जाय । अनुदान अजेन्डे में दिये हुये हैं, आगे समय नहीं है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं और आशा करता हूं कि नेता, विरोधी दल भी इसका समर्थन करेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के अनुसार ४ बजे यह प्रस्ताव लिये जायेंगे तो ५ बजे तक का आप प्रस्ताव कैसे कर रहे हैं ?

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है वह ५ बजे तक का है और ४ बजे इन प्रस्तावों को लेना है । इसलिये वे स्थिति साफ कर दें तो विचार किया जाय ।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि अनुदानों का पहले से कार्यक्रम निश्चित किया जा चुका है और अनुदान २६ तक होंगे और २८ को एप्रोप्रियेशन बिल है । इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि जितने भी अनुदान हैं उनके लिये चाहे आप तय कर दें कि चार बजे तक समाप्त कर दिये जायं या उसके बाद उनको ले लिया जाय ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष महोदय, अगर अनुदान समाप्त करना चाहते हैं और प्रस्ताव भी लाना चाहते हैं तो हम यह आश्वासन दे सकते हैं कि आज खत्म कर देंगे। यदि आवश्यकता होगी तो एक आध घंटे और बैठ जायेंगे और दोनों काम निबट जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा हो सकता है कि अनुदान समाप्त करने के बाद इसको लिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपसे और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना समय अनुदानों के लिये निर्धारित किया गया है यदि उसके विपरीत कोई प्रस्ताव आता है तो आपको हम लोगों के विचारों का भी खयाल रखना चाहिये। जिस ग्रांट के लिये जितना समय निर्धारित है उतना समय मिलना चाहिये ।

उसके बाद अगर कोई समय माननीय बनारसीदास जी लेना चाहते हैं तो १० बजे रात तक बैठें लेकिन जो समय निर्धारित है उसके मुताबिक बहस होनी चाहिये। उसके बाद और काम लिये जायं ।

श्री बनारसीदास—

कोई इरादा यह नहीं था कि समय कम दिया जाय लेकिन यह सदन अपने कार्यक्रम का पूरे तरीके से अधिकारी है। कठिनाई यह है कि पांच बजे के बाद बैठने में माननीय सदस्यों को असुविधा होती है। जब पहले २६ तारीख तक कार्यक्रम तय किया और बीच में अत्यावश्यक कार्यक्रम आ गया तो उसकी रोशनी में संशोधन करने का अख्तियार भी इस सदन को प्राप्त है ।

(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्या दिक्कत है कि अनुदान समाप्त करके यह प्रस्ताव लिया जाय ?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। आज टम्बेश्वरी जी ने एक प्रस्ताव दिया है, कल भी नेता, विरोधी दल ने एक प्रस्ताव आपके सामने ३०१ में दिया था। उसके लिये आपने कहा था कि साढ़े चार बजे लिया जायगा। हमारा दुर्भाग्य था कि आप साढ़े चार बजे कल नहीं पधारे। उसी प्रकार का प्रस्ताव फिर आया है। वह बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है। कल जो जनसंघ की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में उनके साथ दुर्व्यवहार, अमानुषिक व्यवहार, हुआ, उसके ऊपर हम लोगों ने कामरोको प्रस्ताव रखा था। वह इतना आवश्यक है कि आप उसको लें और हम लोगों को अनुमति दें जिससे उस पर विचार हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

३०१ में जो शब्द हैं वह इस प्रकार से हैं कि सदन की जानकारी के लिये अगर कोई माननीय सदस्य उसे लाना चाहें तो ला सकते हैं। उसमें वादविवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं है। कल जो मैंने आदेश दिया था उसको पढ़ कर सुना दूंगा ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

सदन को जानकारी कैसे होगी ? वह पढ़ा तक नहीं गया। क्या विषय है, वह पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। वह मैं मंगा लूं तो आपको पढ़ कर सुना दूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जानकारी पूर्णतया तो तभी होगी जब आप विवाद होने देंगे अन्यथा एक लाइन में आप पढ़ देंगे उससे कैसे जानकारी होगी? मैं चाहता हूं कि आप दोनों प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अजेंडा का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह सब स्थगित है। यह पहले होगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

विशेषाधिकार के प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम १८९ को देख लीजिये जिसमें यह है कि बजट के समय अन्य कार्य मैं स्थगित कर सकता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—

कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आज लेंगे या कल ले लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आप सक्षम हैं इसको स्थगित करने के लिये, लेकिन जो क्रम लिखा हुआ है इस क्रम को आपको बदल देना चाहिये था पहले ही ...

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये। मैंने व्यवस्था दे दी कि मुझे अधिकार है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कटमोशन के सम्बन्ध में मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। आप इसको निश्चित कर दें तो मैं दो शब्द कह कर खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव आप पहले ले लें .... (व्यवधान)।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अभी नेता, विरोधी दल ने आपसे यह कहा कि कटमोशन पर उन्हें बहुत थोड़ा-सा बोलना है, मिनट दो मिनट में वह खत्म कर देंगे। तो इस चीज़ को आप अभी ले लें .....

श्री अध्यक्ष—

वह कल का कागज मैंने मंगाया है ... (व्यवधान)।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आप समय निश्चित कर दें इस समय इस पर विवाद होगा।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, मैं बता दूं। कल मैंने आदेश यह दिया है कि ३०१ के अन्तर्गत विचार का कोई प्रश्न नहीं उठता। ३०१ में यह दिया हुआ है ....

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात सुनी नहीं। कल सदन के परिसर के अन्दर एक ऐसा वातावरण बना, एक ऐसी घटना हुई और पुलिस की तरफ से हुई, उसको हम आपके सम्मुख लाना चाहते थे कि उस पर विचार हो जाय। मैंने कहा कि थोड़ा समय आप इसके लिए दे दें तो आपने कहा था कि साढ़े चार बजे हो जायगा। साढ़े चार बजे आप आये नहीं। कहा गया कि अध्यक्ष महोदय हैं नहीं, उनका आर्डर पढ़े देता हूं। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता था। और आज भी आप यही कह रहे हैं कि किसी वक्त हो जायगा....

श्री अध्यक्ष—

मैं तो ३०१ के बारे में कह रहा था, उसमें यह है कि "जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें जो औचित्य प्रश्न न हो जाय तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता है तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।" तो इसमें केवल यह हो सकता है कि मैं आपको समय दूंगा और उस समय मैं आप जो चाहें सदन की जानकारी के लिए कह लें, लेकिन फिर उस पर कोई विवाद नहीं होगा।

श्री शारदाभक्तसिंह—

तो आप समय बता दें, क्योंकि आपको समय निश्चित करना है।

श्री अध्यक्ष—

अनफारचुनेटली, मैंने उस में जो लिखा था वह हो जाना चाहिये था लेकिन हुआ नहीं। मैंने कहा था कि कार्य समाप्त होने पर वह अधिक जानकारी जो आप देना चाहते थे, वह दे दें। लेकिन वह चीज हो नहीं पायी। (व्यवधान)

तो आज भी जब कार्य समाप्त हो जाय तब वह ले लिया जायगा।

श्री शारदाभक्तसिंह—

आप समय निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समय निश्चित कर दूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो अलग प्रश्न है और वह आज ही मैंने दिया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कुर्सी से चले जाते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह भूल जाते हैं कि चेयर ने क्या आश्वासन दिया था..... (व्यवधान) आप जरा सुन लें, मेरा कहना क्या है..... (व्यवधान).....मैं कल रात में ८ बजे तक खड़ा रहा, आपके कक्ष में आज सबेरे भी गया था....

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी, यह कायदा नहीं है कि आप स्वयं मेरे पास आकर दें। वह आप आफिस में दिया करें, मेरे पास आ जाया करेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, कल जो प्रस्ताव था वह कल नहीं आया तो अब आपके पास मैं न आता तो.....

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वह आफिस में दे दिया करें। मेरे पास आ जाया करेगा। अब इस समय आप बैठ जाइये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

बैठ तो हम जायेंगे, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं। औचित्य के प्रश्नों पर तत्काल समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन ३०१ में औचित्य से परे प्रश्नों के बारे में है। तो आप वह उलटा प्रस्ताव कर रहे हैं; वह नहीं आ सकता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

नहीं, वह प्रस्ताव बिलकुल वैसा ही है जिसके लिये आपने दूसरे प्रस्ताव पर आदेश लिखा है जैसा आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपके प्रस्ताव को अभी देखा नहीं है, आप बैठ जाइये। जहां तक नियम ३०१ की बात है, वह कहता है कि औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित सूचना देगा। नेता, विरोधी दल जिस सूचना को कह रहे हैं उस पर मैंने यह आदेश किया था कि "नियम ३०१ के अधीन जो प्रार्थना की गयी है कि उपरिलिखित विषय पर विवाद की अनुज्ञा दी जाय, स्वीकार नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य केवल उन विषयों को सदन की जानकारी के लिये सदन के समक्ष रख सकते हैं जिस विषय का उल्लेख सूचना में किया गया है; तो उसका उल्लेख वे सदन में कर चुके हैं। श्री गंगवार भी कर चुके हैं। परन्तु उन बातों के अतिरिक्त कुछ कहना हो तो अनुदान पर मतदान होने के बाद माननीय सदस्य कह सकेंगे।

श्री शारदाभक्तसिंह---

यह आपकी आज्ञा शिरोधार्य होते हुये भी अगर मुझे मौका दे दिया गया होता तो कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर किसी कारणवश अनुज्ञा कल नहीं दी गयी तो उसके लिये आप कोई समय निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आज जब अनुदान समाप्त हो जायं तब मैं आपको मौका दे दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

शारदा भक्त सिंह जी ने तो आपकी बात सुन ली, लेकिन मैंने जो प्रश्न रखे है वे आपकी व्यवस्थायें जो समय समय पर हुई हैं उनसे संबंधित है कि उनका किस प्रकार से गृह मंत्री ने दुरुपयोग किया है और इसलिये क्यों उसे तत्काल लेना चाहिये, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरी बात तो सुन लीजिये। माननीय शारदा भक्त सिंह जी का भी ३०१ के अन्तर्गत है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

जी नहीं, मैं तो कहता हूं कि तत्काल उसे लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपने शायद नियम ३०१ पढ़ा नहीं है। उसमें है "ऐसा विषय जो औचित्य प्रश्न न हो, यानी प्वाइंट आफ आर्डर न हो, ऐसे प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं उसी के लिये तो कह रहा हूं अगर कोई अध्यक्ष पीठ से आपकी व्यवस्था का पालन न करे और आप कहें कि १० दिन बाद आयेगा, तो कैसे होगा? वह तत्काल आना चाहिये। आपने कितने कार्य-स्थगन प्रस्तावों को नियम ५३ के अन्तर्गत कर दिया है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कहा कि मैंने उसे देखा नहीं है। जब मैं आ रहा था तब मुझे मिला।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष जी, आप हम लोगों की भावनाओं पर तो ध्यान दें। आपकी आज्ञा होती है कि समय मतदान के बाद दिया जायगा। किन्हीं कारणों से वह मौका कल नहीं दिया गया और आज भी आप कहते हैं कि अनुदान के बाद होगा। आप अनुदान के पहले कर दें तो क्या मुश्किल है?

श्री अध्यक्ष—

वह तो नहीं हो सकता। सारी प्लीज।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अगर कल नहीं हुआ तो क्या उसका परिमार्जन इस वक्त कर दें तो नहीं हो सकता, आपको इसमें क्या कठिनाई है?

श्री अध्यक्ष—

अब अनुदान के पश्चात् ही होगा।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मुझे बड़ा दुख है इस बात पर आपकी आज्ञा होते हुये भी मैंने जो प्रार्थना की थी उस पर मुझे कल मौका नहीं मिला। इसका अनुभव करते हुए भी कि आप उसे इस अनुदान लेने के पहले भी नहीं कराना चाहते, हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हम सदन त्याग दें।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह आइटम नं० १० और ११ क्या नहीं लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वे नियम १८९ के अन्तर्गत स्थगित हो गये हैं।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३८--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (क्रमागत)†

श्री बौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम गुलाम थे तो स्वराज्य की यह एक इकाई हम लोगों के सुपुर्द की गयी थी और यह हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर था। इसके परिणामस्वरूप ही हमारे जितने बड़े नेता हैं वे किसी न किसी म्युनिसिपिल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। पंडित नेहरू इलाहाबाद म्युनिसिपिल बोर्ड के चेयरमैन रहे, गोविन्दबल्लभ पंत जी नैनीताल बोर्ड के और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी पटना म्युनिसिपिल बोर्ड के चेयरमैन थे। लेकिन जब हम गुलाम थे तो वह महसूस करते थे कि इन स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक अधिकार मिलना चाहिये लेकिन जब से हम आजाद हुए हैं तब से हमने इनके अधिकारों को कम करना शुरू कर दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, डिप्टी रजिस्ट्रार, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कंटेंप्ट का नोटिस लेकर आये हुए हैं और माननीय सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। आप पर भी वह नोटिस तामील करना चाहते हैं। क्या आपको इसकी सूचना है ?

श्री अध्यक्ष--

यह गलत सूचना है। न कोई कंटेंप्ट हुआ है और न कुछ और। आप बैठें।

श्री बौलतलाल--

जब से हम आजाद हुए हैं इन निकायों के अधिकार सीमित होते जा रहे हैं। निकायों का सुपरसेशन ज्यादा से ज्यादा एक साल रहना चाहिये। होता यह है कि पांच, पांच साल तक वे सुपरसीडेड रहते हैं और नये चुनाव होने पर ही वे अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक प्रारंभ कर पाते हैं। सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के स्थान पर हम सारे अधिकार सरकार के और नौकरशाही के हाथ में सीमित करते जा रहे हैं। सन् ४७ के बाद हमारा सब से छोटा निकाय टाउन एरिया का है। उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है। वह टैक्स के बल पर ही अपना काम चलाती है। सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उसको बहुत कम होती है। वहां जो पी० डब्लू० डी० की सड़कें हैं उनकी मरम्मत पी० डब्लू० डी० नहीं कराता।

निकाये ठीक ढंग से सड़क की मरम्मत करा सकें या सड़क पर कंकड़ डलवा कर सुविधा दिला सकें, उसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वित्तीय सहायता इतनी कम मिलती है जिससे यह काम नहीं हो पाता। हाल में फूलपुर टाउन एरिया, आजमगढ़ में पी० डब्लू० डी० की सड़क की हालत इतनी खराब थी कि जिलाधीश ने इंजीनियर को लिखा कि यह तारकोल की बना दी जाय, लेकिन कंकड़ तो रखा गया, पत्थर की गिट्टी रखी गयी लेकिन बनी नहीं। इंजीनियर को लिखा गया तो उसने कहा कि कंकड़ डाल देने के बाद पत्थर की कुटाई की जायगी। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। न डबल कोट हुआ और न तारकोल की सड़क बनी। हालत यह है कि टाउन एरिया का जितना टैक्सेशन है वह कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है। कर्मचारियों को महंगाई भी नहीं मिल पातीं। गढ़मुक्तेश्वर की एक सड़क को हटाकर बाहर से एक सड़क निकाली गयी और तहबाजारी उस पर लगा दी गई। उस पर हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुआ और टाउन एरिया के खिलाफ फैसला हुआ। लेकिन आज भी टोल टैक्स लगा हुआ है और १,२५,००० रुपये वसूल हो चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन और पेटीशन के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी और आज भी लोग तंग किये जा रहे हैं।

---

†२३ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से।

स्थानीय निकायों को प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल या कोई टेक्निकल स्कूल खोलकर इस प्रकार की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। वहां हालत यह होती है कि क्लर्कों का ट्रांसफर २५–२५ साल नहीं होता। आपने कहा था कि प्रांतीय स्तर पर ट्रांस्फर नहीं हो सकता, टाउन एरिया ऐक्ट में संशोधन की बात थी वह भी पूरी नहीं की गयी। गवर्नर के भाषण में इसका संकेत था, इसलिए अगर कभी संशोधन उस ऐक्ट में हो तो कम से कम जिला स्तर पर ही उनके ट्रांस्फर का प्राविधान उसमें अवश्य रखा जाय।

जहां तक टैक्सेशन का संबंध है, सरकमस्टांस एंड प्रापर्टी टैक्स स्थानीय निकायों की ओर से लगाया जाता है। उसमें भूमि और भवन कर आप लगा रहे हैं। तो इस तरह से डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। या तो आप ही सब लगावें या उनको लगाने दें। वह तो पहले से ही लगाते चले आ रहे हैं। या अगर सरकार समझती है कि उससे आमदनी कम होती है तो फिर स्थानीय निकायों के भूमि और भवन टैक्स को रद्द कर दें।

अगर आप यह समझते हैं कि आमदनी ज्यादा है, तो आप उसकी जांच करा लीजिए और दोनों में से एक ही टैक्स को रखिए।

टैक्सेशन की वसूलयाबी के लिये अभी तक कोई साफ कानून नहीं है। टाउन एरियाओं को अपना टैक्स वसूल करने में बड़ी दिक्कत होती है। कलेक्टर को वसूली करने के लिये लिखा जाता है मगर वहां से अड़ंगा लग जाता है। कहीं सम्मिलित प्रापर्टी का सवाल आ जाता है। मेरा इस संबंध में आपसे निवेदन है कि जिस तरह से आप लैंड रेवेन्यू वसूल करते हैं उसी तरह से यह टैक्स वसूल करने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसी की निकायों के अन्दर प्रापर्टी नहीं है और बाहर है तो उसी से वसूल होना चाहिये।

जो टाऊन एरिया है वह अगर कोई टैक्स लगाती हैं और उसके खिलाफ कोई अपील करता है तो फैसला होने से पूर्व ही वह टैक्स जमा करने से रोक दिया जाता है, जबकि और जिला-परिषद् वगैरह के टैक्स में ऐसा नहीं है। वहां पहले टैक्स वसूल होता है, बाद को अपील होती है। मेरा निवेदन है कि टाऊन एरिया के टैक्स में भी यही व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि टैक्स वसूल करने में दिक्कत न हो। अगर सिविल कोर्ट से कोई टैक्स किसी कमी के कारण रद्द किया गया हो तो उसे फिर से लगाने का भी अधिकार निकायों को होना चाहिये। टैक्सों का रुपया वसूल न होने के कारण, आमदनी के अभाव में, वहां कोई निर्माण का काम नहीं हो पाता। छोटे-छोटे काम भी रुके रहते हैं।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि छोटी-छोटी जो आपकी निकायें हैं, जैसे टाऊन एरिया वगैरह, इनको आप अधिक अनुदान दिया कीजिये। इनको लोन भी बिना ब्याज के मिलना चाहिये क्योंकि ब्याज की रकम ही इतनी ज्यादा होती है कि वे उसको नहीं दे पातीं। मूल रकम को वसूल करने के लिये आसान किश्तें होना चाहिये जिससे आसानी से वे कर्जा अदा कर सकें।

भूमि तथा भवन कर के संबंध में मैं अभी कह ही चुका हूं। मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अभी पिछली बार एक मीटिंग, जब माननीय विचित्र नारायण मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जिन निकायों ने यह टैक्स लगा दिया है वहां यह टैक्स नहीं लगाया जायेगा। आप उस निर्णय को कार्यान्वित करें जो उस समय हुआ था। जहां नहीं है वहां अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगायें, लेकिन डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि निकायों के लिये, खास तौर से टाउन एरियाज के लिये, आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वे अपना काम ठीक से चला सकें और रुपये का अभाव बाधक नहीं होगा।

जैसे गांव सभायें विकास खंड की एक इकाई होती हैं वैसे ही टाउन एरिया भी विकास खंड की एक इकाई हैं। टाउन एरिया के लिये आपने क्षेत्र समिति के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वह

[श्री दौलतलाल]

चाहे तो ३ पर सेंट अनुदान में से दे दे। फूलपुर टाउन एरिया के लिये क्षेत्र समिति ने स्वीकार किया और वहां के बी० डी० ओ० ने लिखा भी कि जो रुपया स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार काम किया जाय। काम करके जब बिल अदायगी का समय आया तो बी० डी० ओ० ने रुपया नहीं दिया और उसे दूसरे एकाउन्ट में ट्रांसफर कर दिया। मैं चाहता हूं कि प्लानिंग विभाग से विकास खंड को जो अनुदान दिया जाता है उसमें टाउन एरिया की रकम निश्चित कर दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मंत्री जी मेरी बातों पर विशेष ध्यान देंगे।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान का समर्थन करता हूं। हम समझते हैं कि हमारे स्थानीय निकायों की म्युनिसिपैलीटीज, नोटीफाइड या टाउन एरिया, सभी की समस्यायें करीब करीब एक-सी हैं। वहां सार्वजनिक निर्माण की चीजें, आप जानते हैं, सड़कें, ड्रेन, पब्लिक लैट्रीन पेशाबखाने और स्कूल आदि हैं। जहां पावर है वहां जल-कल के निर्माण की समस्या है,

(इस समय १ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

यह बात सही है कि इन मदों में जितना भी ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो सके उसकी बराबर मांग रहती है चूंकि स्थानीय निकायों के पास काफी पैसा नहीं होता है। कायदे से वे इन चीजों को ठीक से रख नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि सरकार इनके लिये रुपया दिया करे। जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा, ग्राम सभाओं की तरह स्थानीय निकाय भी विकास के लिये यूनिट हैं। लेकिन इनके भीतर विकास की योजनायें जितनी बड़ी होती हैं उतनी बड़ी देहात में नहीं होती हैं। सवाल इस बात का है कि इन कामों को करने के लिये हमारे यहां सभी स्थानीय निकायों में अलग अलग विभाग हैं। जहां तक उनका आपसी सम्पर्क है, मैं चाहूंगा कि अगर उनका आपस में सहयोग रहे तो खर्चा बहुत कम हो सकता है और ये चीजें भी कायदे से रखी जा सकती हैं। ड्रेन वाला इंजीनियर कोई दूसरा होता है, सड़क वाला दूसरा होता है। सड़कें बनाने के बाद ड्रेन वाले उन्हें आकर खोद देते हैं, या टेलीफोन की लाइन ले जाने वाले भी सड़कों को बराबर बिगाड़ा करते हैं। इस सबका नतीजा यह होता है कि स्थानीय निकायों के ऊपर डबल खर्चा बेकार का पड़ जाता है।

पानी के निकास की भी समस्या स्थानीय निकायों के सामने रहती है। उसके लिये उन्हें पक्की नालियां बनानी पड़ती हैं। अगर पानी न निकले तो वाकई वहां बहुत गन्दगी पैदा हो जाय। यह बीहड़ समस्या करीब करीब सभी जगह है। हम लोग आदी हो गये हैं कि जो जगह निगाह के सामने आवे वह तो जरूर साफ रहे लेकिन भीतरी हिस्से की परवाह नहीं करते हैं। इससे बीमारियां पैदा होती हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि जहां की आबादी ज्यादा है वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिये सफाई रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि साफ जल पीना। वैसी ही शुद्ध हवा भी मिलनी चाहिये। वह तब तक संभव नहीं है जब तक कि शहरों में ठीक से सफाई न हो। मैं समझता हूं कि यह स्वायत्त शासन विभाग सब विभागों का सहयोग किसी काम में एक साथ होने की नीति अपनावेगा ताकि फजूलखर्जी बन्द हो जाय।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। शहरों में जो गन्दे नाले नदियों में गिराये जाते हैं उसकी आप रोकथाम करें। हमारी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, स्वायत्त शासन सरकार, कानपुर की हैं। मुझे वहां जाने का अवसर हुआ। वहां घाट के समाज पंडों एवं जनता ने कहा कि कृपा करके सरकार एक मील के एरिया में कोई चमड़े का कारखाना है उसका पानी और अन्य गंदा पानी गंगा में न गिरने दें। ऐसे ही प्रयाग में गंगा और यमुना दोनों में इस बुरी तरह से गन्दगी गिराई जाती है कि उसके १ मील तक स्नान करना कठिन हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा घिनौना दृश्य देखने में आता है कि पूजा करते हुये मल दिखलाई

देता है। यह लज्जा की बात है कि १६ वर्ष की आजादी में भी यह विभाग इतना नहीं कर सका कि पाइप के द्वारा गन्दगी को दूर ले जाकर गिरावे जहां उसका सदुपयोग हो सके। हमारे इलाहाबाद में एक पाइप है जो नैनी के उस पार जाता है। आपको भी पता होगा कि नगरपालिका को उससे लाखों रुपये की आमदनी होती है और लाखों रुपये का उससे अन्न भी बढ़ा है। मेरा अनुरोध है कि इन गंदे नालों को जमुना के पार ले जाया जाय और उसके दूसरी ओर जो महेवा गांव का क्षेत्र है, जहां सिंचाई का भी कोई साधन नहीं है, इनको लेजाकर सिंचाई की जाय। इससे नदियों में जो गन्दगी होती है वह भी समाप्त हो जायगी।

इसके अतिरिक्त जो नगर महापालिकायें बनायी गयी हैं उनमें कुछ नये हिस्सों को जोड़ा गया है जैसे कि इलाहाबाद में नैनी और फाफामऊ है, वहां बड़ी दुर्व्यवस्था है। उनके लिये कार्पोरेशन को स्पेशल ग्रान्ट देकर वहां पर सुधार के काम कराये जायं। नैनी में ५०–६० हजार की आबादी है लेकिन वहां पर जल की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल लगा कर अथवा और किसी अन्य तरह से वहां जल कल की व्यवस्था होनी चाहिये।

नगरमहापालिका में कर्मचारियों के सर्विस रूल्स का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। इसके कारण अनेक प्रकार धांधली हो रही है, कर्मचारियों को डिग्रेड कर दिया जाता है। अन्त में मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि नगरमहापालिका के नये हिस्सों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान पेश है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और इसके साथ ही साथ गाजियाबाद के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। गाजियाबाद में किसानों की जो जमीन ली गयी है उसके मुवावजे की बड़ी भारी समस्या है। सड़क के किनारे किनारे १०० गज का मुआवजा ज्यादा दिया जा रहा है और दूर का बिलकुल कम। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे वहां गये और उन्होंने इसको देखा। कलकत्ता की एक रूलिंग है। इंडियन ला रिपोर्टर, पेज ९२१। नित्यगोपाल सेन वर्सेस सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल। २० अगस्त, १९३१। वह इस प्रकार है—

"The value of belting system, though widely used, depends much on variety of facts. It may be appropriate in the case of lands in populous and important towns, such as Calcutta. But in localities where the land is sold by bighas or acres, and there is no real evidence of any proportionate diminution in value, the system must be regarded as unsatisfactory. Of course, there is a distinction in value between front land and back lands every where, but that would not justify a recourse to the belting system in each and every case. It is a highly artificial system and cannot be resorted to as a hard and fast rule."

तो उस मुआवजे के तय करने में मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत हमदर्दी से विचार कर रहे हैं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उनको मुआवजा फ्लैट रेट पर दिया जाय।

दूसरी बात मुझे वहां की प्लानिंग के संबंध में कहनी है। वहां टाउन को बसाने के लिये जो प्लानिंग हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा जमीन बड़े बड़े प्लाटों में ली जा रही है। ३,२६५ प्लाट्स बनाये गये हैं जो ११०४.३० एकड़ भूमि में हैं। इनमें से १९१३ प्लाट्स ५०० गज से कम के हैं, और १३५२ प्लाट्स ५०० गज से ज्यादा के हैं और करीब ३७ प्लाट्स १८०० गज तक के हैं। इनकी एरिया को अगर ब्रेक अप करें तो १९१३ प्लाट्स ४३, ६०,२६० स्क्वायर फीट के हैं और १३५२ प्लाट्स १,०१,८९,५७२ स्क्वायर फीट के हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजसिंह]

प्रान्त जो सभी प्रान्तों से रोजगार में, आमदनी में व इंडस्ट्रीज में पीछे है वहां इतने बड़े प्लाट्स लोगों के रहने के लिये गवर्नमेंट कालोनी में देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

गाजियाबाद में करीब २० हजार हरिजन हैं। एक एक कमरे में ही उनके जानवर भी रहते हैं, उसी में उनकी बहू व बेटी भी रहती है। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि जो नयी कालोनी आबाद की जा रही है उसमें ऐसे प्लाट्स भी हों जिनको वे बेचारे भी खरीद सकें। वहां सरकार की तरफ से सब जमीन ले ली गयी हैं। गाजियाबाद में जिसे भी जमीन लेनी होगी उसे या तो कालोनी वालों से जमीन लेनी होगी या गवर्नमेंट से जमीन लेनी होगी। कालोनी वाले ३०-४० रुपये गज से कम पर जमीन नहीं बेच रहे हैं और गवर्नमेंट वाले भी २० रुपये गज से कम पर कोई जमीन नहीं बेच रहे हैं। वहां पर२०० गज, ४०० गज, ५०० गज और १८०० गज तक के प्लाट्स हैं, जिनको वे गरीब आदमी नहीं खरीद सकते हैं। इस तरह से कोई गरीब आदमी किसी नयी कालोनी में बसना भी चाहे तो नहीं बस सकता है। यह ठीक है कि शहर बड़ा अच्छा बन जायगा, वहां खुली खुली सड़कें हैं, करोड़ों रुपये वहां खर्च हो रहे हैं; लेकिन गरीब आदमी भी गाजियाबाद में बस सकेगा या नहीं, यह एक ऐसा प्रोबलम है जिसका जवाब माननीय मंत्री जी भी नहीं दे सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी वहां के प्लान को रिवाइज करें और वहां छोटे छोटे प्लाट्स बनवायें जिससे गरीब आदमी भी वहां बस सकें।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण जो प्रदेश के अन्दर हो रहा है, सिद्धान्त के रूप में तो बहुत अच्छा है लेकिन स्थान स्थान पर स्थानीय निकायों में जो पार्टीबन्दी उत्पन्न हो गयी है, उस पार्टीबन्दी के आधार पर सभी लोगों के मनोभाव बिगड़ चुके हैं और सेवा वृत्ति समाप्त हो चुकी है। पार्टी-बन्दी में जो सत्तारूढ़ दल है वह इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसकी पार्टी का बहुमत सदैव बना रहे और इसलिये सार्वजनिक हित के जो कार्य हैं वे नहीं हो पा रहे हैं। हमारी पार्टी का बहुमत बना रहे इसी दृष्टि को रख कर सभी लोग उन व्यक्तियों के साथ सहायता का व्यवहार करते हैं और इसलिये जो सार्वजनिक कार्य होने चाहिये, जो जनहित के कार्य होने चाहिये, न तो नगर-पालिकाओं, न टाउन एरियाज और न नोटिफाइड एरियाज में ही वे दिखलायी पड़ते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लहरपुर टाउन एरिया की बात माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां के अनेकों भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी और प्रार्थना पत्र मंत्री जी को दिये गये, जिलाधीश को दिये गये और उसके लिये टाउन मैजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी भी की लेकिन आरोपों के सिद्ध होने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं, एक ओर तो वहां के भ्रष्टाचार को वह समाप्त करना नहीं चाहते और दूसरी ओर टाउन एरिया द्वारा पास किये हुये प्रस्तावों के भी खिलाफ ही यहां से आदेश होते हैं, माननीय हरगोविन्द सिंह ने उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया जो वहां से थाना बनाने के संबंध में पास हो कर आये थे। वहां के टाउन एरिया ने प्रस्ताव पास किया कि लहरपुर का थाना टाउन एरिया में ही बनाया जाय और इसके लिये वहां के तमाम लोगों ने प्रार्थनापत्र भी दिये, हमारे यहां का एक प्रतिनिधि मंडल भी श्री हरगोविन्दसिंह से मिला, डाक्टर मेहरा ने भी कहा और श्री चन्द्रभानु गुप्त ने भी कहा; परन्तु माननीय हरगोविन्दसिंह ने फिर भी मर्जी के मुताबिक आदेश दिये और टाउन एरिया क्षेत्र के बाहर ही उन्होंने थाना बनवाया। जनता को चाहे जितना कष्ट हो और उसकी कुछ भी राय हो लेकिन उस पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता तो किस तरह से जन-कल्याण की बात कही जाती है? भ्रष्टाचार के बारे में भी कोई कदम नहीं उठाया जाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं केवल एक ही बात कहकर समाप्त करूंगा कि वह लहरपुर टाउन एरिया के विषय में विशेष जानकारी करायें और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे और जो साबित हो गये हैं उनकी जांच कर के फिर से तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब होती जाती है। आज जिन मंत्री जी के हाथ में विभाग है मुझे आशा है कि वह उन की तरफ विशेष ध्यान देंगे। बुन्देलखंड की हालत तो इस मामले में खास तौर से बहुत खराब है और वह भी उसी क्षेत्र के हैं, इसलिये तो मुझे और भी अधिक विश्वास है कि वह उस ओर अवश्य अधिक ध्यान देंगे। हमारे यहां ४ नगलपालिकायें हैं और चारों की दशा बहुत खराब है। उनको अनुदान भी बहुत कम दिया जाता है। जालौन जिले में कौंच, जालौन, उरई और कालपी ४ नगर-पालिकायें हैं। कौंच में केवल १ लड़कियों का जूनियर हाई स्कूल है और उसके आगे कोई वहां उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। इस कार्य को करने के हेतु बहुत बार अनुदान की मांग की गई पर व्यर्थ रहा। अन्य आवश्यक कार्य हेतु कौंच नगरपालिका ने सरकर से अनुदान मांगा लेकिन नहीं मिला। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां के लिये अनुदान बढ़ा दें ताकि वहां भी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके। यही हालत जालौन और कालपी की है....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें शिक्षा की बात कहां से आ गई?

श्री विजयसिंह—

नगरपालिकायें सार्वजनिक कार्यों के हेतु अनुदान चाहती हैं जो इस ग्रांट के अन्तर्गत आता है। बहराइच में भी ऐसा ही है। वहां के एक नोटीफाइड एरिया "भिनगा" की ग्रान्ट बन्द कर दी गई। कारण यह हुआ कि वहां सड़क बनने को थी। उसको नोटिफाइड एरिया ने एल० एस० जी० ई० डी० को दे दिया लेकिन वह समय के भीतर काम पूरा नहीं करा सके। आडिट रिपोर्ट में लिखा गया कि यह काम समय के भीतर नहीं करा सके। इस कारण इस भिनगा नोटीफाइड एरिया की, ग्रांट बन्द कर दी गई? काम सरकार न करा सके और ग्रांट बन्द कर दे नोटीफाइड एरिया की, यह कहां तक न्याय संगत है? मैं एक मिसाल देता हूं। एल० एस० जी० ई० डी०, कानपुर विभाग ने १९५८ में इलाहाबाद में एक ट्यूब वेल खोदा जो १९५९ में बन पाया जिसमें १०१ फुट के बाद एक बालू की १०० फुट की बेल्ट आई और वह काम १९६० में जांचा गया तब गलती पकड़ी गयी। यह है काम की ढिलाई। उसी प्रकार भिनगा के काम में ढिलाई हुई। और समय से सड़क नहीं बनी और उसका परिणाम भिनया नोटिफाइड एरिया को भुगतना पड़ा और आज भी ग्रान्ट बन्द है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह ग्रान्ट पुनः देने की कृपा करें। इसी विभाग की एक और मलिन बस्ती सुधार योजना है, उसमें भी गरीबों को धन नहीं दिया जाता और जिन मजदूरों के लिये मिल मालिक अपनी कालीनी बनवाते हैं उनको ही वह धन दिया जाता है। और वह उससे नाजायज लाभ उठाते हैं, गरीब अपनी भूमि भी दे बैठता है, उसका उसे मुआवजा भी नहीं मिल पाता और न नया मकान ही हाथ आता है। किसी भी शर्त पर जो मलिन बस्तियों की सुधार योजना के लिये गरीबों की जगह ली जाती है वह बहुत भ्रामक तरीका है, कायदा तो यह है कि जो मकान वहां बने वह उन्हीं को मिलना चाहिये जिनकी भूमि ली गई है। पर ऐसा नहीं होता। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो गरीबों की जमीन मलिन बस्ती सुधार योजना में ली जाती है सरकार की ओर से नये मकान बनवाये जाने के बाद उन्हीं गरीबों को दिये जायं जिनकी जमीन है, सरकार सब्सीडाइज्ड रेट पर थोड़ा किराया ले ताकि कुछ दिन यानी लांग टर्म के बाद वह मकान उनके हो जायं। जनहित को सोचते हुये मंत्री जी इन योजनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बस्ती सुधार योजना की हालत यह है कि लोगों की जमीन, मकान सब ले लिये जाते हैं और उनको एक दम उजाड़ दिया जाता है। इस योजना के लिये करोड़ों रुपया नगरपालिकाओं, महापालिकाओं को दिया जाता है लेकिन मेरी जानकारी है कि सारा का सारा रुपया अधिक जगहों पर इस्तेमाल नहीं होता है। सरकार दलील देती है कि जमीन नहीं मिलती। पर यह ठोस दलील नहीं है इस ओर सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिये। इसके अलावा जो वाल्मीकि हैं उनके मकान की समस्या भी बड़ी जटिल है। इस काम के लिये सरकार जो अनुदान म्युनिसिपैलिटीज को देती है वह लैप्स हो जाता है, बहुत कम जगह इस काम को पूरा किया गया है। मैं चाहता हूं मंत्री जी इसको देखें कि जो रुपया दिया जाय उसका सदुपयोग हो। फैजाबाद, बस्ती आदि जगहों पर रुपया ले लेने के बाद उसका उपयोग नहीं हुआ। सरकार ने भी जो मकान बनवाये हैं वह इतने महंगे हैं कि लोग उसमें जा कर रह नहीं सकते। नगर का विकास तेजी से हो रहा है, सरकार ने कुछ जमीन भी लोगों को दे दी है, रुपया भी देती है, प्लाट का भी इंतजाम करती है, नक्शा भी बनाती है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर पुनः विचार करे कि जो बंगले टाइप के मकान बनते हैं काफी जगह में, इनको रोका जाय। जब हमारे यहां जमीन की कमी है और अन्न की पैदावार की कमी है तो इतनी इतनी जमीन एक एक मकान के लिये देना कहां तक उचित है? मैंने यूरप में तो देखा है कि १०, १०, १६, १६ मंजिल मकान बनाये जाते हैं। अगर आप उतना नहीं कर सकते ४, ४ मंजिल के मकान बनवायें। सफाई कर्मचारियों की हालत खराब है, बहुत जगह उनको पाखाना सिर पर ढोना पड़ता है। आपको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे मैला सिर पर न ढोना पड़े। इस पर आप विचार करें। अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वाराणसी महापालिका की ओर दिलाता हूं। उस का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें मडुवाडीह को छोड़ दिया गया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मड़वाडीह को भी इसमें शामिल कर लिया जाय। वहां पर बाजार भी बन गया है इलैक्ट्रिफिकेशन हो गया है, सड़कें भी बन गयी हैं और सब चीजें बन गयी हैं, वाटर सप्लाई की व्यवस्था भी हो गयी है, तो इसको भी शामिल कर लिया जाय।

एक बात माननीय मंत्री जी से और निवेदन करनी है और वह यह कि जिस तरह से हमारे बड़े बड़े शहर बढ़ रहे हैं जैसे कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ आदि और आपके माध्यम से जो रुपया दिया जाता है लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में उससे भी हालत सुधरी नहीं है। लड़कियों के लिये जे० टी० सी०, नार्मल या और कोई टेक्निकल ट्रेनिंग की शिक्षा हो। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि बहुत फायदेमन्द होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री का उनकी महान् खसूसियात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीया तारा जी सहारनपुर तशरीफ ले गयीं। उनके पहले भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री पिछले साल ५ अप्रैल को तशरीफ ले गये। इन दोनों मंत्रि मण्डल के लोगों को वहां पर अच्छी तरह से उनके विभाग की करतूतें दिखायी गयीं। वहां पर बस्तियां ३ बढ़ीं। माननीया तारा जी ने खुद इन बस्तियों को देखा। १-२-३ जहां जमीन पर पैर रखा, पांव धंसता चला गया, सीमेंट पर हाथ रखा तो बालू हाथ में आई, जहां पर ईंटों को छुआ गया वहां ईंटें नीचे आ पड़ीं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं जा कर देखा, उनको लिख कर भी दिया गया और उन्होंने वादा भी किया कि हम इन्क्वायरी करायेंगे, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न तो मंत्री महोदय को और न उनके कमिश्नर को फुर्सत है। एक तो वहां पर भंगी कालोनी बनायी गयी और दूसरे लो इन्कम वालों की कालोनी बनायी गयी। जो कालोनी बनायी गयी उसमें ५ लाख का गबन हुआ जिस पर माननीय मंत्री जी ने वायदा भी किया था कि हम इन्क्वायरी करवायेंगे लेकिन ४-५ महीने हो गये हैं पर कोई आज तक इन्क्वायरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो पायी है। इसके बाद हुआ क्या ? जिस बेईमान के लिये उन्हें शिकायत की थी उसे २ लाख रुपया और दे दिया गया है। अब मुझे पता चला है कि इलेक्शन जो होने जा रहा है उससे पहले हमारे माननीय सदस्य की यह कोशिश है कि ४ १/२ लाख रुपया मिल जाय और इस तरह की एक बस्ती और बनाई जाय और माननीय मंत्री जी अगर हमारी राय पर चलने को तैयार हों तो हम उनको दिखा देंगे कि रुपया सही ढंग से खर्च हो रहा है।

गढ़मुक्तेश्वर टाउन एरिया के बारे में मुझे निवेदन करना है। वहां के प्रधाद ने हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद टाउन एरिया के किनारों पर टेंट लगा दिये हैं और हर मोटर वाले से २ रुपया वसूल किया जा रहा है और १२ हजार रुपया महीना वहां प्रधान कमा रहा है। एक पिट्ठू के नाम से ६०० रुपया का ठेका उसने दे रखा है। कुछ लोगों ने सेशन जज को यहां शिकायत की और कहा कि प्रधान दो हजार रुपया हर महीने इकट्ठा करता है और उन को आज्ञा मिले तो वे भी इकट्ठा करके दिखा सकते हैं। प्रधान के मुकाबले में उन्होंने भी टेंट लगा दिये और प्रधान के पास ४ बदमाश थे तो वे ६ बदमाश ले कर बैठे और ९ महीने में ७,८०० रुपया वसूल कर के कोर्ट में जमा कर दिया। मंत्री जी से कहा गया; लेकिन हुआ यह कि उसी प्रधान को वह रुपया लौटा दिया गया। अगर यही हालत रही और हमारे पैसे से एक तरफ इस तरह खिलवाड़ किया जाता रहा और दूसरी तरफ पाकिस्तान व चीन के भूत खड़े रहे, भुखमरी और प्राइसेज की समस्यायें हमारे समाने खड़ी रहें और हमारे मंत्री पैसे का दुरुपयोग करते रहें, तो इससे कष्ट होता है। भगवान करे उन्हें समझ आये। कुछ काम आप कर जायं ताकि आने वाली संतान यह समझ सके कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया, लेकिन अगर इसी तरह से होता रहा तो देश गिरता ही चला जायगा।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव है उस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर देखा जाय तो नगरपालिकायें हमारे इस लोकतंत्र की प्राथमिक सरकारें या इकाइयां कही जा सकती हैं। इन इकाइयों की स्थापना आपकी आजादी के बाद नहीं हुई बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के समय में ही भारतवर्ष को इनका अधिकार मिला हुआ था। आज नगरपालिकायें नगरकालिकाएं हो गयी हैं और इस विभाग के मंत्रियों की यह परम्परा बन गयी है कि वे जाते हैं नगरपालिकाओं में सिर्फ उद्घाटन करने के लिये, शिलान्यास करने के लिये और वहां की जनता की स्थिति का वे सही अध्ययन नहीं करते कि वहां सफाई की क्या व्यवस्था है, आवागमन की सड़कें कैसी हैं, पानी की समस्या कैसी है, अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज है या नहीं। एक तरफ हम बीसवीं शताब्दी में गुजर रहे हैं दूसरी ओर हम देखते हैं कि छोटे नगरों के रहने वालों के मौलिक अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

हमारे यहां नगरपालिकायें मांटेसरी स्कूलों को एड देती हैं और वहां १० रुपया फीस देकर बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं और गरीबों के लड़के म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर बैठने के लिये टाट भी नहीं होता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है ?

मेहतरों को बहुत कम पैसा मिलता है जो गदगी को दूर करते हैं। उनके ऊपर जो जमादार रहता है लठ लेकर, वह भी हरिजन नहीं होता है। मैंने पिछली बार मंत्री जी से कहा था कि वे नगरपालिकाओं को आदेश दे दें कि सफाई कर्मचारियों की कोआपरेटिव बना दी जायं जो वहां के कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन से और सरकार की मदद से चलाई जायं। सदस्य उनको लोन देते हैं तो उनसे २,३ और चार रुपया सैकड़ा तक सूद लेते हैं। वे कर्ज में ही पैदा होते हैं, कर्ज में ही सड़क साफ करते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। लिहाजा उनकी हालत सुधारी जाय। उनको जिस दिन तनख्वाह मिलती है खजांची उसी समय उसमें से काट लेते हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

उनके घर तक तनख्वाह नहीं पहुंच पाती। अगर मंत्रीजी मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे तो गरीबों का इस मुसीबत से छुटकारा हो जायगा।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की बात आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे यहां चेयरमैन साहब की कांग्रेस से बहुत घनिष्टता हो गई है, वह कहने की बात नहीं है। जब पंडित जवाहर लाल जी हमारे यहां १९२१ में आये थे तो जनता ने बड़ा भारी उनका स्वागत किया था। पुलिस ने वहां जब गोली चलाई तो जनता ने अपनी कुर्बानी दी। उसी स्थान का चेयरमैन ने पट्टा अपने भाई के नाम कर दिया है और उस पर वह खेती करते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड के माननीय सदस्यों ने आपत्ति भी उठाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। म्युनिसिपैलिटी का ट्रैक्टर हमेशा उनके फार्म पर चलता है और वहां की सारी खाद उनके फार्म पर पड़ती है। रायबरेली में इमली के पेड़ों को जिनकी कीमत १५०-२०० रुपये प्रति पेड़ होगी उनको २५ रुपये प्रति पेड़ बेचने की रसीद काटी है। इसकी पुलिस से जांच करा ली जाय तो मालूम हो जायगा। इसके अलावा जितनी म्युनिसिपैलिटी की जमीन थी वह इन्होंने २००-२५० रुपये में बेची है और रसीद ८ आने गज के हिसाब से काटी है और जितने जलकर के नलके लगे हैं वे सब चेयरमैन के रिश्तेदारों और उनके कुटुम्बियों के दरवाजे पर ही हैं और जनता के दरवाजों पर नहीं लगे हैं। सारे शहर से वाटर टैक्स लिया जाता है। इसलिये श्रीमन्, गरीब जनता को इस टैक्स से माफ करायें।

श्री भगवानदास बरनवाल (जिला मिर्जापुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं उन सुझावों को आपके सामने रखूं मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से उन पालिकाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है जो विरोधी दल के होते हैं, जहां की पालिका कांग्रेस पार्टी की नहीं होती, या उसका अध्यक्ष कांग्रेसी नहीं होता, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इसका जीता जागता नमूना मिर्जापुर की पालिका है। मैं मिर्जापुर पालिका का १९५३ से १९६२ की फरवरी तक अध्यक्ष रहा। मेरे कार्य काल में पांच बार वह सुपरसीड की गयी। चार्जेज इतने ओछे और हास्यास्पद होते थे कि लोग उन पर हंसते थे। प्रत्येक बार मैं रिट करता था और "आनरेबिल हाई कोर्ट" से "विद कास्ट" जीतता था और सुपरसेशन का आर्डर "सेट असाइड" हुआ करता था। मेरा निवेदन है कि जिन उच्च भावनाओं और आदर्शों को ले कर स्वायत्त शासन विभाग कायम हुआ है उस को देखते हुए इस प्रकार के जितने ऐसे काले कानून हैं जिनके द्वारा जनता द्वारा चुने हुये अध्यक्ष या बोर्ड को सुपरसीड किया जाता हो उनको समाप्त करना चाहिये।

नगरपालिका में करप्शन रोकने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि जितनी "की पोस्ट्स" हैं, चाहे एग्जिक्यूटिव आफिसर की हो, इंजीनियर की हो या सेक्रेटरी की हो, उनको ट्रांस्फरेबुल बनाया जाय और जिस प्रकार डी० एम० या डी० एम० ओ० एच० या अन्य अधिकारी दो तीन साल में ट्रान्सफर हो जाते हैं उसी प्रकार इन लोगों को भी पोस्ट ट्रांस्फरेबुल हो जाय क्योंकि वे एक जगह स्थायी रहते रहते वहां करप्शन का अड्डा बना लेते हैं जो नहीं होना चाहिये।

नगरपालिकाओं में खाद्य सामग्री शुद्ध मिल सके इसके सम्बन्ध में एम० ओ० एच० का हाथ बहुत टाइट रहता है। उसको ज्यादा सुविधा न होनी चाहिए जिससे खाद्य सामग्री में जो लोग मिलावट करते हैं, हलवाई आदि उनको जल्द से जल्द सजा करवा सकें। होता यह है कि उनका सैम्पिल लिया जाता है। फिर लखनऊ भेजा जाता है। उसके परिणाम आने में डेढ़ डेढ़, एक-एक साल लग जाता है जिससे दुकानदारों पर कोई असर नहीं पड़ता।

पालिकाओं के हाउस टैक्स का भी विरोध किया जाना चाहिये क्योंकि वहां के हाउसेज पर डबुल टैक्स हो जाता है, एक प्राविन्स का और दूसरा लोकल बाडीज का। इस प्रकार हाउस टैक्स से जो आमदनी नगरपालिकाओं में कम हो, उसको पूरा करने के लिए जितने भी मनोरंजन के साधन हों, वह नगरपालिकाओं को कानूनन दिये जायं।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो बोर्ड सुपरसीड होते हैं सुपरसेशन के आर्डर के बाद, नियम यह है कि एक साल के बाद चुनाव हो लेकिन दो दो चार चार साल तक राज्य सरकार हवा देखती रहती है, यह देखते हैं कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी। जब वह देख लेते हैं कि हम जीत जायेंगे तब चुनाव कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसका समर्थन मैं करता हूं। पहला कारण यह है कि जो रुपया मंजूर किया जाता है उसको यह विभाग खर्च नहीं कर पाता।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारी सैदपुर टाउन एरिया की आबादी ८–९ हजार है। वहां १९५४ में ट्रायल ट्यूबवेल के लिए रुपया मंजूर हुआ था। लेकिन रूरल और अरबन एरियाज के लिये अलग अलग कानून हैं। अगर तीन चौथाई से ज्यादा लोग नान-एग्रीकल्चरिस्ट हों तो अरबन एरिया डिक्लेअर किया जाता है और अगर तीन चौथाई से कम हों तो रूरल एरिया कहा जाता है। सैदपुर एरिया में ज्यादा तर लोग ऐग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन गल्ती से या किसी प्रकार, जैसा सेंसस आपरेशन हो रहा था। तो उस वक्त सब लोगों को लिख दिया कि सब नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट हैं, हालांकि वहां वह लोग खुद खेती करते हैं और खेती का सामान बाजारों मे ले जाकर बेचते हैं। हमने एक दरख्वास्त भी दी थी एस० डी० एम० के यहां ग्रान्ट के सिलसिले में, तो एस० डी० एम० ने एन्क्वायरी की और मालूम हुआ कि एक तिहाई से ज्यादा एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। लेकिन फिर भी चूंकि अर्बन एरिया वह डिक्लेयर हो चुका है इसलिये यह दिक्कत उनके सामने है कि रूरल एरिया में लोगों को वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तीन चौथाई ग्रान्ट दी जाती है और अर्बन एरिया के लिये वह एक चौथाई दी जाती है। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी टाउन एरियाज जो बहुत ही छोटी टाउन एरियाज हैं, और उनकी आमदनी भी बहुत कम है, बहुत ही सीमित आमदनी है, उनको अगर इन्करेज किया जा रहा है किसी तरह से वाटर सप्लाई स्कीम कायम करके अच्छी तरह से स्वच्छ पानी दे सकें, तो उनको इसके लिये इन्करेजमेंट मिलना चाहिये। लेकिन अगर पहले ही जैसा मैंने कहा तीन चौथाई रुपया लोन लेकर उन्होंने यह किया तो उसका नतीजा यह होगा कि दो तीन साल में वह टाउन एरिया बिक जायगी। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी टाउन एरिया जिनकी कि बहुत कम पापुलेशन है और स्थिति भी अच्छी नहीं है उनको रूरल एरिया डिक्लेयर करके उसी तरीके से उनको ग्रांट दें जैसे कि रूरल एरिया के लिए दी जाती है।

दूसरी चीज यह है कि इन सभी टाउन एरियाज के पास पैसे की कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनमें जमीनें बहुत सी बेकार पड़ी हैं, उनको अगर सरकार लोन दे दे जिससे कि वह छोटी छोटी दूकानें बनवाकर किराये पर लोगों को दे सकें, तो उससे एक अच्छी खासी आमदनी टाउन एरिया की हो सकती है और वह उससे अपनी सड़कों वगैरह की मरम्मत भी कर सकते हैं।

तीसरी चीज यह है कि सड़कों की व्यवस्था वहां बड़ी खराब होती है। उसमें यह है कि एस० डी० एम० के जरिये किसी भी ठेकेदार को नीलामी वगैरह की जाती है और ठेकेदार ठीक तरह से काम नहीं करता तो एस० डी० एम० ही कोई ऐक्शन ले सकता है। टाउन एरिया को कोई अधिकार नहीं है। नतीजा यह होता है कि जितना रुपया सरकार देती है सड़क

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

वगैरह बनाने के लिये वह लैप्स हो जाता है। तो कोई व्यवस्था ऐसी की जाय कि जिससे टाउन एरिया की सड़कें ठीक समय से बन सकें और वह रुपया भी ठीक सयय से यूटिलाइज हो सके।

एक बात और कहनी है कि हरिजन समस्या बड़ी टेढ़ी होती जा रही है। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं, स्वास्थ्य विभाग के अनुदान पर, कि मेहतर समाज अब यह काम करने को तैयार नहीं है और पापुलेशन भी बढ़ती जा रही है टाउन एरियाज की, लेकिन मेहतरों की संख्या उतनी ही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बिल्डिंग परपजेज के लिये जो रुपया वह लोगों को देते हैं उसके साथ यह प्रेरणा दें कि वह फ्लश लैट्रिन बनवा लें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय नेता विरोधी दल जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया था वह यहां उपस्थित नहीं हैं। ज्यादातर उनका भाषण जो हुआ वह भूमि भवन-कर के बारे में था और जो यह ग्रान्ट है वह तो सड़क की ग्रान्ट है। और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उन सबका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन असल में जो ग्रान्ट आप लोगों ने विवाद के लिए रखी थी वह नम्बर ३८ सड़कों की सहायता के बारे में है। मैं सदन की सूचना के लिए बतला देना चाहता हूं कि पारसाल तक यह ग्रांट कुल ७५,२५,४०० रुपये की थी रोड ग्रान्ट के रूप में। अब वह १ करोड़ ४६ लाख ९७ हजार ७ सौ यानी करीब दुगुनी हो गई है। यह हमने कोशिश की। यह सही बात है कि म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज की सड़कों की हालत खराब है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी ने यह भी देखा है कि जो रुपया वह देते हैं उसका खर्च होता है ठीक से या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आप सुनिये। मैं जो अर्ज कर रहा था वह यह था कि इन संस्थाओं की सड़कों की हालत खराब है। रुपये की इतनी जरूरत है जिसके लिये माननीय सदस्यों ने कहा। यह सही है कि एक दो जगहें ऐसी हैं जहां जो रुपया दिया गया है उसका दुरुपयोग हुआ हो लेकिन असल बात यह है कि जितना रुपया है अगर वह सब भी खर्च हो तब भी इतनी कमी है कि ये संस्थायें अपनी सड़कें अच्छे स्टैन्डर्ड से नहीं रख सकतीं। उनके पास न तो इतना रुपया है और न इतना साधन है। यह सही बात है कि जो रुपया दिया जाय उसका पूरा पूरा और सही इस्तेमाल हो लेकिन यह बात सही है कि जो टाउन एरियाज हैं उनकी आमदनी कम होती है। उन को जो ग्रान्ट हम देते हैं वह भी कम होती है, लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि बहुत सी टाउन एरिया इस सूबे में ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी है। मैं जानता हूं कि उनकी सड़कों की हालत अच्छी है। एक तो चिरगांव, जिला झांसी की टाउन एरिया है, दूसरे छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद की टाउन एरिया है जिनकी सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, उनका रख रखाव भी अच्छा है।

इसके बाद भी मैं एक विचार रखना चाहता हूं कि गांव सभा और टाउन एरियाओं की हालत करीब-करीब यकसां होती है। थोड़ा-सा फर्क जरूर होता है। कस्बे में थोड़ी सी आबादी ज्यादा होने की वजह से आमदनी कुछ ज्यादा हो लेकिन वैसे गांव सभा और टाउन एरिया करीब करीब बराबर होते हैं। मैं मानता हूं कि टाउन एरिया की सड़कों की हालत खराब है और उनको दुरुस्त होना चाहिये, वे बेचारे अपनी तरफ से इंजीनियर नहीं रख पाते, ओवरसियर तक नहीं रख सकते, उनको जिला परिषद् या पी० डब्लू० डी० से अगर छोटी मोटी ग्रान्ट मिल

जाती है तो सड़कों को कुटवाने के लिये रोलर वगैरह भी कर्जे में मंगाने पड़ते हैं और जब उनको जरूरत होती है तब वह मिलते भी नहीं, तब मिलते हैं जब दूसरी जगह काम न हो। इसी तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं।

सबसे ज्यादा नेता विरोधी दल ने कल भूमि भवन-कर के सम्बन्ध में कहा था। एक बात उन्होंने जो कही थी मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है कि टाउन एरिया, नगरपालिका या महानगर-पालिका के राइट्स को खत्म करके सरकार ने उनके राइट्स को ले लिया। नगर महापालिकाओं या टाउन एरियाओं को जो हाउस टैक्स लगाने का अधिकार है वह अपनी जगह पर है। कुछ ने उन अधिकारों को बरता है कुछ ने नहीं बरता। लेकिन यह भूमि और भवन-कर जो लगा है यह तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो आपका खर्चा बढ़ा हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिये यह कर लगाया था और उसमें करीब १ करोड़ रुपया आता है। उसको आपने इसी सदन से स्वीकृति दी है। यह सारा कर गरीबों पर पड़ता है यह बात सही नहीं है। १२० रुपये से नीचे जिनका सालाना किराया है वे इस कर से मुक्त रहेंगे। उसका मंशा गरीबों पर टैक्स लगाने का नहीं था। अभी पांडेय जी ने कहा कि नगरपालिकाओं में जो गांव आ गये हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टैक्स तो उन पर लगने लगा है, लेकिन आवश्यक सुविधायें उन लोगों को नहीं मिल रही हैं। उस तरफ हमारा ध्यान है और हम कोशिश करेंगे कि उन गांवों को सड़क और पानी की सुविधा जल्दी ही दी जाय।

पानी के प्रबंध के लिये कहा गया। उसकी पूर्ति के लिये रुपये की जरूरत पड़ती है। जो हमारी पुरानी योजनायें थीं वे पूरी हो गयी हैं और १६ नयी योजनायें टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज में हमने ली हैं और आइन्दा और लेने वाले हैं। यह ठीक है कि टाउन एरिया की स्थिति अधिकतर ऐसी नहीं होती कि वह इस योजना को चला सके, लेकिन हम कोई तरीका निकाल रहे हैं ताकि उनका कंट्रीब्यूशन इसमें कम रखा जाय ताकि टाउन एरियाज में पानी का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जा सके।

एक सुझाव दिया गया कि बिना सूद का रुपया कर्ज दिया जाय टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज को। बात ठीक है लेकिन प्रदेश सरकार को जो रुपया केन्द्रीय सरकार देती है। वह सूद पर देती है और केन्द्रीय सरकार को भी रुपया सूद पर ही मिलता है। तो जहां से हमको रुपया मिलता है वहां हमको उस पर सूद देना पड़ता है इसलिये बिना सूद के रुपया देना हमारे लिये मुमकिन नहीं है। जो योजनायें कर्जे की हैं वे उसी रूप में चलती हैं।

सहारनपुर और गढ़मुक्तेश्वर की बात मायर साहब ने कही। मुझे दुख है कि सहारनपुर का मसला देर से पड़ा हुआ है और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि वहां की गड़बड़ियां दूर हों। लेकिन चूंकि महीने डेढ़ महीने में चुनाव आ रहा है इसलिये सहारनपुर का मसला ही नहीं है, इस मौके पर किसी बोर्ड का सुपरसेशन नहीं होना चाहिये। इसी तरह से गढ़मुक्तेश्वर की शिकायत की गयी, मेरे पास भी और सज्जनों ने आकर कहा कि वहां नाजायज हरकतें होती हैं कि न तो कहीं पास हुआ टैक्स है। और चेयरमैन या और लोग टाउन एरिया के बिहाफ पर वसूल करते हैं। अगर कोई करता है तो कानून की गिरफ्त में आता है। मुझे ऐसी इत्तला दो एक रोज पहले मिली और मैं जिलाधीश से कह रहा हूं कि आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें, ऐसे अगर कोई व्यक्ति हैं।

गाजियाबाद के बारे में तेजासिंह जी ने कहा। जहां तक मुआवजे का ताल्लुक है वह हमारे विचाराधीन है, जल्दी से जल्दी संतोषजनक फैसला उसमें हम कर सकेंगे किसानों के लिए। श्री ऊदल ने भी कहा था कि प्लाट छोटे होने चाहिये। गाजियाबाद का जहां तक ताल्लुक है ८० फीसदी छोटे प्लाट हैं, कुछ तो कम्युनिटी वर्क के लिए और कुछ और लोगों के लिए जो कि दिल्ली से इधर आ गये। इसलिये यह उचित नहीं होगा कि बड़े मकान बिलकुल वर्जित कर दिये जायं। हां, यह जरूर है कि हमारी कोशिश यह हो कि आबादी में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बसा सकें।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मैं समझता हूं कि जनसेवी लोग इसमें काम करते रहे हैं, अगर और कोई कमजोरियां हैं तो हमें और आपको दूर करनी पड़ेंगी। एक तरफ हमें लोगों को अधिकार देना है और अगर फिर छीनें तो अच्छी चीज नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १,७७,२३,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

जिन ग्रांटों पर विवाद नहीं होगा, पहले मैं उन्हें लिये लेता हूं।

अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इन्जीनियरिंग) संस्थायें

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत ७७,६४,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत ७७,६४,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,७७,९८,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,७७,९८,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनाएं (अधिष्ठान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनायें (अधिष्ठान) के अन्तर्गत ४९,०२,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनायें (अधिष्ठान) के अन्तर्गत ४९,०२,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है, के अन्तर्गत २,७५,७१,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है जो जन जीवन के लिये एक बहुत ही आवश्यक चीज बन गयी है। खेती में, उद्योगों में, घरों में, तथा और बहुत से कामों में हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने यह प्लान शुरू किया था, उस वक्त २ लाख ५५ हजार किलोवाट बिजली इस प्रदेश में थी और आज इस प्रदेश में ६ लाख १७ हजार १३३ किलोवाट बिजली पैदा होती है। बिजली का काम कुछ तो राज्य सरकार करती है और कुछ विद्युत् परिषद् करती है। तमाम बिजली में इस समय हमारी पूंजीगत लागत १ अरब, ३६ करोड़, ७१ लाख ५९ हजार की है। हमारी यह स्कीम है कि इस तमाम रुपये को लगाने के बाद भी हम नो प्राफिट नो लास पर काम करना चाहते हैं। हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली के लिये १०७.६ करोड़ रुपया रखा था, लेकिन इस बात को सुन कर आपको खुशी होगी कि हम इस प्लान में करीब ११०.१२ लाख रुपया व्यय कर देंगे। इससे भी शायद कुछ और बढ़ जाय। कुछ दिनों से हमारा यह प्रयास रहा है कि न केवल बड़े बड़े शहरों में ही बिजली दें, बल्कि दूर दूर गांवों में भी बिजली पहुंचायें, जिससे गरीब जनता भी फायदा उठा सके। दूसरी प्लान के अन्त तक २११ गांवों में बिजली थी, ६१–६२ में ८७ गांवों में ६२–६३ में १०१ गांवो में और इस साल १२१७ गांवों में बिजली लग जायगी। हमारा टारगेट १५०० गांवों का था, लेकिन अभी तक १६१६ गांवों में हमने बिजली लगा दी है और हमारा इरादा यह है कि अगली साल एक हजार गांवों में और लगा दें। कोशिश इससे भी ज्यादा करेंगे, लेकिन इतने में तो लगा ही देंगे।

इसके अलावा इस खयाल से कि एग्रीकल्चर में लोग इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें, हमने यह भी किया है कि अभी तक जो ट्यूबवेल्स के लिये कमांड के अन्दर बिजली नहीं देते थे, लेकिन सदस्यों की मांग पर हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हमारे ट्यूबवेल से आधा मील पर अगर कोई बिजली मांगेगा तो उसको दे देंगे, बड़ी नहर से ६ फर्लांग और छोटी नहर से २ फर्लांग की दूरी पर होगा तो उसको बिजली दे देंगे। इसके अलावा बिजली के ले जाने का सबसे बड़ा प्रश्न हुआ करता था। लाइन लगाने का १२–१४ हजार रुपया पड़ जाता था। जो इस खर्चे को नहीं दे सकते थे उनसे हम लाइन रेंटल के तौर पर १५ प्रतिशत ले लिया करते थे। आगे के लिये यह तय किया है जो लोग १० हार्स पावर के लिये आधा मील पर और २० हार्स पावर के लिये १ मील पर भी बिजली मांगेगा, तो लाइन खींच देंगे और उसका कोई लाइन रेंटल नहीं लेंगे, लेकिन बिजली की दर जो पहले ६६ रुपया प्रति किलोवाट थी उसको ९० रुपया कर देंगे। इसमें कोई नुकसान की बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई साहब इसे पसन्द न करें और वे अपना पुराना एग्रीमेंट भी रखना चाहेंगे तो वह भी रख सकेंगे, यह तो उसके लिये कहा जा रहा है जहां कि हाईटेंशन लाइन खींचनी पड़ेगी और वहां बिजली ले जानी पड़ेगी। तो लो टेंशन लाइन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

वालों के लिये ९० रुपये वाली बात लागू नहीं होगी। इसलिये माननीय भगवान सहाय जी को परेशान होने की कोई बात नहीं है। यह एक बड़ा भारी कंसेशन हम देने जा रहे हैं।

मैं समझता हूं कि जो तमाम बातें मुझे कहनी थीं, मैंने कह दीं। सदन के आदरणीय सदस्य और जो सुझाव देंगे उनको भी मैं सुन लूंगा। एक चीज मैं फिर आखिर में दोहराना चाहता हूं कि पिछले सालों में इसकी बहुत डिमांड रही कि जो प्राइवेट कम्पनीज हैं उनको भी हम ले लें। तो पिछले वर्ष हमने ४ कम्पनियों को लिया था जो ये हैं १—ईस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गाजीपुर, २—हरदोई इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, ३—उरई इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, ४—झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी। इस साल भी जैसा कि मैंने पिछली दफा कहा था, हम ४ बड़ी कम्पनियों को और लेने जा रहे हैं। उनमें एक तो है बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो बहराइच व गोंडा आदि को बिजली देती है। दूसरी अपर जमुना इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो मेरठ तथा आसपास के जिलों को बिजली देती है, तीसरी है लखनऊ की यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी और चौथी है इलाहाबाद की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी। इनको तो हम इस साल लेने जा रहे हैं और धीरे-धीरे जैसे जैसे और कम्पनियों के भी लाइसेंस का समय पूरा होगा हम उनको लेकर नैशनलाइज कर देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

बिजली की दर यकसां करने के बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरी बात अगर आप सुन लेते तो आप यह सवाल न करते। एक अरब ३६ करोड़ रुपया हमने इस व्यापार में लगाया है। तमाम बिजली देने व उसकी तमाम लाइनें लगाने के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें हम नो प्राफिट नो लास की बेसिस पर चलते हैं। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि कहीं-कहीं यह सम्भव है कि जहां बिजली है वहां अगर लोकल एरिया में बिजली दें तो कुछ रेट कम हो सकता है, लेकिन अगर कहीं देहात के गांवों में बिजली देने के लिये ट्रांसमिशन लाइन खींचनी पड़ती है तो वहां रेट कुछ ज्यादा हो सकता है। इसके लिये आपको कुछ न कुछ रेट में फर्क तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे हमारे प्रदेश में जो बिजली का रेट फिक्स्ड है वह और प्रदेशों के हिसाब से कोई ज्यादा रेट नहीं है।

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मद, विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है, के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, किसी भी अविकसित या अर्द्धविकसित देश में बिजली की कितनी जरूरत है, इस पर माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपना मत व्यक्त किया, इसलिये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और न मैं इस को ही बहुत उचित समझता था कि मैं इस पर कुछ टिप्पणी करूं और न मैं ऐसी चीज को कोई गौरव की बात समझता था।

विद्युत् शक्ति और उसके उत्पादन और प्रजनन का बढ़ना आज देश और प्रदेश में इतना जरूरी है कि अगर उसकी चर्चा न की जाय और यह विभाग जो इसके लिये जिम्मेदार है उसके कार्यकलापों पर अगर टिप्पणी न की जाय तो वह हमारे लिये देशद्रोह से कम न होगा और खास तौर से जब कि देश के चारों ओर संकट के बादल घिरे हों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादन का लक्ष्य साढ़े सात लाख यूनिट रखा गया था लेकिन इस योजना के ३ वर्ष बीत गये और उस हिसाब से आज हमारी उत्पादन क्षमता जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को छोड़कर ५ लाख किलोवाट और बढ़ जाना चाहिये थी, लेकिन क्या उतनी क्षमता हम प्राप्त कर सके हैं ? क्या इतनी बिजली का उत्पादन हम ३ साल में कर सके हैं ? मैं जानता हूं कि वह नहीं हो सका है। विद्युत् विभाग बार-बार यह कहता रहा है कि योजनायें इस विधि से बनाई जाती हैं और परियोजनाएं इस विधि से बनाई जाती हैं और परियोजनाओं के निष्पादन की योजना इस तरह से बनाई जाती है कि हर साल एक योजना पूरी हो जाय और जब एक योजना से सप्लाई होने लगे तब तक दूसरी परियोजना की बिजली पैदा होने लगे और यही क्रम चलता रहेगा और जब विद्युत् विभाग ने ऐसा किया और अगर उनका कथन ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन ३ सालों में कौन-सी योजना पूरी हुई और क्या उनके पूरे होने पर हमें ५ लाख किलोवाट बिजली मिल रही है या नहीं ? यदि वह इतना कर सकते तो मैं अवश्य ही उन को बधाई देता। उन्होंने बताया कि क्षमता ६ लाख १७ हजार १३३ किलोवाट है इस वक्त की, लेकिन आप को साढ़े ७ लाख किलोवाट बिजली पैदा करना था दूसरी योजना के बाद में। फिर भी यदि मंत्री जी चाहते हैं तो मैं उन को बधाई दिये देता हूं कि उनका प्रयास बहुत सराहनीय है ।

एक अप्रैल, सन् १९५९ को विद्युत् परिषद् स्थापित हुई और उसके पहले यह ऐडमिनिस्ट्रेशन सीधे सरकार के हाथ में था और उसके बाद वह ऐडमिनिस्ट्रेशन जैसा भी था वह परिषद् के हाथ में ट्रांसफर किया गया और आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त उसे ३७.५ प्रतिशत का लाभ यकायक हुआ। सरकार को चाहिये था कि वह फौरन ही कड़े आदेश देती कि क्या वजह थी कि इतना लाभ यकायक बढ़ गया। और जो अधिकारी दोषी पाये जाते उनको कड़ी सजा दी जाती, किन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों से सरकार ऐसा न कर सकी। मैं आज मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि अब भी जांच की जाय तो पुराने होने के बावजूद भी कुछ न कुछ तथ्य हमें मिल जायेंगे। यह ऐडमिनिस्ट्रेशन जब परिषद् के हाथ में आया तो वह घाटे पर चल रहा था इसलिये सरकार ने फैसला किया कि ५ साल तक हम उसको सहायता देंगे और पहले साल की सहायता उतनी ही होगी जितना कि उससे पहले साल, यानी सन् १९५८ में घाटा हुआ था। तो पहले साल में १,३७,४२,६७६ रुपये की सहायता दी गई किन्तु उसी वक्त यह साफ कर दिया गया कि यह सहायता प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत घटती जायगी और उस के बाद परिषद स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बन जाय। दूसरे बिजली सप्लाई ऐक्ट, १९४८ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट के अनुसार यह अपना काम करने लगेगी। अतः परिषद् को महसूस हुआ कि इस ऐक्ट की धारा ४६ के अधीन गंगा-शारदा ग्रिड में टैरिफ को चेंज करें और उस परिवर्तन का नतीजा हुआ कि परिषद को १३१.१६४ लाख रुपये का घाटा हुआ, दूसरे साल १८.७५७ लाख रुपये का फायदा हुआ और तीसरे साल २९.८५६ का फायदा हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि परिषद् की सम्पत्ति का डेप्रीसियेशन क्या इस लाभ में काट दिया गया है ? अगर वह डेप्रीसियेशन इसमें से निकाल दिया जाय तो शुद्ध लाभ जो दिखाया गया है वह शून्य होगा।

परिषद् में एक परामर्शदात्री समिति हैं जिसमें ७ आदमी हैं, कुछ दिन बाद ६ हुए, पर अब फिर ७ हैं, लेकिन लिस्ट देखने से मालूम होता है कि उसमें से कोई शायद विद्युत का विशेषज्ञ नहीं है। जिस के लिये आप यह सब कर रहे हैं उसका कोई रिप्रजेन्टेशन इसमें नहीं है। इस बोर्ड पर प्रजनन, वितरण और बिक्री की सारी जिम्मेदारी है। चेम्बर्स आफ कामर्स का प्रेसीडेंट चेयरमैन विद्युत परिषद से मिल कर बात कर सकते हैं, लेकिन गरीब किसान के कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं हैं जो अपनी दिक्कतें यहां तक पहुंच सकें। उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिये, इसमें उद्योग और खेती का विशेषज्ञ रखना चाहिये।

अब मैं परियोजनाओं के संबंध में कहना चाहता हूं, उनके मूल और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स को देखा जाय तो काफी अन्तर पायेंगे। सब परियोजनाओं में काफी अन्तर है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि लक्ष्य की पूर्ति को कई दफा घटाया बढ़ाया जाता है। यही नहीं,

[श्री मुन्नूसिंह]

सरकारी प्रकाशनों में एक लक्ष्य की पूर्ति के बारे में दो तारीखें दिखायी जाती हैं । जो भी पढ़ेगा उसकी क्या धारणा होगी ।

श्रीमन्, परियोजना के लिये एक योजना आयोग के सदस्य श्री सी०एम० त्रिवेदी की क्या राय है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाया था जिसने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है उसकी रिपोर्ट क्या है, मैं सदन के सामने पढ़े देता हूं ।

श्री सी० एम० त्रिवेदी, सदस्य योजना आयोग का आर्टिकिल इस का उद्धरण इस प्रकार है:—

"बिजली संबंधी योजना को समय पर कार्यान्वित करने के विशेष महत्व को अनुभव करते हुये केंद्रीय अफसरों के एक दल ने अगस्त-नवम्बर, १९६१ में सब राज्यों का दौरा किया और राज्यों के अधिकारियों के साथ इस बारे में विचार-विमर्श किया कि इस समय जो बिजली संबंधी परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, उन्हें किस प्रकार जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सकता है और यदि उनके पूरा होने में कार्य प्रणाली संबंधी बिलम्ब जैसी कुछ रुकावटें हैं, तो उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है । इस दल की रिपोर्ट से कार्यान्वयन की समस्याओं पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है । इस दल ने यह अनुभव किया कि कई परियोजनायें जिस समय पूरी हो जानी चाहिये थीं, उस समय पूरी नहीं हुई और उन्हें पूरा करने में समय की पाबन्दी की ओर यथासंभव पूरा ध्यान नहीं दिया गया । संयंत्र को चालू करने की जो तारीखें पहले से निश्चित की गई थीं, उन तक संयंत्र चालू न होने पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी । कई परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सरकारी स्तर पर कार्य की कोई सामयिक समीक्षा नहीं की गयी और इस कारण परियोजनाओं को पूरा करने में समय की पाबन्दी संबंधी स्थिति कुछ हद तक और बिगड़ गयी ।

परियोजनाओं के कार्य में आवश्यक प्रगति न होने का एक कारण यह भी है कि योजनाओं का आरम्भ करने से पहले उन के बारे में पूर्ण रूप से और विस्तार से जांच पड़ताल नहीं की जाती, ऐसी योजनायें चाहें जल संबंधी हों या तापीय हों । परियोजनाओं के बारे में अपूर्ण जांच पड़ताल के कारण उन पर होने वाले खर्चे को कम और उनसे होने वाले लाभों को अधिक आंका जाता है । इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि राज्यों को अधिक से अधिक संभव परियोजनाओं के बारे में पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करनी चाहिये और फिर उनमें से उन योजनाओं को जिन पर कम से कम खर्च आये, कार्यान्वयन के लिये हर योजना में शामिल करना चाहिये ।"

श्रीमन्, यह ऐसी रिपोर्ट है, इतनी विश्वसनीय है जिस पर इस विभाग को सोचना चाहिये । यह सारी स्टेट्ट के दौरे करने के बाद का नतीजा है । उन्होंने लिखा है "सब राज्यों का दौरा किया" यह नहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर सब राज्यों का दौरा किया । मेरी समझ में उन्होंने दौरा किया और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह साबित कर दिया कि यह राज्य से सब से ईमानदार है । जिस समय यह परिषद बना और सारी बिजली की योजनायें परिषद को ट्रांसफर कर दी गयीं, पर मेरी समझ में नहीं आया कि रिहन्द डैम में कौनसा महत्व था कि जिस के कारण इसको ट्रांसफर नहीं किया गया सन् ६२ के पहले परिषद का हिसाब किताब पी० डब्लू० डी० की तरह महालेखा पाल एकाउन्ट जनरल द्वारा रखा जाता था, लेकिन उसके बाद परिषद स्वयं रखने लगी । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज कल मौडिर्न कमरशियल ढांचे पर उसका हिसाब किताब रखा जाता होगा । "होगा" मैं इसलिये कहता हूं कि इस परिषद् ने अपनी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है जिससे हम लोग कुछ समझ सकें, यह सदन समझ सके कि वस्तुस्थिति क्या है इस लाभ का विशेष कारण

मुझे यह मालूम होता है कि उन्होंने रेट्स में वृद्धि की है और १९६२–६३ में रिवाइज्ड टैरिफ लागू किया है । इस रिवाइज्ड टैरिफ को लागू करने पर सिर्फ केसा में ५.५ लाख रुपये की बकाया हो गयी । मैं नहीं जानता कि १९६३–६४ में उसकी पोजीशन क्या है और न कोई रिपोर्ट है जहां से इसके आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि कुछ बढ़ी ही होगी, कमी नहीं हुई होगी । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी वसूली में विशेष ध्यान देंगे ।

इसके एकाउन्ट्स की जांच महालेखापाल द्वारा पूरी नहीं होती है और इसके प्रत्येक डिवीजन की अलग-अलग जांच की जाती है । वैसे तो डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक जगह कंसोलिडेशन नहीं है । आडिट करने में जो त्रुटि है उसके लिये तर्क यह दिया जाता है कि आडिट विभाग संगठित नहीं हुआ है इसलिये इसमें थोड़ी-सी ढिलाई है । मेरी राय में इसका शीघ्र से शीघ्र आडिट होना चाहिये और उसकी रिपोर्ट सदन के मेज पर रखी जानी चाहिये ।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि ५ वर्षों में इस परिषद् का प्रशासनिक प्रतिवेदन इस सदन की मेज पर रखा गया है और वह भी तब रखा गया है जब लोकलेखा समिति ने ५९–६० के प्रतिवेदन में सिफारिश की थी और उसने यह भी सिफारिश की थी कि उसके बाद के भी प्रतिवेदन तैयार किये जायं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके और मेरी समझ में लोक लेखा समिति के इस आदेश का पालन भी नहीं हो पाया । उन आदेशों को मैं पढ़ देता हूं ।

"वार्षिक लेखे का तैयार न किया जाना विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, १९४८ के खंड ६९ (५) के अधीन परिषद् के शीर्षक लेखे परिषद् द्वारा तैयार किये जाने पर तत्सम्बद्ध लेखा निरीक्षक अर्थात् महालेखाकार द्वारा परीक्षित हो जाने पर राज्य विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के नियम के विरुद्ध था कि मशीनों के लिए जो भुगतान मार्च १९५८ में किये गये थे अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुए । समिति सरकार को प्रेरित करती है कि यह जांच करे कि इन अनियमितताओं के लिए कौन उत्तरदायी है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करे ।"

"एक तो लेखों का तैयार करना विधिबद्ध आवश्यकता है, दूसरे सरकार परिषद् को ऋण के रूप में तथा अन्य प्रकार से धनराशियां देती रही है, तीसरे समय बीत जाने पर परिषद के लिये पिछले वर्षों के लेखे तैयार करना कठिन हो जायगा, इन तथ्यों पर विचार करके समिति यह सिफारिश करती है कि प्रपत्रों से संबद्ध प्रश्न को तुरन्त ही निश्चित करके वर्ष १९५९–६० के तथा उसके बाद के वर्षों के लेखे तैयार किये जायं ।"

अब विद्युत की कैजुअल्टीज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । सन् १९५९–६० की एनुअल रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक केजुअल्टीज २०० थीं, ६०–६१ में १९० थीं, लेकिन ६०–६१ की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पिछले साल केवल १९१ केजुअल्टीज थीं, जब कि ऐनुअल रिपोर्ट बतलाती है कि वे २०० हुईं थीं । ६२–६३ के अनुसार २१३ कैजुअल्टीज हुईं । और इसके पहले के साल की १९० थीं । उस पर टिप्पणी करते हुये कहा है कि दुर्घटनाएं १७६ थीं । यह श्रीमन्, सरकार की एनुअल रिपोर्ट है जिसमें यह आंकड़े दिये हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि विभागीय अधिकारियों ने इधर ध्यान नहीं दिया कि जब यह आंकड़े जनता के सामने जायेंगे तो जनता को दुख होगा कि किस तरह से हमारी सरकार चल रही है ।

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि खेती के लिये केवल ८ प्रतिशत बिजली दी जाती है । आप सोचिये कि इसमें उत्पादन कैसे बढ़ सकता है और किसान को कैसे तसल्ली हो सकती है ? सर विलियम स्टेम्प्स जो हमारे यहां १९३५ में इलेक्ट्रिसिटी और इर्रीगेशन के सेक्रेटरी थे, उनका कोटेशन मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । वह निम्न प्रकार है:—

"The future prosperity of the Province depends mainly on the development of Agriculture and its associated industries as in the absence of iron, coal and other minerals the introduction of heavy industries on a large scale

[श्री मुन्नूसिंह]

is impracticable. The problem of systematic irrigation in a locality of uncertain rainfall is thus one of the first magnitude."

श्रीमन्, अंग्रेजों के लिये कहा जाता है कि वह देश को लूटते थे, लेकिन उनकी भी पालिसी खेती को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की थी। इसका सबूत यह है कि गंगा ग्रिड में २४,२५० के० डब्लू० बिजली पैदा होती थी उसमें से १५,५४० के० डब्लू० बिजली सिंचाई और ऐग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के लिये दी जाती थी। इंडस्ट्रीज के लिये कहा जाता है तो क्या यह मुनासिब होगा कि आदमी के अंग को काट कर दूसरा अंग मजबूत बनाया जाय जब कि आज चारों तरफ खाने के लिये हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में इंडस्ट्रीज पर बिजली ज्यादा खर्च की जाती है, लेकिन वहां की हालत हमारे यहां से अच्छी नहीं है। पंजाब में अनाज ज्यादा उत्पन्न होता है और वह की हालत हमारे यहां से अच्छी है। ऐसी सूरत में दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जायं और सबसिडी को काट दी गई है उस पर पुनः विचार किया जाय।

श्रीमन्, प्राइवेट ट्यूबवैल वालों को जो बिजली दी जाती है उसमें उनसे ५ प्रतिशत सूद लिया जाता है और २४ किस्तों में रुपया लिया जाता है। पहली किस्त देने के बाद उसका भी सूद देना पड़ता है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वह तो मैंने बिलकुल बेबाक कर दिया है। आपने शायद सुना नहीं।

श्री मुन्नूसिंह—

श्रीमन्, मुझे मालूम नहीं था। आगे से उन्होंने माफ कर दिया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह हमारे लक्ष्य की पूर्ति करेंगे और उपमंत्री जी शीघ्र ही मंत्री हो जायेंगे।

श्री अहमद बख्श (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और खाली समर्थन के लिये ही नहीं, बल्कि मुबारकबाद देने के लिये भी खड़ा हुआ हूं।

यह मुहकमा ऐसा मुहकमा है जो आदमी की जिन्दगी के हर गोशे से ताल्लुक रखता है। अगर खिलाड़ी रात में खेलना चाहता है तो उसको बिजली चाहिये। अगर कोई सिनेमा देख कर अपनी तफरीह करना चाहता है तो बिजली चाहिये। डाक्टर को अगर आपरेशन करना है तो बिजली चाहिये। काश्तकार को पानी की जरूरत है तो बिजली चाहिये। अगर किसी साइंटिस्ट को लेबोरेटरी में काम करना है तो बिजली के बगैर एक्सपेरीमेंट नहीं कर सकता। यह मुहकमा इतना जरूरी है। जिस तरह से इसमें काम हो रहा है उसके मुताल्लिक मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। अब से चन्द साल पहले जब हम बिजली की दरख्वास्त देते थे तो दर-दर भटकते थे फिर भी सफलता नहीं होती थी। आज अगर दिन में १०० ऐप्लीकेशंस हों तो शायद मंत्रीजी अपने कमरे में बैठ कर चन्द घंटों में उनका भुगतान कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, डिवीजनल इंजीनियर्स और बिजली कर्मचारी जो सूबे भर में बिजली देते हैं, वह इसके अलावा हैं। इसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। जितनी बिजली इस फराखदिली के साथ मिल रही है वहां मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कनेक्शन मिलने में भी इतनी ही जल्दी होनी चाहिये। एक कनेक्शन के मंजूर होने में आठ नौ दिन से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में आठ महीने या छः महीने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर रुड़की डिवीजन के मुताल्लिक अर्ज करता हूं। वहां बाज-बाज कनेक्शन ऐसे हैं जो नवम्बर, अक्टूबर के मिले हुए हैं लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया। जिस काश्तकार ने कनेक्शन लिया, वह इस बिना पर लिया कि वह अपनी फसल की सैराबी कर सकेगा लेकिन डिपार्टमेंट तवज्जह नहीं करता।

जहां तक चीफ इंजीनियर का सवाल है, मैंने आज तक उनको नहीं देखा और मुझे कभी इत्तफाक नहीं हुआ उनसे मिलने का, लेकिन आम शोहरत उनकी बहुत अच्छी है। इस ऐतबार से खुशकिस्मती से इस बोर्ड के प्रेसीडेंट भी असली आदमी हैं। लेकिन नीचे के मुहकमे में कुछ थोड़ी बुराई और कमी है। गालिबन इससे माननीय मंत्री जी भी वाकिफ हैं, वह भी मेरठ डिवीजन के रहने वाले हैं। रुड़की में सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर रहते हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वह कुछ काम करने में आलसी हैं। शायद वह हुक्म देने में कतराते हैं। अपने सबार्डिनेट्स के खिलाफ यह पूछना भी गवारा नहीं करते कि इसमें क्यों देरी हुई। हमारे यहां इंस्पेक्टर हैं, मुजफ्फरनगर के चीफ साहब ने उनका ट्रांस्फर किया, उनकी शोहरत पर किया। मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसका यहां जिक्र किया जाय। लेकिन मैं उससे बिलकुल सहमत हूं और जो शिकायतें थीं उससे ज्यादा कहीं हो सकती हैं, यह भी मेरे इल्म में है। लेकिन उस ट्रांस्फर के रोकने के लिये वहां के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने सिफारिश की। वह रुका नहीं, उस पर अमल होगा, लेकिन सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर एक इंस्पेक्टर के लिये सिफारिश करें यह अच्छा नहीं मालूम होता, जबकि उनकी शोहरत अच्छी न हो। इसमें लोगों को जरूर भ्रम पैदा हो सकता है कि इसमें जरूर दाल में कुछ काला होगा जो यह मामूली इंसपेक्टर की सिफारिश हो रही है सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के यहां से जबकि उसके खिलाफ इतनी सारी शिकायतें हैं। मैं नाम नहीं लूंगा मगर इतना इशारा कर दूंगा कि मुजफ्फरनगर से ओरई उसका ट्रांसफर हो रहा है।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कनेक्शन आप दे रहे हैं उनकी एक लिस्ट होनी चाहिये आपके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या और उस रैंक के जो इंजीनियर हों उनके यहां और एम०एल०ए० या और कोई आदमी भी चाहें तो वह उस लिस्ट को देख सके कि कहीं बेनम्बर तो कनेक्शन नहीं मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो इंसाफ कराया जा सके। जब अवाम को यह एतमाद पैदा हो जायगा कि हमारा काम नम्बर से हो रहा है तो उसे भी कोई शिकायत नहीं रहेगी और माननीय मंत्री जी भी तमाम सिफारिश वगैरह से बच जायेंगे। इसके अलावा कनेक्शन मिलने में जो देर होती है उसकी कोई लिमिट होनी चाहिये कि एक महीने या दो महीने में वह कनेक्शन मिल जाय। मैंने पता लगाया कि देर क्यों होती है तो मालूम हुआ, वह कहते हैं कि हमारे पास मेंटिनेन्स का तो डिपार्टमेंट है लेकिन कन्स्ट्रक्शन का नहीं है, तो हम कैसे काम करें। तो मैं यह कहूंगा कि—

मस्जिद तो बना दी दम भर में ईमां की हरारत वालों ने,

दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका।

कनेक्शन तो आप २० हजार रोज मंजूर कर दें, लेकिन असली जामा पांच को भी न पहनाया जा सके तो उससे क्या लाभ होगा, इसके अतिरिक्त जिन गांवों में बिजली देने की बात कही गई और यह कहा गया कि दो तीन साल से बिजली दे दी गई है तो माननीय मंत्री जी जरा यह भी देखें कि बिजली वहां लग भी गई या नहीं, ताकि उन्हें सही स्थिति मालूम हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवानसहाय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं कि आपके मार्शल आ गये हैं, तो वह हाई कोर्ट के जजेज को पकड़कर लाये होंगे, वह आपके कक्ष में बन्द हैं या अध्यक्ष महोदय के कक्ष में बन्द हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपको मालूम हो जायगा।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे प्रथम बार मैं बिजली के रेट्स के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में बिजली के रेट्स बहुत-ही ज्यादा हैं। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में एक निश्चित दर पर उनको लाये जिससे कि अपने यहां के उद्योग-धंधे पनप सकें। हमारा प्रदेश जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सारे देश में, वह कुछ तो बिजली न मिलने के कारण है और कुछ बिजली की महंगाई के कारण भी उस पर असर पड़ता है। इसलिये बिजली के रेट्स इस स्तर पर लाये जाने चाहिये जिससे कि व्यापार को भी उससे लाभ हो सके।

दूसरी बात सिंचाई के लिये बिजली के रेट्स नाना प्रकार के हैं। कहीं पर कम हैं, कहीं ज्यादा हैं। उन रेट्स में एक समानता निश्चित रूप से लानी चाहिये, और सारे प्रदेश में एक रेट पर बिजली मिलनी चाहिये। किसानों को जो विशेष छूट मंत्री जी ने अभी बतायी वह मिल ही रही होगी। वह छूट खेती करने वाले किसानों को और भी मिलनी चाहिये। और उस बिजली का उपभोग अधिकतर खेती के क्षेत्र में ही हो जिससे कि पैदावार का संकट दूर हो सके।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि रिहंद बांध से कानपुर को बिजली आ रही है, कानपुर के रीजन में आ रही है और फतेहपुर जिले का पूर्वी भाग और इलाहाबाद का पश्चिमी भाग बिलकुल उससे अलग रखा गया है। अगर इन दो भागों को छोड़ दिया जाता है तो वह लगभग ५०—६० मील का एरिया बिलकुल उस बिजली से अछूता रह जायगा और वहां के लोगों को लाभ वह उससे नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस क्षेत्र को भी उसमें सम्मिलित किया जाय जिससे उन दोनों क्षेत्रों को भी बिजली का फायदा पहुंच सके।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि कानपुर में केसा कम्पनी जब तक एलेक्ट्रिसिटी का काम अपने हाथ में लिये थी वहां के कर्मचारियों को वेतन कुल महंगाई एलावेंस वगैरह मिलाकर जितना मिलता था वह आज के वेतन से ज्यादा था। आज सरकार ने जब उसके कार्य को अपने हाथ में ले लिया है तब भी उसके कर्मचारियों को वेतन कम दिया जा रहा है। आप विचार करें आज कानपुर में बिजली की आमदनी कई गुना बढ़ गई है, परन्तु वहां के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तथा कुल वेतन का टोटल जो उनको भुगतान होता है वह पिछले समय से कम है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

पांचवीं बात, उनको जो महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें ५० प्रतिशत को कम से कम बढ़ोत्तरी करके उन कर्मचारियों को देना चाहिये ताकि वहां का काम ठीक प्रकार से चल सके।

छठीं बात, मैं अपने जिले लखीमपुर खीरी की कहता हूं। वहां एक पलिया टाउन एरिया है। उसमें ५२—५३ में एक स्कीम आयी थी जिसका नाम खीरी-पीलीभीत कालोनाइजेशन स्कीम है। उसके मातहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई रकम से पलिया में एक बिजली घर बनाया गया जिसको लगभग १० वर्ष हो गये होंगे, परन्तु उससे किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा। बिजली जितनी मात्रा में पैदा की जाती है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। पिछली विधान सभा में भी जो सदस्य महोदय उस समय थे उन्होंने भी कहा और हम लोग भी जितने इंजीनियर्स हैं उनसे मिले परन्तु किसी ने उस ओर ध्यान देने का कष्ट नहीं उठाया। आज भी सरकार का वहां २५, २६ हजार रुपया सालाना खर्च हो रहा है और आमदनी ! हजार वार्षिक की भी नहीं है। इस तरह से न तो जनता को उसका लाभ मिल रहा है और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष से जितने खम्भे लगे हुये थे, हजारों लाखों रुपये उनके लगाने में खर्च हुआ था, पता नहीं कौन सा आर्डर निकाला कि जितने खम्भे लगे हुये हैं उखाड़ दिये जायं। जहां एक ओर सरकार की स्कीम है कि गांव गांव में बिजली पहुंचाई जाय वहां दूसरी

और जो इतनी बड़ी टाउन एरिया है और इस मुल्क का मेरी समझ में सब से बड़ा गन्ने का क्षेत्र है उसमें बिजली की आवश्यकता की पूर्ति न हो, यह कितने खेद की बात है। अगर वहां ठीक काम होता रहे तो काफी लाभ सरकार को हो। वहां पर अगर सिंचाई का ठीक से प्रबन्ध होता तो सम्पूर्णानगर का जो १० लाख मन गन्ना सूख गया वह न सूखता। मांग की गई कि उस जगह का गन्ना दूसरी मिलों में पहुंचा दिया जाय। लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। शान्ति प्रसाद जी दोनों विभागों के मंत्री हैं इसलिये मैंने यह बात कही है। मैं चाहता हूं कि वे इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

एक पहले से विभाग में जो भ्रष्टाचार वहां व्याप्त है उसकी बात भी कहता हूं। जो कर्मचारी पानी देते हैं वह बिना पूरी तौर से दक्षिणा लिये हुये नालियों में पानी नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार की शिकायत पूरे प्रदेश में है। सरकार को चाहिये कि यह भ्रष्टाचार दूर हो। लोगों को पानी समय से सुविधापूर्वक मिल सके, बिजली सस्ती दर पर मिले जिससे उत्पादन अधिक हो सके और किसानों के लिये जो संकटमय समय है उसको दूर किया जा सके। साथ ही केसा कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें बढ़ोत्तरी की जाय और ५० प्रतिशत महंगाई भत्ता उनका तुरन्त बढ़ाया जाय। बिजली के रेट्स फिक्स किये जांय जिससे किसानों को सुविधा हो। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान विद्युत् मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। विद्युत् मंत्री जी ने बहुत सी घोषणायें की हैं, लेकिन कुछ बातों की ओर मैं भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकारी ट्यूब वेल जहां लगे हैं वहां से कुछ दूर पर अगर कोई किसान बिजली लेना चाहता है अथवा नहीं, उसको हर हालत में कम से कम ७० रुपया विभाग को देना पड़ता है। यह बात किसान, और अधिक अन्न उत्पादन के हक में नहीं है। इस प्रदेश में अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये किसान की हालत को ठीक करने के लिये बिजली का रेट जितना भी कम किया जा सके, उतना कम करना उचित होगा। १९१७ में रूस में क्रान्ति समाप्त होने के बाद लेनिन ने कहा था कि जितनी ही हम सस्ती बिजली रूस में लोगों को दे सकेंगे उतनी ही वहां के जीवन में उथल-पुथल जल्दी मचेगी और लोग प्रगति कर सकेंगे। यह प्रदेश की गति है, जीवन है।

पूर्वी जिलों में जहां किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं, और आबादी ज्यादा है, वहां की समस्या केवल खेती के बल पर ही हल नहीं की जा सकती। पूर्वी जनपद की उन्नति के लिये, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर आदि के लिये, उन इलाकों में जहां लोगों ने बिजली देखी नहीं है, उनको बिजली देनी चाहिये और वह बिजली क्रशर के लिये, आटा चक्की लगाने के लिये, खराद मशीन लगाने के लिये देनी चाहिये ताकि वहां की समस्यायें जल्द से जल्द हल हो सकें। बहुत से ट्यूबवेल ऐसे हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल खराबी के कारण समय पर खेतों को पानी नहीं दे सकते। इसके लिये मंत्री जी को इंजीनियर्स को कुछ कसने की जरूरत है ताकि वे इस काम में लापरवाही न बरत पायें। इसलिये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिजली का रेट किसानों के लिये सस्ता किया जाय। हमारी सब से गंभीर समस्या अन्न की है और अरबों रुपये का अन्न बाहर से आता है। पूर्वी जनपद में गल्ले का सदा अभाव रहता है। यह ठीक है कि देश और प्रदेश में बिजली बढ़ रही है और अभी बहुत कुछ बिजली के प्रसार के बारे में कार्यवाही करनी है, लेकिन किसान का प्राइवेट कुआं बन्द रहने पर भी उसे ६०–७० रुपये महीने देने पड़ते हैं, यह कौनसा न्याय है? ऐसा बोझ किसान के ऊपर नहीं लादना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, बिजली का मामला यहां पेश है, मैं समझता हूं कि जितनी असमानता इस मामले में है और कहीं नहीं है। देहात में पैदावार बढ़ाने के लिये बिजली इस्तेमाल होती है और किसान कुएं लगाने के लिये कनेक्शन की दरख्वास्तें देते हैं। सारी मंजिलें तय करने के बाद, यहां से भी मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि यहां से भी आसानी से हुक्म हो जाता है, लेकिन उसके एग्जिक्यूशन में कितना वक्त लगता है और कितनी उसकी फसलें खराब होती हैं उधर हमें ध्यान देना चाहिये। दूसरी तरफ शहर के अन्दर, लग्जरी, ऐश और आसायश और सिनेमा वगैरह के लिये बिजली के मंजूर होने में कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि इन गांवों में बिजली जायगी, लेकिन अगर १०–५ गांवों का मुआयना मंजिलें तो ज्ञात हो कि क्या हाल है। मेरी अपनी कास्टीट्युएंसी मुरादाबाद शहर के चारों तरफ है। १०–१५ गांवों के लिये मंजूरी आ गयी है कि बिजली लगेगी, उनमें खम्भे खड़े हैं, कहीं कहीं एक आध पोल पर बिजली भी आ गयी है, लेकिन और किसी को नहीं मिली। यह तो ऐसा है जैसे प्यासे को ओस पिलाकर प्यास बुझाने की कोशिश की जाय। ५–६ हजार की आबादी के गांवों में गली छोटी छोटी होती हैं, मोड़ ज्यादा होते हैं, लेकिन सारे गांव में ५–६ खम्भे दिये जाते हैं। उनमें फिर झगड़े खड़े होते हैं, सब यही चाहते हैं कि हमारे घर के सामने लगे। प्रधान एलेक्शन के जरिये आता है, पार्टी बन्दी होती है तो प्रधान कोशिश करता है कि जिस मोहल्ले के लोगों ने उसे वोट दिया है उनको खुश करे ताकि अगले चुनाव में उसे वोट मिले, उन्हीं के घरों के सामने खम्भे लगें। फिर दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि वहां न लगें। इसमें दिक्कत होती है। इसलिये जब बिजली इंसपेक्टर गांव में जाय तो उसे पार्टी-बन्दी से ऊपर उठ कर मुनासिब जगह खम्भे लगाने की तजवीज देनी चाहिये। यह नहीं कि कहीं तवाजह हो गयी तो फिर उसी के मुताबिक खम्भे ऐडजस्ट किये जायं।

वहां जो खम्भे लगाये जाते हैं उनसे यहां तक पता नहीं चलता कि किन खम्भों से बिजली पास हो रही है, किन से नहीं। यहां तक कि मैं खुद भी यह नहीं समझ पाता हूं। उनको देखकर आदमी यह उम्मीद करता है कि खम्भा लग गया, अब हमको बिजली मिल जायेगी, हम अपना फलां काम कर सकेंगे, लेकिन जब पता यह होता है कि उस खम्भे से बिजली की लाइन नहीं गयी है तो उसे निराशा होती है। उन लोगों को यह पता लगना चाहिये कि किन खम्भों से बिजली गयी है।

इसके अलावा हमारे यहां इन्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये रेट्स का जो फर्क है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

एक बात मैं केसा, कानपुर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के कर्मचारियों ने प्राइज वितरण के लिये एक जलसे का आयोजन ३–४ दिन पहले किया था जिसमें माननीय बनारसीदास जी को भी प्राइज बांटने के लिये आमंत्रित किया गया था। अफसोस की बात यह है कि वहां के अधिकारियों ने उस जलसे को कामयाब नहीं होने दिया, उसको फेल करने की कोशिश की और मंत्री जी वहां नहीं पहुंच पाये। इत्तफाक से मैं शाम को मजदूरों की मीटिंग में पहुंच पाया था। उन लोगों ने यह शिकायत की। यह उनका चौथी बार प्रोग्राम बना था जो कम्पनी के अधिकारियों के कारण फेल कर दिया गया। माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि उनमें कोई उत्साह पैदा हो सके। इसके लिये मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा।

*श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां बिजली की बहुत आवश्यकता है। जब हम और विभागों के कामों से इस विभाग द्वारा किये गये कामों की तुलना करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विभाग ने काफी काम किया है। कमियां इस विभाग में भी हैं, मैं यह नहीं कहता कि इसमें कमियां नहीं हैं। मगर और विभागों के मुकाबले में इस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है।

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब की एक बात यह सुनकर कि गांवों में जो खम्भे लगाये जाते हैं, उसमें पार्टीबाजी होती है, बड़ा दुख हुआ। यह तो हो सकता है कि जब बिजली के कर्मचारी वहां जाते हों तो वे कुछ खास लोगों के यहां बिजली पहुंचाने का खासतौर से प्रयत्न करते हों, मगर यह नहीं हो सकता कि मोहल्लों को ही छोड़ दिया जाय। उपाध्यक्ष जी, यहां एक शिकायत की गयी, और मैं भी उसको करना चाहता हूं,कि बिजली लगाने के बहुत दिन बाद भी कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। गांव वाले इन्तजार करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा शुभ दिन होगा जब बिजली दी जायगी। मैंने अपने प्रदेश का मुकाबला पंजाब से करते हुये एक बार कहा था कि पंजाब के गांवों में बिजली जलती है, लेकिन हमारे गांवों में अंधेरा रहता है। आज वह शिकायत तो नहीं है लेकिन आज माननीय मंत्री जी ने फी हार्स पावर पर ४४ रुपया के बजाय ६६ रुपया कर दिया है जब कि पंजाब में ९ पैसा फी यूनिट कर दिया बजाय १० पैसे के, यानी १० फीसदी रेट घटा दिया है जब कि हमारे यहां ५० फीसदी बढ़ा दिया गया है। अपने प्रदेश की पैदावार की हालत को देखते हुए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अभी एलान कर दें कि किसानों को बिजली सस्ते दर पर दी जायगी और ट्यूबवैल के लिये तो खास कर कम दर पर देंगे।

इसके अलावा रोस्टरिंग आफ ट्यूबवैल्स के सिस्टम को बंद किया जाय। अगर बिजली की कमी पड़ती हो तो कोल्ड स्टोरेज और कारखानों की बिजली काट कर उनको दे दी जाय। आपरेटरों की शिकायत की गयी लेकिन उनसे मंत्रीजी का कोई संबंध नहीं है।

मंत्री जी ने यह भी बताया कि ट्यूबवैल के कमांड में भी बिजली देना प्रारम्भ कर दिया है, आधी मील की दूरी पर देंगे वे तो और भी रिलेक्स करना चाहते थे, लेकिन सुना है कि उनके साथियों ने इसका विरोध किया। मंत्री जी जरा इस मामले में मजबूती दिखायें। किसान तो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिये बिजली चाहता है, उसके लिये आप बजाय ४ फर्लांग के दो फर्लांग कर दें और जहां पर ट्यूबवेल्स इंजन से काम कर रहे हैं वहां पर कोई रोक न हो क्योंकि जो ट्यूबवेल अभी काम कर रहा है उसको बिजली देने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस प्रकार पी० डब्लू० डी० तथा दूसरे महकमे पूर्वी जिलों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसी प्रकार बिजली का महकमा भी कर रहा है और वह यह है कि जो बिजली पूर्वी जिलों को मिलती है वह पश्चिमी और मध्य के जिलों के मुकाबले में अधिक रेट पर मिलती है यानी लाइट ऐन्ड फैन के लिये २ पैसा, घरेलू शक्ति के लिये ३, मीडियम शक्ति के लिये ८, लघु शक्ति के लिये ७ और सिनेमा आदि के लिये ६ न० पै० रेट ज्यादा रखा गया है।

पिछले साल भी मैंने शिकायत की थी तो कहा गया कि वहां जो बिजलीघर है वह कोयले से चलते हैं इसलिये वह मंहगा पड़ता है। मैं इस तथ्य को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर गौर करे ताकि बिजली का रेट सारे प्रान्त में एक किस्म का हो, चाहे पूरब का जिला हो, चाहे पश्चिम का जिला हो, चाहे मध्य का जिला हो, सब जगह एक ही रेट होना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक बात मैं जानना चाहता हूं। मुझे सूचना मिली है कि हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से माननीय अध्यक्ष, मार्शल और सदन के दो माननीय सदस्यों के खिलाफ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का नोटिस सर्व हो चुका है, तो क्या यह बात सही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री ऊदल—

दूसरी बात यह कि किसानों को सिंचाई के लिये जो बिजली दी जाती है और कारखाना तथा दूसरे उद्योग-धंधों को जो बिजली दी जाती है उसका मुकाबला करें तो मालूम होगा कि १९ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमारे ट्यूबवेलों को बिजली दी जाती है जिसका नतीजा है कि सिंचाई का रेट महंगा पड़ता है और किसान पानी लेने में अपने को असमर्थ समझता है। ट्यूबवेल के चलाने में भी दिक्कत होती है और आये दिन बिजली की कमी की वजह से इसमें कोई खराबी दिखा कर लाइन की लाइन बिजली बन्द कर दी जाती है। नतीजा यह होता है कि दो-दो और तीन-तीन दिन तक तमाम सेक्शन ट्यूबवेल का बन्द पड़ा रहता है और उस का नतीजा यह होता है कि हमारी खेती पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है और हमें बिजली की असुविधा होती है। जहां तक प्राइवेट कम्पनियों की बात है उनकी हालत और भी खराब है। मैं आपको वाराणसी की हालत बताऊं कि वहां पहली जनवरी, ६३ से ९ जुलाई ६३ तक १०२ बार बिजली बन्द हुई और इसका असर जौनपुर तक पहुंच गया और ९ जुलाई से जिस समय बरसात शुरू हुई, १५ जुलाई तक १४ बार बिजली बन्द हुई। इस तरह से आये दिन वहां बिजली गुल होती रहती है जिससे जनता को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिये निवेदन है कि इस तकलीफ को दूर किया जाय।

गोरखपुर पावर हाउस का राष्ट्रीयकरण करने की बहुत दिनों से मांग की जा रही थी और उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन वहां की हालत अभी भी ठीक नहीं है। आये दिन वहां भी बिजली गुल होती रहती है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बहुत पुरानी बात है, अब ऐसी बात नहीं है।

श्री ऊदल—

तो सरकार का ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिये। जिस तरह से हम दूसरे उद्योग-धंधों, सड़कों, कारखानों आदि में पिछड़े हुए हैं उसी तरह से हम बिजली के क्षेत्र में भी काफी पिछड़े हुए हैं। गंगा सागर व कानपुर क्षेत्र में बिजली की काफी कमी है और मेरा खयाल है कि सन् १९७१ तक भी बिजली की कमी आप पूरी न कर सकेंगे। पिछली बार कानपुर के विद्युत् संकट को आपने देखा है। इससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ और कानपुर विद्युत् संकट के संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उस स्थिति का कोई हल निकालना होगा क्योंकि एक ही नहर को खोद खोद कर लाखों रुपया खर्च करना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। बिठूर पावर हाउस के मध्य बहने वाली १० मील लम्बी प्राकृतिक धारा को चौड़ी करके उसे स्थायी नहर के रूप में परणित किया जा सकता है अगर यह हो जाय तो स्थायी हल निकल जायगा और बिजली मिल सकेगी। वहां के कर्मचारियों की हालत की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। छोटे कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। बड़े कर्मचारियों के लिये तो तमाम बंगले आदि की सुविधायें हैं लेकिन साधारण कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। सरकार ने वादा भी किया था वहां के कर्मचारियों के लिये मकान

आदि के प्रश्न पर विचार किया जायगा लेकिन अफसोस है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनके लिये मकानों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसलिये वहां पर कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही उनका जो पे स्केल है वह बहुत पुराना है। सरकार के राष्ट्रीयकरण के बाद करीब ५० लाख रुपया सालाना मुनाफा पहुंच गया है लेकिन उन की हालत वही है जो आज से १२–१३ साल पहले थी। बोनस की मांग पर आप कहते हैं कि हम नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनके पे स्केल को ही ठीक कर दें और दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले में उन का खयाल करें। उन के वेतन में नये ढंग से बढ़ोत्तरी की जाय।

विभाग में हर साल बहुत से लाइनमेन और छोटे कर्मचारी बिजली की करेंट से मर जाते हैं और काम करते हुये आकस्मिक तरीके से वह मर जाते हैं या अपंगु व लंगड़े हो जाते हैं और उन का जीवन ही बेकार हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कि आप ने पुलिस के सिपाहियों के लिये डाकुओं से मुकाबला करते हुये मरने पर पेन्शन का प्रबन्ध उन की विधवाओं के लिये किया है उसी प्रकार से इन लोगों के लिये भी प्रबन्ध करें। यह लोग भी अपने काम करने में वैसे ही तत्पर रहते हैं जैसे कि पुलिसमैन हैं। उन को आप जो कम्पेनसेशन ऐक्ट के मातहत मुआवजा देते हैं वह ठीक नहीं है उन के लिये भी विशेष प्रबन्ध किया जाय और पेंशन की व्यवस्था की जावे।

आज विज्ञान इतना बढ़ गया है कि पानी से भाप को ठंडा करने की जरूरत नहीं है। हम अभी हाइडल के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं। हमारे श्री बी० बी० लाल साहब अभी रूस गये थे, मैं समझता था कि वह वहां काफी दिन रहेंगे लेकिन वह कुछ ही दिन रह कर चले आये। एक हाइडल पावर हाउस स्टेलिनग्राड में वोलगा नदी के ऊपर बना है और वहां १ लाख २५ हजार किलोवाट बिजली एक टर्बाइन से तैयार होती है। वहां एक टर्बाईन साढ़े ३ लाख किलोवाट पैदा करती हैं लेकिन हम अभी इसमें बहुत पिछड़े हैं। मैं चाहता हूं कि लाल साहब को बुडापेस्ट, हन्गरी में भेजा जाय ताकि वह इस विषय में काफी ज्ञान प्राप्त कर के लौटें, मैं चाहता हूं कि कानपुर पावर स्टेशन के लिये ऐसी योजना बनायी जावे जिससे पानी से भाप ठंडी करने के लिये जरूरत न हो, भाप को ठंडा करने के लिये अल्मुमियम के कूलिंग टावर को इस्तेमाल किया जावे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती का समर्थन करता हूं और माननीय शर्मा जी तथा श्री लाल साहब को उनके काम के लिये धन्यवाद देता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विद्युत् मंत्री जी को जो अनुदान उन्होंने पेश किया है उस के लिये बधाई देता हूं। मैं उन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमारे गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में बिजली पहुंचाई है। जिस तरह से कि पंजाब सरकार ने हर गांव में बिजली फैला दी है उसी प्रकार उन्होंने भी किया है और जो हमारे मंत्री जी की कार्य प्रणाली है। उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और उससे हम सब सन्तुष्ट हैं। उन्होंने सारी अड़चनें जो सरकारी कर्मचारी डालते थे उन को दूर किया है और अब किसान मजदूर को बिजली देने में कोई आनाकानी नहीं करता। पूर्वी जिलों में तो बिजली की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है लेकिन जहां तक पश्चिमी जिलों का संबंध है वहां के किसानों को उस की बहुत जरूरत है। पूर्वी जिलों के किसान उतनी मेहनत से काम नहीं करते हैं जितनी मेहनत से पश्चिमी जिलों के किसान करते हैं। पश्चिमी जिलों के किसान मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं फिर भी उनको ट्यूबवेल के लिये बिजली नहीं मिल पाती है। माननीय मंत्री की जहां किसानों के प्रति दिलचस्पी है, ४,४ फर्लांग पर ट्यूबवेल लगा दिये हैं वहां यह भी अनिवार्य हो जाना चाहिये कि उनके ट्यूबवेल को बिजली अवश्य दी जाय ताकि किसान को पानी मिल सके और उत्पादन बढ़ सके। उद्योग-धंधों को भी बिजली दी जाय। बिजली की कमी जो है उस संबंध में बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

मंत्री ने जो उत्साह दिखाया है वह सराहनीय है और आशा है कि वह अधिक उत्साह दिखायेंगे। इतना अवश्य कहूंगा कि टैक्स पश्चिमी जिले अधिक देते हैं, लेकिन डैम और ट्यूबवेल पूर्वी जिलों की ओर ही अधिक बने हैं। रिहन्द डैम उधर ही बना है।

जनता का बच्चा बच्चा आज आपकी प्रशंसा करता है कि विद्युत् विभाग ने बड़ा कार्य किया है। लेकिन जो कर्मचारी हैं उन पर जरा कड़ाई करने की आवश्यकता है। वे किसान और मजदूर को परेशान करते हैं। कहीं-कहीं तो पार्टी बाजी है। खम्भे लग गये हैं, बिजली पहुंच गयी है, लेकिन बिजली नहीं दी गयी और ६,७ महीने हो गये। जब आप से शिकायत की गयी और आपने आदेश दिये तब बिजली दी गयी। जहां गरीब जनता रहती है वहां खंभे नहीं लगते क्योंकि वह इन्सान नहीं हैं। आपने भ्रमण करना छोड़ दिया है। आप देखें और पता लगायें ताकि जो कुली और मजदूर काम करते हैं उन्हें ठीक से मजदूरी मिल सके। उनको वह प्रोत्साहन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिये। जब विद्युत् द्वारा उनकी मृत्यु हो तो बड़े-बड़े लोगों को जिस तरह से पेंशन दी जाती है उसी तरह से उनकी भी मदद की जाय। उनका वेतन भी बढ़ाया जाय और बड़ों-बड़ों का कम किया जाय। हमारे प्रदेश में आज बिजली की जो भूख जनता की थी उससे वह तृप्त हो गयी है। मुझे आशा है कि गांव में जहां बड़े-बड़े महलों में बिजली पहुंच गयी है वहां झोपड़ियों में भी पहुंच जायगी।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी को बधाई नहीं दूंगा क्योंकि वह इतनी सस्ती नहीं है लेकिन जिस तरह से वह सांत्वना देते हैं कि हम बिजली लगायेंगे उसी तरह से उनको धन्यवाद भी देना ही होगा। श्रीमन्, मथुरा जिले में लगभग एक हजार गांव हैं। इनमें से लगभग ढाई सौ गांव ऐसे होंगे जिनकी आबादी १—३ हजार है, दो सौ ऐसे होंगे, जिनकी आबादी ६—५ और ४ हजार की है। इस जिले में एक तहसील छाता है, यह तहसील पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है और हमारी सरकार इसको भूल जाती है। इसका एक कारण मुझे यह जान पड़ता है कि कुछ तहसीलों के यहां पर मंत्री रहे हैं जैसे आचार्य जुगल किशोर, लक्ष्मी रमण आचार्य और उन्होंने अपनी तहसीलों में कुछ बिजली लगवाई। मेरे यहां के एक एम० एल० ए० आये थे पर उन्हें यहां पर कोई बोलने ही नहीं देता था। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर देखें कि मेरी तहसील के किसी भी कोने में बिजली नहीं है। श्रीमन्, पंजाब हमारी सीमा पर है। वहां पर गांव-गांव में बिजली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर स्वराज्य आ गया है। पहले हम कहा करते थे कि गांव-गांव में बिजली लगवा देंगे, गांव-गांव में सड़क बनवा देंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ओर भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय।

मथुरा जिले में एक और असमानता है। मथुरा में बिजली के रेट प्रति यूनिट ६ आने लिया जाता है परन्तु कोसी में १२ आने प्रति यूनिट लिया जाता है। इसकी पूरी जांच कराने की कृपा की जाय। मैं यह भी अर्ज करता हूं कि इन ठेकेदारों को जो कि बिजली सप्लाई करते हैं उनको ऐसा करें जैसा जजेज के साथ किया गया है, इस विधान सभा में। ये इतना कसते हैं, इतना रेट बढ़ाते हैं कि इससे भी शोषण किया जाता है।

एक बात और बता दूं, जैसा माननीय ऊदल भी कह रहे थे, कि बिजली के जो कर्मचारी हैं उनको ये ठेकेदार, जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, वे उनको कसते हैं। उनको विशेष सुविधा दी जानी चाहिये और उनकी तनख्वाह १०० रुपये से कम न होनी चाहिये। अगर उनके अंगर उनके अंग भंग हो जायं तो उसको और उसके परिवार के लिये सहायता दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा जिला, जहां पर लाखों यात्री आते हैं और जिसको ३ लोक से न्यारी नगरी कही जाती है, परन्तु फिर भी वहां पर बिजली की कमी क्यों है ? कहा जाता है कि ट्यूबवेल नहीं बन सकते क्योंकि वे वहां सफल नहीं होते । लेकिन मेरे अन्दाज में उनका यह कहना गलत है । ट्यूबवेल लगाकर तो देखें । पहले जो लोग भेजे गये थे वे जाली लोग थे । फिर उसका सर्वेक्षण कराया जाय । अगर ऐसा किया गया तो आप देखेंगे कि वहां पर ट्यूबवेल अवश्य लगेंगे । आज बहुत आवश्वक हो गया है कि मथुरा जिले के जो छोटे-छोटे गांव हैं उनमें बिजली लगायी जाय ताकि उनमें छोटे-छोटे उद्योग लोग कर सकें और इस प्रकार से बेकारी और बेरोजगारी दूर हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा कि मार्टिन कम्पनी को करोड़ों रुपया सरकार दे कर जिला रही है । सदन की मांग थी कि उस के कांट्रेक्ट को खत्म किया जाय और उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

१४ तारीख को हो रहा है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

दो वर्ष तक उसके द्वारा शहर को बिजली नहीं दी गई और इस समय भी जब हम आशा लगाये थे कि रिहन्द से बिजली आने पर छोटे छोटे कारखानों को बिजली मिलने में सुविधा होगी वह आशा पूरी नहीं हुई बल्कि सरकार की ओर से पिछले दो महने से १ पैसा रेट बढ़ा दिया । मेरी मांग है कि जिस रेट पर बिजली पहले मिलती थी वही रेट रहे ।

हमारे नगर में जो पावर हाउस है उसके कोयले की राख से कई मोहल्ले प्रभावित होते हैं और लोगों का रहना वहां दुश्वार है । मैं चाहूंगा कि पावर हाउस को नैनी इंडस्ट्रियल इस्टेट में लगाया जाय । बस यही मुझे कहना था ।

*श्री मुन्नूसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । एक बात का मुझे दुख हुआ जो माननीय हरीसिंह ने कहा कि पूर्वी जिलों को बिजली की जरूरत ही नहीं है । इस संबंध में मुझे यही कहना है कि जितनी हैवी इंडस्ट्रीज हैं वे सब पूर्वी जिलों में हैं और यहां के इरीगेशन सेक्रेटरी सर विलियम्स स्टेप्स ने माना है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सिवाय एग्रीकल्चर की तरक्की के लिये कुछ बिजली दी जाय और दूसरी जगह उसकी खपत की गुंजायश नहीं है ।

माननीय ऊदल जी ने जैसा प्रस्ताव रखा है कि बिजली में जो दुर्घटनायें होती हैं उनके आश्रितों के साथ वही बरताव किया जाय जो पुलिस के कर्मचारियों के आश्रितों के साथ किया जाता है जब वह ड्यूटी पर मर जाते हैं । दोनों ही सरकार के कर्मचारी हैं ऐसी सूरत मे दो तरह का कम्पनसेशन देना कुछ शोभा की बात नहीं है । दुर्घटनाओं के जहां और कारण हैं वहां यह भी है कि सदोष उपकरणों का निर्माण होता है । इसकी जांच होनी चाहिये और जब दोषपूर्ण थे तो वह क्यों लगाये गये ? श्रीमन् कुछ सदस्यों ने कहा कि एग्रीकल्चर को विशेष सुविधायें देनी चाहिये । मैं यहां तक कहता हूं कि उनको इतना एल्योरमेंट देना चाहिये कि वह आपकी तरफ खिचकर चला आये और एक समय आयेगा जब उसको विशेष लाभ होने लगेगा तो वह आपके रेट देने के लिये मजबूर हो जायगा । हमारा देश जब कि विषम अन्न संकट से गुजर रहा है तो अवश्य ऐसी सुविधायें प्रदान की जायं । सरप्लस एरिया में जहां धान होता है वहां पानी न पहुंचने के कारण सूखा पड़ जाता है । अगर इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय तो देश की बड़ी भारी समस्या हल हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुन्नूसिंह]

एक बात कही गई कि पूर्वी जिलों में कोयले से इंजिन चलता है इसलिये बिजली महंगी पड़ती है जिसकी वजह से ज्यादा रेट्स हैं। जब कोसी प्लांट के लिये ऋण दिया गया था तो दो ढाई पौंड के हिसाब से बिजली का उत्पादन होता था और वहां ६ पौंड के हिसाब से खर्च करते हैं और वहां नुकसान हुआ तो क्या तिगुना रेट लेते हैं ?

दूसरे यह कहा गया कि इस प्रदेश को एक ग्रिड में मिला दिया जायगा तो उस समय सारे प्रदेश में एक ही रेट कर दिया जायगा। श्रीमन्, १९६५ में एक ऐसा समय आ सकता है जब कि यह सरकार हो जाय। इसके बाद सोचा जा सकता है कि एक ग्रिड में मिला दिया जाय। जहां तक ट्रांसफारमर्स और बिजली की लाइन का सवाल है तो अब भोपाल हेवी इलेक्ट्रिकल्स से सामान मिल सकता है और फारिन एक्सचेंज की भी जरूरत नहीं है। इसलिये इस ओर जल्दी कदम उठायें।

श्रीमन्, विद्युत विभाग ने रिसर्च स्टेशन कायम करने से इंकार किया है और उसका यह जवाब है कि दूसरे देश इतनी प्रगति कर चुके हैं और इतना काम कर दिया है कि जिसे सीखने के लिये हमें बहुत कुछ पड़ा है। अभी ६ रोज पहले की बात है कि मैंने अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में एक ऐसा उपक्रम बनाया जा रहा है जिससे सूर्य से बिजली प्राप्त की जायगी और बहुत सस्ती बिजली मिल जायगी। क्या अमेरिका उसको आपके पास फौरन भेज देगा ? क्या उससे कम में आप अपने यहां रिसर्च स्टेशन नहीं खोल सकेंगे ? सरकार दूसरे देशों की रिचर्स से फायदा उठाने की बात कहती हैं तो मैं कहता हूं कि अमेरिका, स्केंडिनेविया और अर्जेन्टाइना वगैरा में लकड़ी के पोल्स लगते हैं तो हमारे यहां क्यों नहीं काम में लाये जा सकते हैं जब कि हमारे यहां लोहा और इस्पात की बहुत कमी है। इसके जबाब में विभाग यह कहता है कि वहां लकड़ी की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन विभाग ने यह भी माना है कि चीफ कंजर्वेटर मैसूर स्टेट ने वायदा किया था कि वे ऐसी बढ़िया लकड़ी सीजन्ड कर के देंगे जो खराब नहीं होगी। उस पर जवाब है कि वहां से यहां तक ट्रांस्पोर्ट चार्जेज इतने ज्यादा हो जायंगे कि वह सस्ता नहीं पड़ेगा। अगर रिसर्च स्टेशन या सीजिनिंग प्लांट यहां यू० पी० में लगाया जाय तो क्या यह जरूरी है कि वह इनफीरियर क्वालिटी का ही सीजनिंग करेगा ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

बड़ा शोर हो रहा है। ऐसा लगता है कि आप पीठासीन ही नहीं हैं। जरा संभालिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बातचीत न करें।

श्री मुन्नूसिंह—

हल्द्वानी में सीजनिंग प्लांट लगा हुआ है। क्या इस विभाग ने कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स से बातचीत की कि ११ के० डब्लू० के नीचे की ही लाइन लकड़ी के पोल्स पर लग सकती है। मैं पूछना चहता हूं कि क्या स्केंडिनेविया और अमेरिका में ११ के० डब्लू० के नीचे की लाइन उन लकड़ी के पोल्स पर लगायी जाती है ?

एक बात मैं और जानना चाहता था। अभी थोड़े दिन पहले राप्ती पर एक जलकुंडी बांध बनाने की योजना थी। सुनते तो चले आ रहे थे कि यहां राप्ती पर बहुत बड़ा बांध बनेगा, उससे ईस्टर्न और नार्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को बिजली की सप्लाई होगी। आखिर उस जल कुंडी योजना का क्या हुआ ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कई लाख रुपया उस पर व्यय किया गया और उसका सर्वे नेपाल स्टेट में हुआ था जिसकी कोई मंजूरी नैपाल सरकार ने शायद नहीं दी थी। इसलिए नैपाल सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। क्या सरकार जलकुंडी योजना फिर से चालू करने की कृपा करेंगी।

एक बात और है । जो माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि किसी रिपोर्ट में यह है कि पानी से उत्पादित बिजली पर कम खर्च आता है । तो उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे पहाड़ी नाले और झरने हैं, क्या इसके लिए कोई ऐसी कमेटी बनायी जायगी कि जो इस सम्बन्ध में विचार करे कि पहाड़ों में बांध बना कर या पहाड़ी नालों को बांध कर बिजली उत्पन्न की जा सके? मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में नाले और झरने इतने अधिक हैं कि अगर उनका माकूल सर्वे किया जाय तो मेरा खयाल है कि हमारी जरूरत ही नहीं, बल्कि हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई कर सकेंगे । पिछली दफा एक स्टेटमेंट हुआ था कि भाखड़ा से ले कर बिजली की कमी को पूरा करेंगे । मेरी समझ से यह हमारे लिए शर्म की बात है । इसके साथ में माननीय मंत्री को बधाई देता हूं और इस विभाग को भी बधाई देता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय,

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

पांच बजे तक यह काम समाप्त होना है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दूसरा आइटम पांच बजे तक लिया जायगा । मेरी बात अगर आप सुनना चाहें तो कहूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

५ बजे तक यह चलेगा । ५ बजे यह समाप्त हो जायगा .....

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि वह घोषणा न हो जाय जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय करने वाले हैं या जो बात उस संबंध में होनी है, वह न हो जाय ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की उतावली समझता हूं और मेरी यह भी परेशानी है कि आज का वातारण जो है उस वातावरण में मैं कुछ जस्टिस कर भी सकूंगा इसमें मुझे शक है क्योंकि सब के सब आदरणीय सदस्य एक दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाये हुये हैं जो बात ५ बजे से पहले तो.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

उस वातावरण का खतरा आप पर तो है नहीं, वह तो माननीय बी० बी० सरन साहब पर है और दूसरे लोगों पर है.....

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

क्योंकि पांच बजे तक मुझे बोलना है, मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप पांच सात मिनट पहले समाप्त कर दीजियेगा तकि लोगों को समय बढ़ाने का मौका मिल जाय (शोर)

एक सदस्य--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है । अगर मैंने सही सुना तो माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि मुझे ५ बजे तक बोलना है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया है कि पांच सात मिनट पहले समाप्त कर दें.....

एक सदस्य--

लेकिन हम लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते । आप पांच सात मिनट पहले की बात करते हैं, पांच सात मिनट कुल उनको बोलने दिया जाय ....(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

वह सब पांच बजे होगा, पांच बजे के पहले आपको टाइम बढ़ाने का भी मौका मिलेगा ।

श्री दीपनारायणसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंट आफ आर्डर है । एक बहुत गंभीर विषय है कि यह सदन जिनको तलब कर चुका है उनको सरकार द्वारा पकड़ कर इस सदन के सामने उपस्थित करने की बात देख रहा है और अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित देखना चाहता है और सारा हिन्दुस्तान देख रहा है कि यह सदन कमजोर है कि अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं कर पा रहा है..... (शोर) इसलिये हाउस इस मांग को स्वीकार करता है, कोई जरूरत नहीं है, इस पर बहस की ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दीपनारायण सिंह जी, सुनिये, इसके लिये टाइम पांच बजे तक का था । लेकिन माननीय मंत्री जी से प्रार्थना कर चुका हूं कि वह थोड़ा पहले ही खत्म कर दें ताकि आपको कोई डर न हो और आपको टाइम बढ़ाने का मौका मिल जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी से आपने कहा कि आपने प्रार्थना की है, आपको तो हुकुम देना चाहिये, आप प्रार्थना कैसे करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा चलिये ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैं आदरणीय सदन के सदस्यों का बड़ा आभारी हूं, बड़ा ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस मेरे विभाग ने जो कुछ काम किया उसकी सराहना की और हमें कुछ सुझाव दिये । यह बात सही है कि हम पहले दो प्लानों तक.....

(व्यवधान)

कई सदस्य--

कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है.....

श्री उपाध्यक्ष--

जरा सुनने की कोशिश कीजिये तो सुनाई दे ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है कि जब पूरे का पूरा सदन इस बात पर एक राय हो रहा है आपके समक्ष इस बात की जानकारी हो रही है कि इस चीज को हम लोग पास करने के लिये तैयार हैं, लेकिन जो विशेषाधिकार का विषय है उसको सुनने के लिये सारा सदन उत्सुक है। मेरी जानकारी है कि इस मामले में एक गुप्त मीटिंग की जा रही है और उसके निर्णय के लिये जान बूझकर टाइम बढ़ाया जा रहा है, यह हाउस का अपमान है। जब पूरा सदन यह चाहता है। जब सदन एक राय है कि जो ग्रान्ट उसको एक मत से पास कर दिया जाय तब शायद मंत्रिमंडल की जो कोई गुप्त मीटिंग हो रही है उसके इशारे पर सदन में विशेषाधिकार के विषय को टालना सदन का अवमान है। आप इस पर अपना निर्णय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस वक्त अध्यक्ष यहां थे उन्होंने कहा कि ५ बजे तक यह समाप्त हो जायगा, उस समय के बाद वह आयेगा। आप मंत्री जी को समाप्त कर लेने दीजिये, उसके बाद वह बात आयेगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि अनुदान पर मतदान जब समाप्त हो जाय उसी समय यह ले लिया जाय। ५ बजे की बात उन्होंने नहीं कही थी। इसलिये मंत्री जी ४,५ मिनट में समाप्त कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

४,५ मिनट नहीं, १५,२० मिनट में मंत्री जी समाप्त कर लेंगे तब वह विषय आयेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा प्रस्ताव है कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय। मेरे इस निश्चित प्रस्ताव पर सदन का मत लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्लोजर मोशन का समय नहीं है इसलिये एक जवाब कटौती के प्रस्तावक का हो चुका और विवाद तो उसी समय समाप्त हो चुका था। अब मंत्री जी का दूसरा जवाब है, वह हो जाने दीजिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री लखपतराम शर्मा—

पहले सुनिये तो। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब यह तय हो चुका है कि इसको एकमत से पास कर दिया जाय तो फिर आप उसको क्यों जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और किस नियम के अनुसार आप विशेषाधिकार वाली बात पर विचार को टाल रहे हैं, यह जरा आप बतावें ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्रीजी को हक है कि जो दूसरे लोग कहें उनकी बात का जवाब दें और वह जवाद दे रहे हैं। आप पहले उनको सुन लीजिये, फिर वह भी आ जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपने निर्णय नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कौन से नियम के मुताबिक सदन का समय इस अनुदान पर ले रहे हैं जबकि सदन यह अनुदान अभी पास करने के लिये तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम है कि सबके बोलने के बाद गवर्नमेन्ट को मौका होगा कि जो बहस हुई उसका जवाब दिया जाय । आप चाहें या न चाहें वह जवाब तो अब आपको सुनना पड़ेगा । यह हो सकता है कि वे अपने को शार्ट कर दें ।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं थोड़ा ही समय लूंगा । मैं पहले ही कह रहा था कि मैं आदरणीय सदस्य की उतावली को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि चाहे कितनी ही अच्छी बात क्यों न कहूं, इस समय उसे आप सुनना नहीं चाहेंगे लेकिन आपने जो बातें कही हैं उनका जवाब देना है और दूंगा । दो चार बातें मुन्नू सिंह जी ने कही हैं, तो या तो वह कहते नहीं और अगर कहा है तो फिर यह जरूरी है कि सरकार का भी जवाब उस पर सुन लें ।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय के पी० ए० मार्शल को यहां से बुला कर ले जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह यह कहने आये हैं कि स्पीकर साहब आ रहे हैं । इसमें परेशानी की क्या बात है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं कह रहा था कि पहले दो प्लानों में हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि हम बिजली अधिक नहीं पैदा कर पाये और इसमें दोष हमारा नहीं था । हम चाहते थे लेकिन हमको फारेन एक्सचेंज नहीं मिला । और दूसरी दिक्कतें थीं । तीसरे प्लान में हमने प्रयास किया कि बिजली ज्यादा से ज्यादा बनायें ।

(इस समय ४ बजकर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता है । इसके लिये हमने १०७ करोड़ का प्लान रखा था और हम चाहते थे कि ११० करोड़ उसे कर दिया जाय, लेकिन यह भी इस प्रदेश के लिये काफी नहीं है । मैं चाहता हूं कि सदन हमारे लिये अधिक रुपये का इंतजाम करे ताकि चौथे प्लान में हम ज्यादा काम कर सकें । हम चाहते हैं कि अगले प्लान में साढ़े १८ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाय जिस के लिये हमको साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की लगभग जरूरत होगी । हमारे प्रदेश में जैसा मुन्नू सिंह जी ने कहा--कोयले की बिजली से काम चलने वाला नहीं है । हमको पानी से बिजली पैदा करने की स्कीमें बनानी चाहिये और जहां कोयला अधिक मिलता है वहां कोयले की स्कीमें बनानी चाहिये और फिर दोनों को मिलाना चाहिये, ताकि बिजली का प्रसार अधिक हो सके और वह काफी मात्रा में लोगों को मिल सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुन्नू सिंह जी ने त्रिवेदी साहब की रिपोर्ट को कोट किया। यह सही बात है कि हम पहले दो प्लानों में अधिक काम नहीं कर सके लेकिन तीसरे प्लान में जो स्कीमें हमने बनायी हैं उनको हमने समय पर पूरा किया और कहीं तो समय के पहले ही उनको पूरा किया है। यदि सदन डिटेल चाहेगा तो मैं बतला दूंगा। हमने गांवों में बिजली देना शुरू कर दिया है। कुछ सदस्यों को शिकायत है कि गांव में हम गांव सभापति से पूछते हैं। आखिर, वहां उससे न पूछें तो किस से पूछें? यह स्कीम अभी अभी चली है। हमारे पास सामान भी कम है। इसलिये हम चाहते हैं कि पहले गांवो में बिजली पहुंच जाय और लोग उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसके बाद अगर गांव वाले उससे फायदा उठाना शुरू कर देंगे तो उसका विस्तार अवश्य होगा। एक चीज यह भी कही गयी कि बिजली के ट्यूब वेल जब बन्द रहते हैं तो बिजली के चार्ज क्यों लेते हैं, तो हर ट्यूबवेल को जो हम बिजली देते हैं उसमें काफी हमको नुकसान पड़ता है। इसलिए कि बिजली २४ घंटे पैदा होती है और ट्यूबवेल से पानी अपनी मरजी से लेते हैं जब किसान को आवश्यकता हो। तो हमने थोड़ा मिनिमम रखा है तो वह ज्यादा नहीं है। उस पर भी डिपार्टमेंट का काफी नुकसान होता है। फिर भी हम चूंकि जानते हैं कि बिजली देनी है ताकि काश्तकार फायदा उठावे, इसलिये देते हैं .... (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि मेरे बिजली विभाग से सब प्रसन्न हैं, इसलिये इस अनुदान को यूनानिमसली पास करें और अपने कटौती के प्रस्ताव को मुन्नूसिंह जी वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है, के अन्तर्गत २,७५,७१,६०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या नियम बदल गया है? पहले कटौती के प्रस्ताव पर वोट लेना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

शाक्य जी, क्या इतने दिनों से आप देख नहीं रहे हैं?

जनसंघ का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विषय पर नियम ३०१ के अन्तर्गत चर्चा

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता था कि भूमि–भवन कर और महंगाई कर के विरोध में और १७ वें संशोधन के विरोध में १८ तारीख से २२ तारीख तक शान्तिपूर्ण भूख हड़ताल जिले जिले और केन्द्रीय स्थानों में हुई। २३ तारीख को नानाजी देशमुख ने एक पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि हम २४ घंटे के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल शान्तिपूर्ण ढंग से करने जा रहे हैं, आशा है कि उसमें बाधा नहीं होगी जैसी कि परम्परा रही है। क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने कम्युनिस्ट दल को यहां पर भूख हड़ताल के लिये आज्ञा दे रखी थी और उनका प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी हुई। मुझे दुःख है कि उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और शान्तिपूर्ण हड़ताल करने वालों को गिरफ्तार किया गया जिनमें महिलायें भी थीं और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार विधान सभा भवन के सामने किया गया और जहां एक तरफ कम्युनिस्ट दल को मौका देकर भूख हड़ताल कराकर प्रोत्साहन दिया गया। श्रीमन्, महिलाओं को जब पकड़ा गया, मैं वहां पर मौजूद था, उनको जिस तरह से पकड़ कर गाड़ी में डाला गया वह बड़ा अपमानजनक था। हड़तालियों के साथ पुलिस का व्यवहार बड़ा अनुचित और अपमानजनक रहा है।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

मेरा निवेदन है कि उन सब की रिहाई का तुरन्त आदेश होना चाहिये ताकि वातावरण को शान्त बनाया जा सके ।

सदन द्वारा दण्डित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश श्री एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश श्री जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान पर पारित संकल्प के कार्यान्वयन के लिये की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विवरण

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह सदन यह जानना चाहेगा कि जो वारंट आदि इश्यू होने वाला था आपके द्वारा, उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वही मैं बताने जा रहा हूं । जो कार्यवाही आज इस समय तक हुई है, मैं बता रहा हूं । कल मैं ४ बजे यहां आया खाना खाने के बाद । मैंने वारंट वाली फाइल को देखा और उसमें वारंट का अभिलेख था, उसको देखा । उसमें मैंने कुछ तब्दीली करनी चाही । इसी बीच माननीय सदस्य आते जाते रहे । परिणाम यह हुआ कि करीब सवा पांच बजे वह लेख तैयार हो पाया, लेकिन उसको छापने, मोहर लगाने आदि में करीब सवा ८ बज गये । हमने यह सोचा कि चूंकि हम जजेज को बुला रहे हैं, इसलिये बजाय डिप्टी कमिश्नर के, हम कमिश्नर की सहायता लें । मेरा खयाल यह है कि मैंने ७ बजकर ४० मिनट पर, ८ बजकर १० मिनट पर, फिर ८ बजकर ४० मिनट पर उनसे फोन से बात करना चाहा । लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं थे । फिर मैंने यह निश्चय किया कि मैं वारंट मार्शल को दे दूं । करीब ९ बजे मैंने वारंट मार्शल को दे दिया । मैंने उनसे कहा कि इस वक्त कमिश्नर साहब नहीं हैं, तुम सबेरे ८ १/२, ९ बजे के बीच इस कार्य को करना । मैं घर चला गया । सबेरे ६ १/२ बजे जब मैं बाहर निकला तो वहां पर डिप्टी रजिस्ट्रार, इलाहाबाद हाईकोर्ट, डिप्टी रजिस्ट्रार, लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के मौजूद थे और उनके साथ एक और आफिसर भी थे । उन्होंने दो आदेश मेरे ऊपर तामील किये हैं । मैंने उनसे कहा कि मैं टहल आऊं तो लूंगा । सवा ७ बजे वह तामील हुए ।

एक बात रह गयी, मैं उसे और बता दूं । रात को करीब साढ़े १० बजे या पौने ११ बजे पुलिस का मुझे फोन आया, शायद वायरलेस स्टेशन से होगा कि हाईकोर्ट का मेरे नाम संदेश है, और उसको वे सुनाना चाहते थे । मैंने कहा मैं तुमसे कोई संदेश नहीं लूंगा, वे लिखित हों तो वे लिखित रूप में मेरे पास आयें या मुख्य मंत्री द्वारा मेरे पास आयें ।

(व्यवधान)

रात को १२ बजे मेरे गार्ड द्वारा एक कागज तामील हुआ । उसकी रिपोर्ट यह है कि २४.०० बजे रिसीव हुआ, और ७ बजे मुझे नोटिस तामील हुआ, उसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं ।

In the High Court of Judicature at Allahabad. Stay application in Civil Misc. Writ no. 1463 of 1964. Petitioner is Hon. Mr. Justice Nasirullah Beg *versus* Speaker, Vidhan Sabha, Uttar Pradesh, Lucknow, etc.

To : The Hon'ble Chief Justice and his companion Judges at the aforesaid Court. **माननीय चीफ जस्टिस तथा उनके सह-जजेज** The humble petition on behalf of the above mentioned petitioner most respectfully showeth **प्रार्थना-**

पत्र उपरोक्त आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । प्रार्थना है that the resolution of the Vidhan Sabha is wholly unconstitutional. जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है वह अवैधानिक है । नम्बर २ It is likely that the Speaker, opposite party no. 1, may issue a warrant for taking the petitioner into custody. सम्भव है कि प्रतिपक्षी नम्बर १ प्रार्थी के विरुद्ध वारंट जारी करके प्रार्थी को अपनी अभिरक्षा में ले लें । नम्बर ३ That it is absolutely necessary that the implementation of the resolution be stayed till the disposal of the writ petition. यह नितांत आवश्यक है कि उस प्रस्ताव का कार्यान्वयन इस रिट के प्रार्थना-पत्र के निर्णय तक रोक दिया जाय । Prayer : It is, therefore, respectfully prayed that the implementation of the resolution passed by the U. P. Vidhan Sabha be stayed during the pendency of the writ petition in this Hon'ble Court. इस आदरणीय अदालत में जब तक कि रिट प्रार्थना-पत्र का निर्णय न हो जाय तब तक जो प्रस्ताव विधान सभा द्वारा पारित हुआ है उसका कार्यान्वयन रोक दिया जाय । इसके ऊपर आदेश यह है Issue notice. In the meantime we order that the implementation of the impugned resolution shall be stayed during the pendency of this application, and no order or warrant for taking the petitioner into custody shall be issued and, if issued, shall not be executed. नोटिस जारी हों । बीच में हमारा आदेश है कि उस प्रस्ताव का कार्यान्वयन रोक दिया जाता है जिसके संबंध में प्रश्न उठाया गया है । जब तक कि प्रार्थना-पत्र का निर्णय नहीं होता है और कोई आदेश या वारंट आवेदक को, जज साहब को, अभिरक्षा में लेने से जो संबंध रखता हो, जारी नहीं होगा । अगर जारी हो गया तो उसका कार्यान्वयन नहीं होगा और प्रतिपक्षी वर्ग, अर्थात् स्पीकर और उत्तर प्रदेश सरकार मार्शल अथवा अपने नौकरों के द्वारा तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन न करेंगे । २३-३-१९६४ । इसके ऊपर हस्ताक्षर हैं २७-२८ जजों के । जब यह मेरे ऊपर तामील हुआ तो उस समय मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह यह था कि मैं मार्शल को अपने यहां बुला लूं और जो आदेश दिया है उसे तब तक के लिये स्थगित रखूं जब तक कि इस आदरणीय सदन का आदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी किये हुये आदेश के संबंध में प्राप्त न कर लूं । लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, जो भी कहिये, मार्शल नहीं मिले और वह कमिश्नर साहब के यहां पहुंच गये सबेरे ९ बजे । वह नहीं मिले । फिर ११ बजे से २ बजे तक, उनकी रिपोर्ट है कि मैं वहां बैठा रहा । २ बजे कमिश्नर साहब मिले । उन्होंने ५ बजे बुलाया है कि जो सहायता की जा सकती है वह वे दे देंगे ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरी सूचना यह है कि जब चीफ जस्टिस आये थे तो उन्होंने मुख्य मंत्री जी से यह कहा था कि मैं पूरी फुल बेंच बना दूंगा और सब जजों को आप जेल भेजिये । अगर उन्होंने ऐसी धमकी दी तो मैं उनके खिलाफ २८ जजों के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अभी आपने कहा था कि अगर मार्शल आपको मिल जाते तो कल आप समन तामील न करते ।

श्री अध्यक्ष—

"कल" मैंने नहीं कहा ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

समन तामील करने के लिये मार्शल गये । तो आप समन तामील कर रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

वह कमिश्नर साहब को दे दिया गया । वह तो हो चुका है । उनसे सहायता मांगी गयी है । कमिश्नर साहब ने मार्शल को ५ बजे बुलाया है कि जो इस संबंध में हो सकता है, मैं करूंगा ।

मैं कह रहा था कि मेरे मन में यह विचार उठा कि जब हाईकोर्ट का आदेश मुझे मिल गया है कि मार्शल वारंट तामीलो का कार्यान्वयन न करें, जब तक मैं इस आदरणीय सदन का इस संबंध में आदेश न ले लूं । मगर अब आवश्यकता नहीं है चूंकि वह तो दे आये । खत्म हुआ ।

अभी जब मैं आया तो मेरे सामने एक पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार का दिया गया और यह उन्होंने प्रार्थना की कि एक आदेश हाईकोर्ट का आया है उसे मार्शल के ऊपर तामील करने की इजाजत दी जाय । मैंने कहा कि शौक से कर दो । वह भी मैं समझता हूं यही है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है ।

अब दोपहर को इस संबंध में जो प्रश्न उपस्थित हो गया था, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस संबंध में बातचीत में क्या हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

अध्यक्ष जी, जो मसला हमारे सामने है वह बहुत गम्भीर और बहुत नाजुक मसला है । इसलिये इस विषय पर बहुत सोच समझकर ऐसा प्रस्ताव लाया जाय जिसमें हमारे इस सदन का सम्मान बढ़े और प्रजातंत्र की सुरक्षा हो । हमने कई घंटे प्रयास किया कि कोई प्रस्ताव हम लोग निकालें जिसमें हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो और एक सद्भावना का वातावरण पैदा हो । लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत चेष्टा के बावजूद भी इतनी जल्द हम वैसा प्रस्ताव तैयार नहीं कर सके । इसलिये मैं चाहूंगी कि जल्दबाजी में कोई काम कर दें और उस पर पश्चाताप करें, इससे अच्छा है कि सोच-विचार कर काम करें । हम लोगों को समय मिल सका तो आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे और कल उसको ला सकेंगे ।

श्री शारदाभक्तसिंह---

जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और जहां हम जजों की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं वहां हमें सदन के सम्मान का भी ध्यान रखना है । मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव दिया जाय उसको सोच समझ लें । इसलिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है कल अगर वह प्रस्ताव ले लिया जाय ।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

दीपनारायण जी, आपका प्रस्ताव भी कल आ जायगा ।

श्री दीपनारायणसिंह---

श्रीमन्, मैं दो मिनट लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मेरे पास कई प्रस्ताव हैं, जिनमें से एक श्री शारदाभक्तसिंह जी का है, एक श्री दीपनारायणसिंह जी का है ।

श्री दीपनारायण सिंह का बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । उसमें उन्होंने यह बताया है कि जुडीशियरी और लेजिस्लेचर में झगड़ा उत्पन्न हो गया है । जो वातावरण है उसमें . . .

श्री दीपनारायणसिंह---

राष्ट्रपति को यह सिफारिश की जाय कि सदन होल्ड करता है कि दो जज यहां के और २८ जज वहां के, इनको कंडेम किया जाय क्योंकि इन्होंने २१२ का उल्लंघन किया है । ऐसा हम रेकमेंड करें ताकि संसदीय प्रणाली की मर्यादा भंग न हो, कायम रहे और यह सरकार सदन के प्रस्ताव को कार्यान्वित करे ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, हमारा प्रस्ताव भी इसके साथ कल के लिये रख दिया जाय ।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

माननीया मुख्य मंत्री का जो प्रस्ताव है उसमें यह भी जोड़ दिया जाय कि सदन का यह भी मत है कि जहां तक कार्यवाही हुई है वहीं रोक दी जाय । (नहीं नहीं की आवाजें)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, गृह मंत्री जी क्यों बोल रहे हैं, वे तो इस सदन के सदस्य हैं नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसको 'हां' तो नहीं कहा ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सदन में गरमागरमी हो रही है अगर इस तरह से होगी तो कल हम ठंडे दिमाग से जो प्रस्ताव लाना चाहते हैं, न ला सकेंगे । इसमें बहुत से वकील साहबान बैठे हुए हैं जो हमसे ज्यादा समझते हैं कि एक-एक लफ्ज, कामा, फुलस्टाप के कितने बारीक माने होते हैं । इसलिये आज और ज्यादा दायरा न बढ़ा कर उतने में ही अपने आपको सीमित रखें, जितना कि मैंने कहा है, तब ठीक होगा ।

(इस समय ४ बजकर ५७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उत्तर प्रदेश सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच बस रूट सम्बन्धी समझौते के विरुद्ध प्राइवेट बसों के परमिट देने से सम्बद्ध विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस आध घंटे के विवाद में मैं अपनी बात ३ मिनट में कह दूंगा और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ३ ही मिनट आप मंत्री महोदय को भी दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

किसी के डिक्टेशन पर कुछ नहीं हो सकता । आप एक ही मिनट में खत्म कीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सन् १९५७, १९६० और १९६३ में तीन समझौते हुए थे। सन् १९५७ में जो समझौता हुआ था उसकी कापी से मैं थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"It was agreed that on such inter-state routes or portions thereof in either state as or served by a state transport undertaking competition by private operators with nationalised undertakings shall not be permitted by granting counter-signatures in order to enable the state transport undertaking to have exclusive operation of such routes or portion thereof."

जहां तक मेरी जानकारी है १९६० में यह निश्चित कर दिया गया था कि वाराणसी-जबलपुर रूट पर केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारी बसें ही चलेंगी। ऐसी हालत में मैं संबंधित मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सन् १९५७ व १९६० में जो समझौते हुए थे, उनमें कोई रद्दोबदल किसी स्टेट की तरफ से नहीं हुआ, इस बीच में ३—५—६३ को श्रीमती हुरमुजी बेगम को वाराणसी-जबलपुर रूट पर एक बस चलाने का परमिट दे दिया गया, तो वह किस नियम के अन्तर्गत, किस धारा के अन्तर्गत और किस कायदे कानून के मुताबिक यह परमिट दिया गया?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परमिट १९६२ में अनियमित ढंग से दिया गया क्योंकि श्रीमती हुरमुजी बेगम कोई डिस्प्लेस्ड आपरेटर उस तिथि को नहीं थीं। डिस्प्लेस्ड आपरेटर होने के नाते संग्रामपुर-इलाहाबाद-डेरवा रूट के लिये उनको परमिट मिला था जिस पर उनकी बस चल रही है। इस वाराणसी-जबलपुर रूट पर बस चलाने का यह परमिट श्रीमती हुरमुजी बेगम को गलत ढंग से दिया गया है और इसलिये दिया गया कि श्री मुजफ्फर हसन यहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। मैं आपको यह भी बतला दूं कि यह परमिट श्रीमती हुरमुजी बेगम का नहीं है, स्वयं श्री मुजफ्फर हसन का है और केवल उनके नाम से बस चलती है। इतना ही नहीं, कई और परमिट दिये गये हैं जिनके बारे में २८ तारीख को कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं बतलाऊंगा, लेकिन इस समय मैं केवल इस पर्टिक्यूलर मसले पर ही कहना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसका जवाब दें।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

उपाध्यक्ष महोदय, सन् ६० में कुल ६३ इन्टर स्टेट रूट्स के बारे में मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ था। इनमें से ३७ रूट्स के मुताल्लिक यह तय हुआ था कि इन पर सरकारी गाड़ियां चलायी जायंगी। १८ सड़कों पर दोनों प्रदेशों की सरकारी गाड़ियां चलती थीं, १३ सड़कें केवल मध्य प्रदेश के लिये थीं और ६ केवल इस सूबे की सरकारी गाड़ियों के लिये। इन ३७ सड़कों में से १९ सड़कों पर अब तक किसी सूबे की सरकारी गाड़ियां नहीं चल सकीं। जो १८ सड़कें दोनों प्रदेशों की सरकारी गाड़ियों के लिये तय थीं, उनमें से ४ पर किसी सूबे की सरकारी गाड़ियां नहीं चल सकीं। इसलिये २ सड़कों पर मध्य प्रदेश की आर० टी० ए० और २ सड़कों पर यहां की आर० टी० ए० ने प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट दिये। जो १३ सड़कें केवल मध्य प्रदेश की सरकारी गाड़ियों के लिये थीं उनमें से १० सड़कों पर वह सरकारी गाड़ियां नहीं चलीं, और उन्होंने प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट दिये। और इसी तरह जिन ६ सड़कों पर इस प्रदेश की केवल सरकारी गाड़ियां चलनी थीं उनमें से ५ सड़कों पर चूंकि सरकारी गाड़ियां नहीं चल सकीं, यहां की आर० टी० ए० ने प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट दिये। अगर ऐसा न किया जाता तो इन सड़कों पर यातायात का कोई जरिया न रह जाता और जनता को तकलीफ होती। इसमें किसी सूबे द्वारा समझौते को तोड़ने का सवाल नहीं है क्योंकि जो परमिट दिये जाते हैं उन पर गाड़ियां दोनों की रजामन्दी से ही चल सकती हैं।

जहां तक उन वजूहात का सवाल है जिनके कारण सरकारी गाड़ियां नहीं चलाई जा सकीं जैसा सवालात के मौके पर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इन सड़कों पर गाड़ियों

की मरम्मत वगैरह के लिये कोई वर्कशाप बस-स्टेशन वगैरह नहीं थे और न टेकिल व रनिंग स्टाफ की ही सहूलियत थी। कुछ सड़कों पर प्राइवेट आपरेटर्स चल रहे थे जिन्हें समझौते की शर्तों के मुताबिक परमिट की मियाद खत्म होने तक नहीं हटाया जा सकता था। इसके अलावा इन सड़कों का जो नान-नोटिफाइड हिस्सा था उसे जब तक नेशनेलाइज नहीं किया जाता उस पर आर० टी० ए० से रोडवेज को परमिट लेने की जरूरत थी। इन दिक्कतों की वजह से जुलाई सन् ६३ में उस समझौते को रिवाइज करने के लिये एक बैठक हुई जिसमें यह प्रश्न भी उठाया गया कि समझौते में इस तरह की शर्त रखना कि केवल सरकारी गाड़ियां ही चलें कहां तक कानून के मुताबिक है। सब बातों पर विचार करने के बाद समझौता रिवाइज किया गया और उस में से यह शर्त हटा दी गई।

गाड़ियों का परमिट देने का अधिकार आर० टी० ए० को है जो एक क्वासीजूडीशियल बाडी है और जिसके फैसले के खिलाफ ए० टी० ए०, ट्रिब्यूनल, मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू व हाई कोर्ट में ही अपील हो सकती है।

यह कहना कि समझौते की नकल न देकर वाकयात को छिपाया गया है, सही नहीं है। समझौते की नकल मांगे जाने पर दी जा सकती है। आज तक किसी ने उस की मांग नहीं की।

जहां तक बनारस जबलपुर के परमिटों का सवाल है जब से यह मामला सामने आया तभी से मैं यह चाहता था कि इस बारे में स्थिति की पूरी तरह सफाई की जाय। इधर सवालात के सिलसिले में जो डिटेल्स सामने आये और उनसे जो कुछ जानकारी मुझे हुई उससे मैंने यह अनुभव किया कि इस मामले की पूरी जांच हो जाना ही मुनासिब है और जांच के बाद जिस कार्यवाही की जरूरत हो वह की जाय। चूंकि मेरे बारे में भी इस मामले में कहा गया था, इसलिये मैंने मुख्य मंत्री जी से अपनी तरफ से यह दरख्वास्त की कि किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह उचित समझें और जो परिवहन विभाग का न हो इस मामले की जांच करवा लें और जांच रिपोर्ट की रोशनी में जो कार्यवाही मुनासिब हो वह करें। मुख्य मंत्री जी ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उन्होंने जांच के लिये आदेश दे दिया है। अब जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस सम्बन्ध में और कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका और श्रीमती हुरमुजी बेगम का निवास स्थान एक ही है और उस निवास स्थान पर उनके ही नाम से टेलीफोन भी लगा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने अर्ज किया कि जहां तक उस परमिट का और श्रीमती हुरमुजी बेगम का ताल्लुक है उस पर जब तक जांच पूरी न हो, कोई फर्दर बात कहने की जरूरत नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

वह साथ में उनके रहते हैं इलाहाबाद में या नहीं ? इसका उत्तर वह दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो फैक्ट की बात उन्होंने पूछी है अगर वह आपको मालूम हो, तो बता दें।

श्री मुजफ्फर हसन—

रहने का सवाल तो इससे अलग है, लेकिन मैं तो लखनऊ में ही रहता हूं और जब इलाहाबाद जाता हूं तो वहां ठहरता जरूर हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

टेलीफोन आपके नाम से है कि नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। चूंकि मैं वहां जाता हूं और सरकारी कामों के लिये टेलीफोन की जरूरत होती है इसलिये वहां मैंने टेलीफोन ले रखा है अपने खर्चे से।

श्री गयाप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से उस रूट पर हुरमुजी बेगम को परमिट दिया गया तो उसके साथ और भी दरख्वास्तें थीं और उसके पहले और दरख्वास्तें पड़ चुकी थीं तो उन पर क्या विचार किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सब इनक्वायरी में है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं पूछना चाहता हूं कि जो बेगम साहिबा को परमिट दिया गया तो सेक्रेटेरियट लेविल पर दिया गया या रीजनल कमेटी ने दिया था ? यदि रीजनल कमेटी ने दिया था तो उसके मेम्बर कौन थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रीजनल कमेटी ने दिया जिसके चेयरमैन कमिश्नर होते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट देने के पहले जो पद्धति है कि विभाग नोटिफिकेशन करता है और ऐप्लीकेशन्स की मांग करता है, तो इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन हुआ और ऐप्लीकेशन्स की मांग हुई या नहीं ?

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

यह कार्य तो आर० टी० ए० का है। आर० टी० ए० ने किया होगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

श्रीमन्, कागज तो मंत्री जी के पास हैं, आर० टी० ए० थोड़े ही जवाब देने आयेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सब इनक्वायरी में है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अभी कुछ दिन पूर्व जब सदन में यह प्रश्न उठा था तो मंत्री जी ने कहा था वक्तव्य में, और क्या यह सही है कि दो बजे के बाद जब सदन बैठा तो उसके संशोधन में मंत्री जी ने क्या बात कही थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल साफ नहीं हुआ

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि मार्शल को ५ बजे कमिश्नर के यहां जाना है और वहां पर वारंट के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी है . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल है ? आप उसूल की बात कहें तो कोई बात थी ।

(श्री उपाध्यक्ष ने मार्शल को माननीय अध्यक्ष के पास जाने का आदेश दिया और मार्शल चले गये ।)

श्री बंशीधर पांडेय---

इस समय मार्शल का काम कौन कर रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री यादवेन्द्रदत्त---

श्रीमन्, अभी कुछ दिन पूर्व इसी प्रकार का प्रश्न सदन में हुआ था उस समय मंत्री जी ने कहा था, यह सब इनक्वायरी हो रही है । परन्तु क्या यह सही है कि उसी दिन २ बजे दोपहर बाद जब सदन बैठा तो मंत्री जी ने अपना वक्तव्य संशोधित करके कोई वक्तव्य दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन---

जी हां ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

यदि वह वक्तव्य दिया है तो बता दें क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---

मैंने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि इसका गजट नोटिफिकेशन किया गया और शाम को जब हम बैठे तो मैंने वालंटेरली कहा था कि इसका कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि इन्क्वायरी में गया । जब मैंने उसी प्रश्न को घुमा कर पूछा तो बताया गया कि नोटीफिकेशन नहीं हुआ । तो आप निर्णय करें कि कौन सा उत्तर माननीय मंत्री जी का सही है ?

श्री गयाप्रसाद---

जो परमिट श्रीमती हुरमुजी को दिया गया, यह गैर कानूनी था और इसलिए मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इसको २ बार कैंसिल कर दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन---

यह तो जांच में ही निश्चित होगा कि यह कानूनी था या गैर कानूनी था ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

माननीय परिवहन मंत्री जी ने सदन को अपने उत्तर में यह बताया था कि दोनों सरकारों में जो मुआहदा हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि कुछ रूट्स पर सरकारी गाड़ियां चलेंगी और कुछ पर राजकीय परिवहन की व्यवस्था होगी । जिन रूट्स पर राजकीय परिवहन

की व्यवस्था थी उन पर बिना राज्य सरकार के पूछे परमिट दी या राज्य सरकारों ने बीच में उनके बारे में कोई फैसला किया था ?

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब मैटर सारा इन्क्वायरी में जा रहा है, तो उस पर किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिये ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मैंने यह जानना चाहा था कि २ सरकारों में एक—समझौता हुआ कि इन इन रूट्स पर सरकारी गाड़ियां चलेंगी और उन पर प्राइवेट बस आपरेटर्स चलेंगे। फिर उन पर प्राइवेट ओनर्स को गाड़ी चलाने की इजाजत दी गयी, तो क्या उन राज्य सरकारों में कोई फिर से फैसला हुआ या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह आर० टी० ए० किस हद तक किस समझौते का पाबन्द है, यह देखने की बात है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में यह नियम है कि जो एक मोटर आपरेटर एक जगह से डिस्प्लेस्ड होता है तो उसको दूसरी जगह प्रोवाइड किया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, यह तो है ही ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह समझते हुए कि एक जगह से डिस्प्लेस्ड हुई थीं, उनको दूसरी जगह प्रोवाइड किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

डिसप्लेस तो हुई थीं ।

श्री गयाप्रसाद—

वह डिस्प्लेस्ड नहीं थीं । यह जवाब बिलकुल गलत है । ३-५-६३ को बिरवा की रूट.....

श्री कल्पनाथसिंह—

मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जो भी सवाल पूछा जाता है । उसका यही उत्तर दिया जाता है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जो सवालात खास-खास पूछे जा रहे हैं, मंत्री जी कहते हैं कि वे इंक्वायरी में हैं तो मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस इंक्वायरी का क्या आधार है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यहां कांफ्लिक्टिंग और कांट्रेडिक्टरी फैक्ट्स हाउस में रखे गये । मैंने कहा है कि जो कुछ फैक्ट्स हैं उनकी अच्छी तरह से जांच करके सही फैक्ट्स सामने आ जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो परमिट हुरमुजी बेगम को दी गयी उस पर जो गाड़ी खरीदी गयी क्या उसका रजिस्ट्रेशन प्रतापगढ़ में वकील अहमद के नाम में किया गया जो मंत्री महोदय के साले हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वकील अहमद मेरे साले नहीं हैं। बाकी बातें इंक्वायरी में हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमती हुरमुजी बेगम के नाम इलाहाबाद–तिरवा रूट और वाराणसी–जबलपुर रूट पर परमिट साथ-साथ कितने दिन चला ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस बात की तहकीकात होगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जो इन्क्वायरी सेटअप हुई है उसके विवाद बिन्दु तय हुये होंगे, यदि हां, तो विवाद बिन्दु क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जितने सवाल पूछे गये हैं उनके सिलसिले में जितने फैक्ट्स हमारे सामने आये हैं वे सारे फैक्ट्स क्या हैं उन्हीं के विषय में जानकारी की जा रही है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री ने आर० टी० ए० के इस विरोध पर कि यह लखनऊ रूट है, इलाहाबाद से नहीं हो सकता, खुद फाइल हुरमुजी बेगम की अपने पास मंगाई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है ।

श्री गयाप्रसाद—

इस समझौते को किसने तोड़ा, एस० टी० ए० ने या आर० टी० ए० ने ?

श्री उपाध्यक्ष—

समझौते को तोड़ने का सवाल नहीं है ।

श्री गयाप्रसाद—

किस आफिसर ने वह परमिट दिया जबलपुर रूट पर श्रीमती हुरमुजी बेगम को ?

श्री मुजफ्फर हसन—

एक ही अथारिटी है परमिट देने वाली, आर० टी० ए० ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि सारे सदन में और सदन के बाहर यह चर्चा है कि परिवहन मंत्री जी ने अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया है? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं

कि वे इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच कराके सदन के सामने रखेंगी जिससे सब की शंकायें दूर हो जायं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं ऐसा समझती हूं और जहां तक मुझे याद है, रिपोर्ट दो महीने के अन्दर देना है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है कि उस समय इसके चेयरमैन कमिश्नर थे। उस समय कमिश्नर माननीय के० के० दास थे तो मैं जानना चाहता हूं कि इंक्वायरी करते समय क्या मुख्य मन्त्री जी उनसे भी जांच पड़ताल करायेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, मैं हाउस को एश्योर करना चाहती हूं कि इंक्वायरी में सब बातों की छानबीन की जायगी और जिसके पास इनफारमेशन है वह सब से ली जायगी। हमने बहुत रिसपांसीबिल आफिसर को यह इंक्वायरी दी है और कहा है कि ईमानदारी से जांच करके इसकी रिपोर्ट दें।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस रूट पर हुरमुजी बेगम को परमिट दिया गया है उस पर स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी जी की पुत्री ने भी परमिट के लिये आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह तो मैंने सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत सी दरख्वास्तें थीं, लेकिन जो डिसप्लेस्ड की दरख्वास्तें थीं उन पर ही आर० टी० ए० ने गौर किया था।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री को २७-१-६४ को एक पत्र लिखा था कि जरूरी कागजात टैम्पर किये जा रहे हैं, उनको वह अपने कब्जे में ले लें, तो क्या वे आप के कब्जे में आ गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं किसी के कागजात को अपने कब्जे में नहीं रखती और रखकर भूल भी जाऊंगी। मैंने बहुत रिसपांसीबिल आफिसर से कह दिया है और जितनी चिट्ठियां और कागजात आप लोग भेजते हैं, वे सब उनके पास भेज देती हूं। वे हर किस्म की केअर लेंगे।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, अभी एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बतलाया है कि दरख्वास्तें बहुत सी थीं, लेकिन डिस्प्लेस्ड आदमी को परमिट दिया गया। मैंने कई बार इस आदरणीय सदन में कहा है कि हुरमुजी बेगम ३-५-१९६३ को डिस्प्लेस्ड नहीं थीं, तो यह जवाब क्यों दिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह तो तहकीकात में ही मालूम होगा कि कौन डिस्प्लेस्ड था और कौन नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हुरमुजी बेगम का चार-बार चालान हुआ, चारों बार छुड़वा दिया, मुकदमा नहीं चला ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैं जानता भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया। अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२४ मार्च, १९६४।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर]

पत्रक तहसीलदार पडरौना ने जिलाधीश देवरिया के कार्यालय में डिस्पैच नं० २९०/आर० के० दिनांक २२-१०-६३ के द्वारा भेजा। यह पत्रक जिलाधीश के कार्यालय में दिनांक २३-१०-६३ को प्राप्त हुआ। पत्रक की कोई प्रति मुख्य मंत्री या सिंचाई मंत्री को नहीं भेजी गई। पत्रक की मांगें व उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही निम्नलिखित हैं :

मांगें	की गई कार्यवाही
१—बांडी और झरही नाले को मुख्य गंडक नहर तथा शाखाओं को बम्बे का रूप दिया जाय ताकि उपजाऊ जमीनों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।	बृहद सर्वेक्षण के पश्चात् ही मुख्य गंडक नहर तथा उसकी शाखाओं का अलाइनमेन्ट निश्चित किया गया। सर्वेक्षण के पश्चात् बांडी और झरही नदियों का वांछित उपयोग सम्भव नहीं पाया गया।
२—गंडक नहर तथा नेशनल हाई वे में निकल रही जमीन का ४,५००, पेड़ों का १०० रु० तथा कुवों का ७०० रु० मुआवजा दिया जाय।	जहां तक गंडक नहर का प्रश्न है अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है।
३—दोनों योजनाओं में उजड़ रहे गांवों के लोगों को बसाने की व्यवस्था हो। घर के एवज में उसी ढंग का घर बनवाया जाय।	जहां तक गंडक प्रोजेक्ट का सम्बन्ध है ऐसे मामले नाम मात्र के ही हैं जिनमें कृषकों के घर लेने पड़े हों। ऐसे सभी मामलों में पर्याप्त मुआवजा अदा किया गया है। विस्थापित लोगों के लिए विभाग द्वारा मकान बनाने की कोई योजना नहीं है।
४—माठ इलाके में नहर न ले जाकर बांगर के इलाके से होकर जाय ताकि लोग सिंचाई आदि के लिए इसका उपयोग कर सकें।	नहर और शाखाओं का मार्ग निर्धारण बहुत सोच समझ कर पर्याप्त सर्वेक्षण के बाद ही किया गया है। बांगर के इलाके के लिए भी नहर से सींच का प्रबन्ध है। माट क्षेत्र को भी सींच की आवश्यकता है।
५—जिनका खेत व घर नहर तथा नेशनल हाई वे में निकल रहा है उन्हीं को इस पर काम दिया जाय।	जहां तक सम्भव होता है मजदूरों को वहीं से लिया जाता है और अन्य कामों के लिये स्थानीय एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये योग्य स्टाफ की ही रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की जाती है।
६—सम्पन्न परिवारों के खेत, बाग तथा मकान बचाने के लिये जहां नहर सड़क टेढ़ी की गई है सीधी की जाय और पुनः इसकी पैमाइश हो।	यह आक्षेप निराधार है और ऐसा कोई मामला नहीं है जहां कहे गये कारण से नहर का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा किया गया हो।

मांगें	की गई कार्यवाही
७—जब तक नहर व सड़क तैयार नहीं हो जाती तब तक लोगों को अपने खेतों की बोने का आदेश दिया जाय और उनसे मालगुजारी आदि न ली जाय।	यदि किसानों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की आज्ञा दे दी जाय तो नहर निर्माण का कार्य चालू नहीं रखा जा सकता। जहां भी काम प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, किसानों को अस्थाई रूप से खेती करने की स्वीकृति दे दी गयी है।
८—गन्ने आदि फसल का मुआवजा ९०० रु० एकड़ दिया जाय।	जहां पर परिस्थिति विशेष में विभाग द्वारा गन्ना या अन्य फसल को काटना पड़ा है, फसलों का मुआवजा जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये दरों पर दिया जा रहा है।
९—इंजीनियरों एवं ओवरसियरों आदि की धांधली रोकी जाय, ठेकेदारों द्वारा की गई ज्यादतियों की जिम्मेदारी सरकार ले और उनसे मजदूरी आदि दिलाने में तत्परता दिखायें।	ऐसा कोई मामला विभागीय अधिकारियों की नोटिस में नहीं आया है। ठेकेदारों व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही तभी की जा सकती है जब किसी स्पष्ट मामले का उल्लेख किया जाय।
१०—नहर और सड़क का ठेका देवरिया के ही ठेकेदारों को दिया जाय।	जब कोई निर्माण कार्य हाथ में लिया जाता है खुला टेंडर मांगा जाता है और नियमानुसार ही ठेका दिया जाता है।
११—किसानों को नोटिस दी जाय कि उनकी कितनी जमीन नहर और सड़क में निकल रही है क्योंकि बिना नोटिस की जमीन लेने में मनमानी हो रही है।	जब कभी नहरों के निर्माण के लिये भूमि ली जाती है तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में दिये गये नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है।
१२—अलाभकर जोत यानी १० बीघा की मालगुजारी खत्म की जाय।	ये मांगें सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। इनके उद्धरण सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु भेजे जा चुके हैं।
१३—गन्ने का दाम २॥ रु० मन और चीनी का ४० रु० मन हो।	
१४—सेवरही चीनी मिल को हिदायत की जाय कि वह चीफ कार्ड बोर्ड के कारखाने के लिए सेवरही ग्राम के किसानों की जमीन न लेकर अपने ही जमीन में कारखाना बनवाये क्योंकि उनके पास खुद काफी जमीन है।	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर]

क्रमांक	ग्राम का नाम	रकबा (एकड़ों में)
१	खडेसरी	४.८५
२	पिढनी	०.६४
३	रामगढ़	०.९७
४	खजुरी	१.११
५	मुजवना	१.७१
६	छपिया	१.३६
७	विरहुआ	०.१०
८	मेभरा	२.३९
	योग ..	१३.१३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३११ पर।)

Minutes of the meeting of the Regional Roadways Advisory Committee of Gorakhpur Region held in the General Manager's office on December 21, 1963 at 11 a.m.

PRESENT :

(1) Sri S. Ramesh, Additional District Magistrate (E), Gorakhpur, representing the District Magistrate .. .. .. *Chairman.*

(2) Sri S.C. Sharma, Superintending Engineer, P. W. D. (B. & R.) VI Circle, Gorakhpur .. .. *Member.*

(3) Sri Virendra Pal Gupta, Assistant Transport Commissioner (R), U. P. Lucknow, representing Deputy Transport Commissioner (R), Uttar Pradesh, Lucknow .. Do.

(4) Sri S.C. Shukla, M.L.A., Gonda .. .. .. Do.

(5) Sri Shiv Mangal Singh, .M.L.A., Ballia .. .. Do.

(6) Sri R.S. Sial, General Manager, U. P. Government Roadways, Gorakhpur .. .. *Member-Secretary.*

The meeting of the Regional Roadways Advisory Committee started at 11 a.m. on December 21, 1963 in the office of the General Manager, U.P. Government Roadways, Gorakhpur under the Chairmanship of Sri S. Ramesh, Additional. District Magistrate (E) Gorakhpur and the following items were discussed.

(1) Minutes of the last meeting were read and confirmed.

(2) Suggest'on of Sri Shanti Charan Shukla, M.L.A., Gonda, regarding opening of a bus stand at Dehras on Gonda-Lakarmandi *via* Paraspur route was again discussed. The General Manager, pointed out that Dehras is situated at a distance of miles from Paraspur. Dehras is a "Request Stop" and here the number of In Coming and Out Going passengers is 4 to 10 only. On market days the number Goes up to 20 passengers. People generally go by cycle on foot and it is not an important place where booking office may be opened. The next station is Mohna which is 8 Kilometer from Paraspur. Between these two places Dehras is situated. Sri Shukla pointed out that Dehras is an important place and the passengers of Bara Banki and Faizabad districts come and go from here by crossing Gogra and Sarju rivers at Paskaghat. There is post office, school and public Health centre and the public coming to this place should be given travelling facility. He further pointed out that at Mohna, the membr of passengers residing in the locality of Dehras will be more than the passenger of other places. The Chairman suggested that the traffic survey at both the places should be carried out in order to consider the question of opening bus stand at Dehras. The report of the traffic Survey should be put up before the next meeting.

(3) Suggestion of Sri Shanti Charan, M.L.A., Gonda, regarding extensiion of Gonda-Colonelganj-Paraspur Service up to Belsar was again discussed. Since it was already decided in the last meeting dated November 2, 1963, thus it was agreed by all the members.

(4) Suggestion of Sri Shanti Charan, M.L.A., Gonda, regarding extension of Gonda bus station and fixing place for parking *Ekkas*, Rikshaws and Motors there was again discussed. The suggestion was already discussed in the last meeting dated November 2, 1963. The General Manager has, however, pointed out that the efforts are being made to extend the bus station.

(5) Suggestion of Sri Shanti Charan Shukla, M.L.A., Gonda, regarding construction of bus station at Colonelganj and Paraspur was discussed. The General Manager informed the committe that the land acquisition proceedings are being taken and necessary papers are being submitted by the Assistant General Manager, Basti. As soon as the land is acquired the construction of bus station at Colonelganj and Paraspur shall be undertaken.

(6) Suggestion of Sri Shanti Charan Shukla, M.L.A., Gonda, regarding halting two buses at Nawabganj in the night in order to facilitate the public intending to go to Gonda court and Tarabganj Tahsil in the morning was again discussed. It was informed by Sri Shanti Charan Shukla, M.L.A., that at Nawabganj passengers are left and they are not fully catered by the two services coming from Lakarmandi in the morning. The Chairamn impressed upon the General Manager to have proper Survey done and if traffic warrante additional services may be plied so that no passengers are left or inconvenienced.

(7) Suggestion of Sri Shanti Charan Shukla, M.L.A., Gonda, regarding granting permission to private operators to ply private buses on Gonda to Paraspur *via* Balpur Tewrasi was discussd. The General Manager pointed out that the question of granting permission to ply private buses on this route does not come under the purview of this committee. This concerns the Regional Transport authority.

(Sd.) R. S. SIAL,

Secretary,

Regional Roadways, Advisory Committee,

Gorakhpur Region.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१–२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

सूची

प्रश्न संख्या २१

जिला बलिया के प्रत्येक ब्लाक में १८–३–१९६४ तक लगाये गये नलकूपों की सूची।

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	नलकूप जो बन चुके हैं
१	रतनपुरा	२३
२	रसड़ा	२७
३	नगरा	२५
४	चिलकहर	१२
५	सियर	२
६	हनुमानगंज	६
७	गरवार	८
८	दबहर	९
९	मुरली छपरा	३
१०	बेलहरी	९
११	बैरिया	५
१२	सौंहांव	१४
१३	बरूआरबारी	२
१४	मनियर	४
१५	पन्दह	३
१६	बांसडीह	६
१७	रेवती	८
	कुल योग ..	१६६ नलकूप

प्रश्न संख्या २२

(क) जिला बलिया के विभिन्न ब्लाकों में निर्माण किये जाने वाले, नलकूपों का विवरण :--

ब्लाक का नाम	नलकूपों की संख्या	गांवों के नाम जहां नलकूप लगने वाले हैं
१ रतनपुरा	२	१–पिलखी बरांव २–कुडसर
२ हनुमानगंज	१	३–शंकरपुर
३ चिलकहर	१	४–बरेंब झ
४ रसड़ा	२	५–इन्दवार ६–कटौरा
५ मनियर	२	७–बालपुर ८–सरकंडा
६ दुबहर	१	९–डुमरी
७ पन्दह	१	१०–मेवली कनासपुर
८ बैरिया	१	११–दलपतपुर
९ रतनपुरा	१	१२–करौत नं० २
योग ..	१२	

(ख) इन १२ नलकूपों के अलावा दो अन्य नलकूप योजनाओं के अन्तर्गत १० नलकूप और बलिया जिले में निर्माण के लिये प्रस्तावित हैं। इनका ब्लाक वार विवरण निम्नलिखित है:--

ब्लाक का नाम	प्रस्तावित नलकूपों की संख्या	गांवों के नाम जहां नलकूप प्रस्तावित है
१ रतनपुरा	२	सहवारी लसड़ा
२ चिलकहर	२	लोहना पचौवा नाराद
३ रसड़ा	१	रजमलपुर
४ सोहांव	२	महरूम बढ़वलिया
५ मनियर	१	मुस्ताफाबाद
६ रेवती	१	खानपुर डुमरिया
७ नगरा	१	अतरौली

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७ एल० ए०—१९६४—८८५।